

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

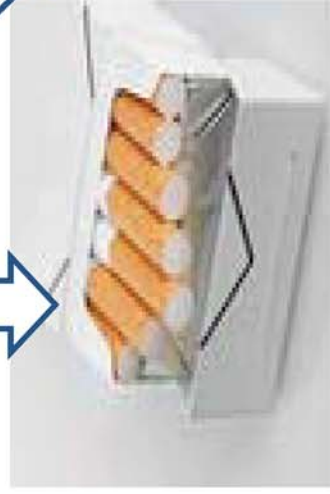
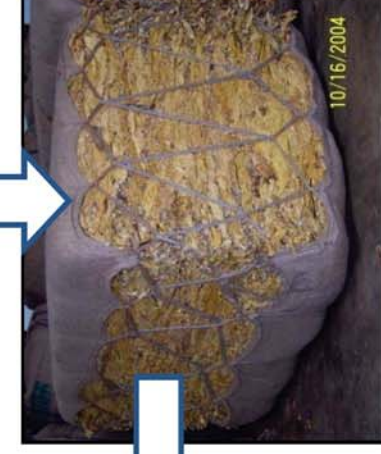


तम्बाकू बोर्ड



वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

एफ सी वी तम्बाकू कृषि & प्रोसेसिंग में गतिविधियों की घटनाक्रम



shutterstock · 129430949



गोल्डेन लीफ पुरस्कार - 2019

“सर्वाधिक प्रभावशाली लोक-सेवा पहल”



तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार,
अं.प्र.सं. 9001:2015 से प्रमाणित संस्था

फोन : +91-863-2358399, 2358068
ई-मेल : info@indiantobacco.com,
विजिट करे : <http://www.indiantobacco.com>

विषयसूची

बोर्ड संघटन	5
वरिष्ठ प्रबंध	6-7
2018-19 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की क्रियाकलाप - एक पुनरवलोकन	8
2018-19 के दौरान बैठकें	9-10
संस्थापना दिवस समारोह	11-15
दि. 31/03/2019 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शानेवाली विवरण	16
तम्बाकू बोर्ड के संगठनात्मक चार्ट	17
फसल योजना & नियंत्रण	
I. भारत में एफसीवी तम्बाकू के उत्पादन में प्रवृत्तियाँ	18
II. 2018-19 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	18
III. 2018-19 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टताएँ	18-19
IV. 2018-19 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टताएँ	19-20
V. 2018-19 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार क्षेत्र तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	20
VI. उत्पादन नियंत्रण अभियान	21
VII. 2018-19 के दौरान पंजीकृत ग्राहकों का विवरण	21
VIII. 2018-19 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	21-23
IX. 2018-19 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	23-26
X. 2018-19 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू विक्रय	26
XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रचार	26-27
XII. फसल डामेज	27-28
XIII. एफ सी बी तम्बाकू के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना	28
आं. प्र. में 2018-19 फसल मौसम के लिए रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	29-30
कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के लिए प्लैटफार्म वार रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	31
विस्तार और परामर्श सेवाएँ	
I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति	32-35
II. 2018-19 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार एवं विकासात्मक योजनाएँ	36-43
III. 2018-19 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन बनाये रखने तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये पहलू	44-46

IV. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	46-55
V. 2018-19 में विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय	55
2018-19 फसल मौसम विस्तार & विकास योजनाएँ - भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ	56
2018-19 के दौरान विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अजा/अजजा/महिला एवं अन्य ग्रोयर्स का आच्छेदन	57-58

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I. तम्बाकू बोर्ड का ग्रोयर कल्याण निधि	59
II. मिट्टी व जल विश्लेषण	60
III. एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स के लिए बखार और स्टॉक बीमा	60
IV. ग्रोयर्स को ऋण सुविधाएँ	
2018-19 के दौरान योजना वार अनुदान/ ब्याज मुक्त ऋण विवरण	61

प्लेटफार्मों पर नीलामकार की सेवाएँ

I. आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	62-66
II. कर्नाटका में 2017-18 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	66
III. कर्नाटका में 2018-19 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	66-70
IV. आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	70-72
V. किसानों को प्रमाणीकृत बेल पैकिंग सामग्री की आपूर्ति	72
01/04/2018 से 31/03/2019 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण।	73-74
2018 कर्नाटका नीलाम - 31/03/2019 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफ सी वी तम्बाकू विवरण	75
2019 आं.प्र. नीलाम - 31/03/2019 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफ सी वी तम्बाकू विवरण	76
01/04/2018 से 31/03/2019 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार खरीदी	77-78

व्यापार स्कंध

I. प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के बाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलर के रूप में पंजीकरण	79
--	----

भारत से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के विपणन एवं निर्यात

2013-14 से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात	80
I. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण	81-88
II. नियति संवर्धन गतिविधियाँ	88-93

राजभाषा कार्यान्वयन

I. राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशाला	94
--	----

वित्त एवं लेखा

I. आंतरिक साधन	95
II. बजट अनुमान	95-96
दि. 31/03/2019 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुन्डूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट	97-99
III. तम्बाकू निधि लेखा - 31 मार्च, 2019 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र	100
31 मार्च, 2019 अंत तक वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा	101
उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र)	102-104
अनुसूची - 24: 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	105-108
अनुसूची - 25: 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकस्मिक देयताएँ तथा नोट	109
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर नोट	110-119
वित्त व लेखा विवरण	120-130
2004-05 से 2018-19 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण	131
संकेताक्षर	132

बोर्ड संघटन

दि. 31/03/2019 तक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था :

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड

धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक

धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री जयदेव गल्ला, माननीय संसद-सदस्य (लोक सभा)

श्री गोकराजु गंगराजू, माननीय संसद-सदस्य (लोक सभा)

श्री आर.के. सिन्हा, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ग) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री विजय राज मोहन, निदेशक (व्यापार - कृषि संबंधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय।

श्री एन. रमेश, निदेशक (वाणिज्य सम्बन्धित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

मिस. रूपा दत्ता, आर्थिक सलाहकार (वित्त सम्बन्धित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

श्री संपा साहा, निदेशक (औद्योगिक विकास सम्बन्धित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग।

डॉ. डी.दामोदर रेड्डी, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्रवरम

डॉ. संजय प्रसाद, कृषि निदेशक, गुजरात सरकार।

श्री बी.वाई. श्रीनिवास, कृषि निदेशक, कर्नाटका सरकार।

श्री बुडिति राजशेखर, भा.प्र.से., विशेष प्रधान सचिव, खाद्य, कृषि & समन्वय विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री एन.टी.शिसोडे, कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार

डॉ एम. मुत्तु कुमार, भा.प्र.से., निदेशक - कृषि & खाद्य उत्पाद, ओडिशा सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री गड्डमनुगु सत्यनारायण, उपाध्यक्ष

श्री कृष्ण कुमार मिश्रा

श्री पी.वी बसवराजप्पा

श्री सी. किरण कुमार

श्री बालिनेनी सीतय्या

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री पी. के. स्वैन, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

वरिष्ठ प्रबंध

(दि.31/03/2019 तक)

प्रबंध और वरिष्ठ कर्मचारीगण

कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष (प्रभारी)

सचिव

निदेशक (नीलाम)

प्रबंधक (वित्त व लेखा)

प्रबंधक (नीलाम)

प्रबंधक (विपणन और निर्यात)

प्रबंधक (विस्तार)

प्रबंधक (उत्पादन)

प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि, ओंगोल)

प्रादेशिक प्रबंधक (दहमि, ओंगोल)

प्रादेशिक प्रबंधक (उ.ह.मि, राजमहेन्द्रवरम)

प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर)

प्रादेशिक प्रबंधक (पेरियापटना)

सहायक प्रबंधक (यो व स)

कार्मिक अधिकारी

ओ.एस.डी. (सतर्कता)

कर्मचारी गण

डाक पता :

दूरभाष सं/फैक्स

ई-मेल & वेबसाईट :

श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से.,

संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

& कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष (प्रभारी), तम्बाकू बोर्ड

दि. 20/08/2018 तक

श्रीमती के.सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक व अध्यक्ष (प्रभारी),

तम्बाकू बोर्ड दि. 20/09/2018 से

श्री अहंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,

श्री विपिन बिहारी चौधुरी, आईओएफएस., दि. 31/01/2019 तक

श्री के. रविकुमार, निदेशक (नीलाम) (प्रभारी)

दि. 01/02/2019 से दि. 10/03/2019 तक

श्री टी.वी. रवि, भा.रा.से.,

निदेशक (नीलाम) दि. 11/03/2019 से

श्रीमती पी. मीना कुमारी,

श्री के. रवि कुमार

श्री सीएच. वी. मारुती प्रसाद

श्री के.वी.एस.टी. साई

श्री पी. रमेश

श्री जी. उमामहेश्वर राव

श्री के. सुधाकर राव

श्री जी. रत्न सागर

श्री एस.एस. पाटिल

श्री बी. मंजू राजू

श्री. सी. गोपीनाथ

श्री आई.रवि कुमार

श्री सी.एम.ए जलील अहमद

वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 96

मध्य श्रेणी प्रबंध : 86

कनिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 289

कुल : 471

तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पोस्ट बॉक्स नं. 322, जी.टी. रोड, गुण्टूर - 522 004 (आन्ध्र प्रदेश)

0863-2358399/0863-2354232

info@indiantobacco.com/www.indiantobacco.com

कारपोरेट शासन



के. सुनीता, भा.प्र.से.,
कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष (प्रभारी)



अइंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,
सचिव



टी.वी.रवि, भा.रा.से.,
निदेशक (नीलाम)



के. रवि कुमार
प्रबंधक
(नीलाम)



सीएच.वी. मारुती प्रसाद
प्रबंधक
(विपणन & निर्यात)



के.वी.एस.टी.साई
प्रबंधक
(विस्तार)



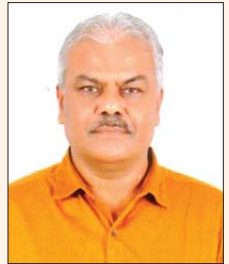
पी. रमेश
प्रबंधक
(उत्पादन)



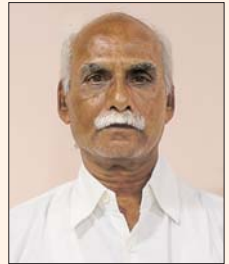
पी.मीना कुमारी
प्रबंधक
(चित्र व लेखा)



एस.एस. पाटिल
प्रादेशिक प्रबंधक
मैसूर



बी. मंजु राजू
प्रादेशिक प्रबंधक
पेरियपट्टना



जी. उमा महेश्वर राव
प्रादेशिक प्रबंधक
द का मि, ओंगोल



के. सुधाकर राव
प्रादेशिक प्रबंधक
द ह मि, ओंगोल



जी. रत्न सागर
प्रादेशिक प्रबंधक
राजमहेन्द्रवरम

2018-19 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की क्रियाकलाप - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, “तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975” के तहत, तम्बाकू उद्योग में सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - संसद के द्वारा की गई कामना - तम्बाकू किसानों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारु) प्रणाली का सुनिश्चयन है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यिक फसलों में एक हैं। यह वर्ष 2018-19 के दौरान यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 45.7 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और उत्पाद शुल्क के रूप में सार्थक राजस्व ₹ 22,000.07 करोड़ (2016-17) तथा विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 6,001.02 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देता है। विश्व में तम्बाकू उत्पादन में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। **भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन और तम्बाकू निर्यात में तृतीय स्थान प्राप्त किया है।** भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न आग्ने जल-वायु स्थितियों के अंतर्गत उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त 115 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधिकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य श्रेणियों के लिए एक ओन-स्टॉप शॉप प्रदान करता है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (एनएलएस), दक्षिणी हल्की मिट्टी (एसएलएस) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (केएलएस) में किया जाता है। भारत में उत्पादित तम्बाकू में गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस) तथा गुणता न्यूट्रल फिल्लर (केएलएस & एसएलएस) और अच्छे फिल्लर (टीबीएस) प्रकारों का उत्पादन हुआ था। तम्बाकू बोर्ड ने 2018-19 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए फसल परिमाण को 2017-18 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 235.00 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत 236.00 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण निर्धारित किया। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 292.84 लाख की राशि व्यय की है। 2018-19 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में 222.49 मि.कि.ग्रा. का परिमाण, जो 2017-18 में ₹ 137.07 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में विपणित 205.94 मि.कि.ग्रा. परिमाण की तुलना में ₹ 134.45 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में विपणित किया गया। 2018-19 के दौरान, भारत से ₹ 6,001.02 करोड़ मूल्य के 2,20,517 मेट्रिक टन तम्बाकू उत्पादों का निर्यात हुआ है और परिमाण के शब्दों में 4% और मूल्य के शब्दों में 8%, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गये। निर्यातों का मूल्य डालरों के शब्दों में 858.52 मिलियन यूएस \$, जो वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 0.11% घट गये।

ग्राहकों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से संबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स. डी एन वी - जीएल-बिजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया। 18/03/2022 और यह प्रमाणपत्र 18/03/2022 तक मान्य है।

2018-19 के दौरान बैठकें

दि. 01/04/2018 से दि. 31/03/2019 तक)

क) सांविधिक बैठकें :

तीन बोर्ड की बैठकें और तीन समिति की बैठकें संपन्न हुए।

बोर्ड बैठकें :

1. दि. 13 अप्रैल, 2018 (शुक्रवार) को अपराह्न 03.00 बजे बोर्ड की 145 वीं बैठक बेंगलूर में संपन्न हुई।
2. दि. 20 अगस्त, 2018 (सोमवार) को अपराह्न 03.00 बजे बोर्ड की 146 वीं बैठक गुण्टूर में संपन्न हुई।
3. दि. 26 मार्च, 2019 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे बोर्ड की 147 वीं बैठक बेंगलूर में संपन्न हुई।

गोयरो तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. गोयरो तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 85 वीं बैठक दि. 10/08/2018 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई।
2. गोयरो तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 86 वीं बैठक दि. 06/09/2018 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई।
3. गोयरो तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 87 वीं बैठक दि. 26/03/2019 को मुख्य कार्यालय, बेंगलूर में संपन्न हुई।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

2. व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 43 वीं बैठक दि. 03/10/2018 को विषयों को परिचालन करने के द्वारा अनुमोदित किया गया।



दि. 26/03/2019 को बेंगलूर में संपन्न बोर्ड की 147 वीं बैठक में कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष और अन्य बोर्ड सदस्य भाग लिये।

ख) असांविधिक बैठकें :

1. आन्ध्र प्रदेश में 2018 एफसीवी तम्बाकू नीलामियों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने भा तं सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें दि. 08/05/2018, 13/06/2018 & 16/08/2018 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुए।
2. कर्नाटका में 2018 - 19 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ प्रारंभ की तारीख पर विचार करने भा तं.सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्वरंग बैठक दि. 16/08/2018 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई।
3. कर्नाटका में 2018 एफ सी वी तम्बाकू नीलामियों से संबंधित विषयों पर विचार करने भा.तं.सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 28/11/2018 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई।
4. आन्ध्र प्रदेश में 2019 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियों का प्रारंभ की तारीख से संबंधित विचार करने भा तं सं, व्यापारी प्रतिनिधियों तथा ग्राहक प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्वरंग बैठक दि. 07/02/2019 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई।

संस्थापना दिवस समारोह :

तम्बाकू बोर्ड दि. 04/01/2019 को भारतीय तम्बाकू संघ हॉल, गुण्टूर में अपने संस्थापना दिवस समारोह आयोजित किये थे। श्रीमती जी. जय लक्ष्मी, भा.प्र.से., महा निदेशक, एन आई पी एच एम, हैदराबाद ने समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिये। श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक व अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस बैठक में श्री ए. श्रीधर बाबू, भा.प्रा.से, सचिव, श्री विपिन बिहारी चौधुरी, आई.ओ.एफ.एस, निदेशक (नीलाम), बोर्ड सदस्य, अध्यक्ष, भा तं सं, डिविजनल सीईओ, आई टी सी लिमिटेड, आई एल टी डी, बोर्ड सदस्य और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका से लगभग 1000 किसान और व्यापारियों इस समारोह में उपस्थित हुए थे।

उत्तम गोयरों, व्यापारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार :

संस्थापना दिवस समारोह के सुअवसर पर तम्बाकू बोर्ड ने उत्तम गोयर पुरस्कार (प्रत्येक नीलाम प्लैटफार्म से एक), उत्तम व्यापारी & निर्माणकर्ता पुरस्कार प्रदान किये गये थे और उत्तम कर्मचारियों को भी सम्मानित किये गये थे।



पुरस्कार प्राप्त गोयर :

कर्नाटका : मैसूर क्षेत्र		
नी प्लै सं.01, एच.डी.कोटे	श्री रुद्रप्पा, पु/श्री चिन्नप्पा	अन्नूर
नी प्लै सं.02, हुन्सूर - I	श्री बसवराज नायक, पु/श्री कृष्ण नायक	गवदगेरे
नी प्लै सं.03, हुन्सूर - II	श्री बसवराजप्पा, पु/श्री देवप्पा	यू.जी.हल्ली
नी प्लै सं.04, हुन्सूर - III	श्री सोमशेखरा, पु/श्री तिम्मगेगौडा	तिप्पलापुरा
नी प्लै सं. 61, कंपलापुरा	श्री तिम्मन्नेगौडा, पु/श्री मल्लेगौडा	मंटिकोप्पल
नी प्लै सं. 62, चिलकुंदा	श्री परमेश, पु/श्री लेट मोगन्नेगौडा	हरिलपूरा
कर्नाटका : पेरियपट्टना क्षेत्र		
नी प्लै सं.04, पेरियपट्टना - I	श्री वीरेंद्र कुमार, पु/श्री नंजप्पा	मालंगी
नी प्लै सं.05, पेरियपट्टना - II	श्री शिवन्ना, पु/श्री जेवरे गौडा	केल्लुरु
नी प्लै सं.06, पेरियपट्टना - III	श्री सन्नेगौडा, पु/श्री कुन्देगौडा	एच. कावल
नी प्लै सं.07, रामनाथपुरा - I	श्री नागराजू, पु/श्री रामे गौडा	हंगल
नी प्लै सं.63, रामनाथपुरा - II	श्री धर्मेगौडा, पु/श्री कट्टेगौडा	सिरिदहल्ली

आन्ध्र प्रदेश : दहमि क्षेत्र		
नी प्लै सं.22, पोदिली	श्री आवुलूरी कोटेश्वर राव, पु/श्री कोटय्या	कंबालपाडू
नी प्लै सं.26, कन्दुकुरु - I	श्री गुंडाल कोंडा रेड्डी, पु/श्री राघव रेड्डी	कोत्ता सिंगरबोटल पालेम
नी प्लै सं.27, कन्दुकुरु - II	श्री ताडिकोंडा रमणय्या, पु/श्री रामय्या	कुनिपालेम
नी प्लै सं.28, कलिगिरी	श्री नलदाल सुधाकर राव, पु/श्री पुल्लय्या	कोत्तुरु
नी प्लै सं.29, डी.सी.पल्ली	श्री सीएच सुब्बारायुडू, पु/श्री वेंकटस्वामी नायुडू	नेल्लुरीपालेम
नी प्लै सं.35, कनिगिरी	श्री गवदकट्टला बोडेय्या, पु/श्री अल्लूरय्या	नागुलवरम (इम्मडिचेरुवु)
आन्ध्र प्रदेश : द का मि क्षेत्र		
नी प्लै सं.31, वेल्लमपल्ली- II	श्री गोल्लपूडी श्री रमणमूर्ति, पु/श्री रामचन्द्रय्या	तेल्लपाडू
नी प्लै सं.20, ओंगोल - I	श्रीमती वड्डेल भारती, प/श्री वर प्रसाद	मंगमूरु
नी प्लै सं.23, ओंगोल - II	श्री बंडारु रामांजनेयुलू, पु/श्री आंजनेयुलू	केसिनेनी वारी पालेम
नी प्लै सं.24, टंगुदूर - I	श्री पामिडी कृष्णय्या, पु/श्री सुब्बय्या	टंगुदूर
नी प्लै सं.34, टंगुदूर - II	श्री चल्ला वेंकट रेड्डी, पु/श्री रामी रेड्डी	वल्लुरु
नी प्लै सं.25, कोंडेपी	श्री नागिनेनी वास्कर चौधरी, पु/श्री सुब्बाराव	पैडीपाडू
आन्ध्र प्रदेश : उहमि क्षेत्र		
नी प्लै सं.15, तोर्रेडू	श्री वाकलपूडी रामबाबू, पु/श्री अरव राजू	मिर्ती पाडू
नी प्लै सं. 17, देवरपल्ली	श्री गादे मुनेश्वर राव, पु/श्री रामचंद्र राव	येरनगूडेम
नी प्लै सं. 18, जे.आर.गूडेम - I	श्री वेमिशेट्टी हरि सत्यनारायण, पु/श्री कृष्णा राव	पूटगटल गूडेम
नी प्लै सं. 32, जे.आर.गूडेम - II	श्री पिन्नमनेनी श्रीनू, पु/श्री कृष्णा राव	पामुलवारी गूडेम
नी प्लै सं. 30, कोय्यलगूडेम	श्री मिल्लिन सूर्री बाबू, पु/श्री गोपीचंद	डिप्पकायलपाडू
नी प्लै सं. 33, गोपालपुरम	श्री दुगिराल कोंडलरायुडू, पु/श्री सत्यनारायण	वेल्लचिंतल गूडेम

पुरस्कार प्राप्त व्यापारीगण

क्र.सं.	निर्यातक का संवर्ग	निर्यातक का नाम
1	2018 उत्तम निर्यातक - 2017-18 में अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में उच्चतम मूल्य - निर्माणकर्ता निर्यातक संवर्ग	आईटीसी लिमिटेड, कोलकत्ता
2	2018 उत्तम निर्यातक - 2017-18 में अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में उच्चतम मूल्य - व्यापारी निर्यातक संवर्ग	पोलीशेड्री सोमसुन्दरम, गुण्टूर
3	2018 उत्तम निर्यातक - 2017-18 में तम्बाकू उत्पादों के निर्यात में उच्चतम मूल्य - कट तम्बाकू संवर्ग	गाडफ्रे फिलिप्स हंडिया लिमिटेड, मुंबई
4	2018 उत्तम निर्यातक - 2017-18 में तम्बाकू उत्पादों के निर्यात में उच्चतम मूल्य - सिगरेट संवर्ग	आईटीसी लिमिटेड, कोलकत्ता
5	2018 उत्तम पेकर - 2017-18 में अनिर्मित तम्बाकू थ्रेशड/रीड्रयड और पैकेड के अधिकतम परिमाण	आईटीसी लिमिटेड, कोलकत्ता
6	2018 उत्तम क्रेता - 2017 में कर्नाटका नीलामियों & 2018 आं.प्र.नीलामियों में एफसीवी तम्बाकू के उच्चतम परिमाण खरीद - निर्माणकर्ता निर्यातक संवर्ग	आईटीसी लिमिटेड, कोलकत्ता
7	2018 उत्तम क्रेता - 2017 में कर्नाटका नीलामियों & 2018 आं.प्र.नीलामियों में एफसीवी तम्बाकू के उच्चतम परिमाण खरीद - व्यापारी निर्यातक संवर्ग	पोलीशेड्री सोमसुन्दरम, गुण्टूर
8	2018 उत्तम क्रेता - 2017 में कर्नाटका नीलाम & 2018 आं.प्र.नीलामियों में क्रयित एफ सी वी तम्बाकू के उच्चतम परिमाण-डीलर संवर्ग उक्त कंपनी विचाराधीन अवधि याने., 2017 केके & 2018 आं.प्र. नीलाम के दौरान डीलर के रूप में पंजीकृत किये थे लेकिन नवंबर 2018 के दौरान निर्यात संवर्ग के रूप में परिवर्तन हुए।	प्रगती टोबाको ट्रेडर्स (आई) (प्रा) लिमिटेड, टंगुटूर
9	2018 स्ट्रेवर पुरस्कार - पिछले 3 वर्ष याने, 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात के मूल्य में उच्चतम निरन्तर औसत वृद्धि दर के लिए।	कार्टेल टोबाकोस, चिलकलूरीपेट
10	2017-18 के लिए किसानों के क्षेत्रों में उत्तम बिस्तार एवं विकासात्मक कार्यकलापों के लिए पुरस्कार	आईटीसी लिमिटेड, कोलकत्ता

सम्मान प्राप्त कर्मचारीगण :

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यरत् स्थान
1	सीएच. वी. मारुती प्रसाद	प्रबंधक (विस्तार)	मु.का, गुण्टूर
2	एच.के. महादेवय्या	नीलाम अधीक्षक	नी.प्लै.सं.5, पेरियपट्टना - II
3	आर. श्रीनिवासुलु नायडू	नीलाम अधीक्षक	नी.प्लै.सं.31, वेल्लमपल्ली - II
4	सीएच. येसुदास	सहायक प्रबंधक (ले)	नी.प्लै.सं.32, जे.आर.गूडेम - II
5	जी.बी. सुब्बाराव	क्षेत्र अधिकारी	नी.प्लै.सं.31, वेल्लमपल्ली - II
6	अमल डी. साम	क्षेत्र अधिकारी	प्रा.प्र.का, मैसूर
7	एमडी. मुजिबुद्दीन	लेखाकार/सहायक	मु.का, गुण्टूर
8	डी.जी.लिंगराजू	लेखाकार/सहायक	नी.प्लै.सं.2, हुन्सूर - I
9	वाई. श्रीनिवासराव	कंप्यूटर प्रचालक	नी.प्लै.सं.24, टंगुटूर - I
10	आर. महेश	उश्रेलि	नी.प्लै.सं.32, जे.आर.गूडेम - II
11	जी.एस. नागराजू	उश्रेलि	नी.प्लै.सं.6, पेरियपट्टना - III
12	ए. सुनीता	निश्रेलि	नी.प्लै.सं.23, ओंगोल - II
13	के. सुब्रह्मण्यम	निश्रेलि	नी.प्लै.सं.7, रामनाथपुरा - I
14	आर.एन.वी.अप्पलाचार्युलु	आशुलिपिक	मु.का, गुण्टूर
15	एम.शिव शंकर राव	वाहन चालक	मु.का, गुण्टूर
16	सी एम ए जलील अहमद	नीलाम अधीक्षक	मु.का, गुण्टूर
17	एस आर श्री हर्षा	क्षेत्र अधिकारी	नी.प्लै.सं.27, कन्दुकुरु - II
18	बी.सुधीर बाबू	व क्षे स	नी.प्लै.सं.33, गोपालपुरम
19	एन नागेश्वर राव	एमटीएस	नी.प्लै.सं.17, देवरपल्ली
20	टी एन राममूर्ती	एमटीएस	नीलाम निदेशालम, बेंगलूर
21	डी जी शिव कुमार	क्षे स	नी.प्लै.सं.2, हुन्सूर - I
22	ए. मुत्तु कुमरन	क्षे स	नी.प्लै.सं.28, कलिगिरी
23	कोय्यलगुडेम नी. प्लैटफार्म	उत्तम हरियाली रखरखाव केलिए	
24	हुन्सूर - III, नी.प्लै.सं.64	हरियाली वृद्धि के उत्तम प्रयासों केलिए	



तम्बाकू बोर्ड

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
जी.टी.रोड, गुण्डूर - 522004 (आन्ध्र प्रदेश)
फोन : 0863 - 2358399



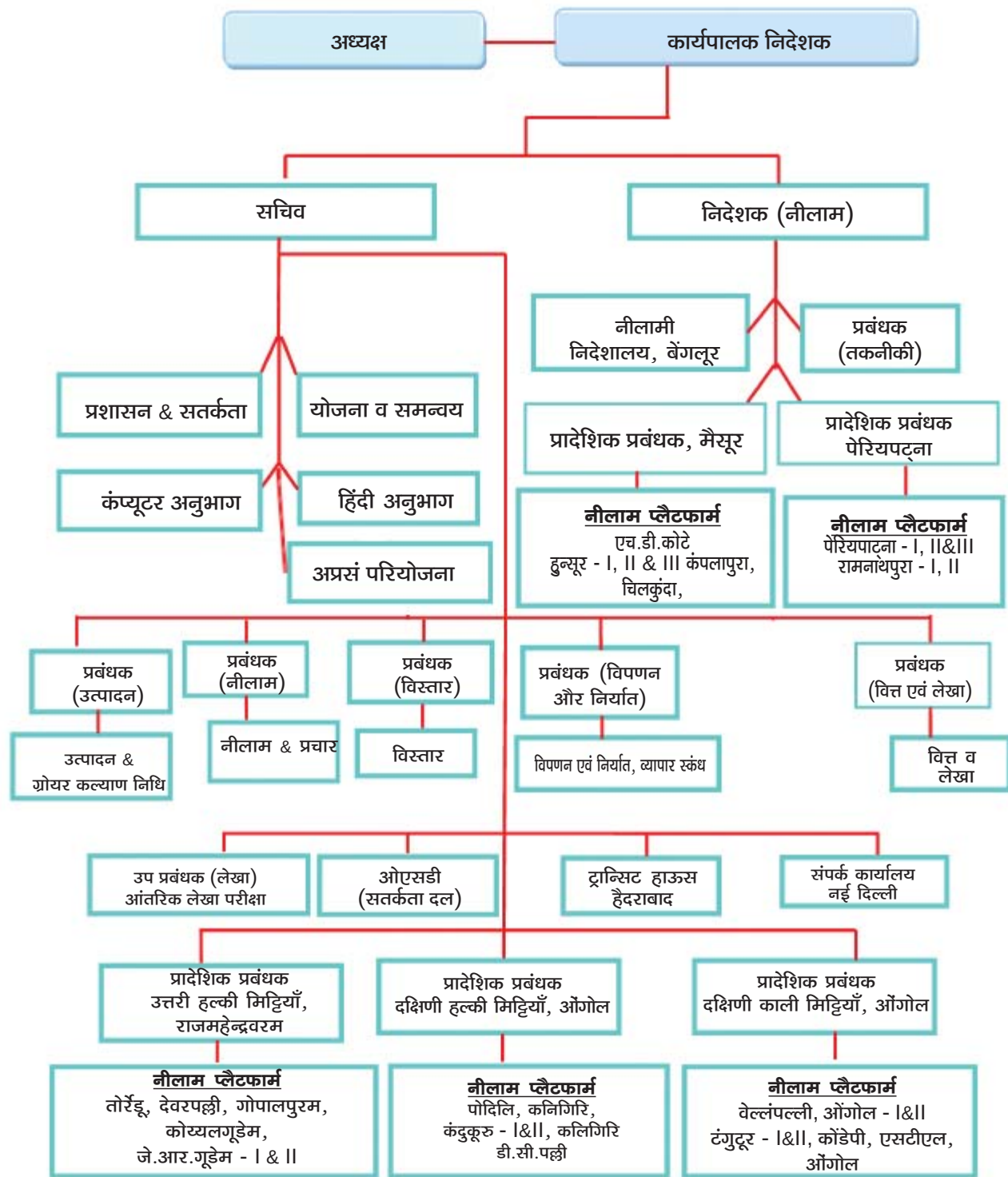
वर्ष 2018 में तम्बाकू बोर्ड के उत्तम किसान पुरस्कार प्राप्त ग्रोयर

 तौरु नीलाम केन्द्र श्री वक्कलपूडी रामबाबू मिर्तीपाडू गाँव ग्रा.सं. 15-011-081	 देवरपल्ली नीलाम केन्द्र श्री गादे मुनेश्वर राव येरनगुडेम गाँव ग्रा.सं. 17-052-007	 जे.आर.गुडेम-1 नीलाम केन्द्र श्री वेमिशेट्टी हरि सत्यनारायण पूटगुटल गुडेम गाँव ग्रा.सं. 18-092-051
 जे.आर.गुडेम-2 नीलाम केन्द्र श्री पिन्नमनेनी श्रीनू पामुलवारी गुडेम गाँव ग्रा.सं. 18-150-044	 कोयलगुडेम नीलाम केन्द्र श्री मिल्लिन सूरी बाबू डिप्पकायलपाडू गाँव ग्रा.सं. 30-011-061	 गोपालपुरम नीलाम केन्द्र श्री दुग्गिराल कोंडलरायडू वेल्चिंतल गुडेम गाँव ग्रा.सं. 17-022-333
 पोदिली नीलाम केन्द्र श्री आवुलूरी कोटेश्वर राव केवालपाडू गाँव ग्रा.सं. 22-025-031	 कन्दुकुरु - 1 नीलाम केन्द्र श्री गुंडाल कोंडा रेड्डी कोत्ता सिंगरबोटल पालेम गाँव ग्रा.सं. 26-055-029	 कन्दुकुरु - 2 नीलाम केन्द्र श्री ताडिकोंडा रमणय्या कुनिपालेम गाँव ग्रा.सं. 27-029-057
 कलिंगिरी नीलाम केन्द्र श्री नलदाल सुधाकर राव कोलुरु गाँव ग्रा.सं. 28-137-181	 डी.सी.पाल्ली नीलाम केन्द्र श्री सीएच सुब्बारायडू नेल्लुरीपालेम गाँव ग्रा.सं. 29-033-014	 कनिगिरी नीलाम केन्द्र श्री गवदकट्टला वोडेय्या नागुलवरम (इम्मडिचेरु) गाँव ग्रा.सं. 23-240-043
 वेल्मपल्ली नीलाम केन्द्र श्री गोल्लपूडी श्री राममूर्ति तेल्लपाडू गाँव ग्रा.सं. 19-143-154	 ऑंगोल - 1 नीलाम केन्द्र श्रीमती वडेल्ल भारती मंगमूरु गाँव ग्रा.सं. 20-061-091	 ऑंगोल - 2 नीलाम केन्द्र श्री बंडारु रामांजनेयुलू केसिनेनी वारी पालेम गाँव ग्रा.सं. 19-135-010
 टंगुटूर - 1 नीलाम केन्द्र श्री पामिडी कृष्णय्या टंगुटूर गाँव ग्रा.सं. 24-025-146	 टंगुटूर - 2 नीलाम केन्द्र श्री चल्ला वेंकट रेड्डी वल्लुरु गाँव ग्रा.सं. 24-009-373	 कोंडेपी नीलाम केन्द्र श्री नागिनेनी वास्कर चौधरी पैडीपाडू गाँव ग्रा.सं. 25-02-158
 एच.डी.कोटे नीलाम केन्द्र श्री रुद्रप्पा अन्नूर गाँव ग्रा.सं. 1-081-063	 हुन्सूर - 1 नीलाम केन्द्र श्री बसवराज नायक गवदगैरे गाँव ग्रा.सं. 2-311-035	 हुन्सूर - 2 नीलाम केन्द्र श्री बसवराजप्पा यू.जी.हल्ली गाँव ग्रा.सं. 3-356-069
 हुन्सूर - 3 नीलाम केन्द्र श्री सोमशेखरा तिप्पलापुरा गाँव ग्रा.सं. 64-147-139	 कंपलापुरा नीलाम केन्द्र श्री तम्मन्नैगौडा मंदि कोप्पल गाँव ग्रा.सं. 61-056-057	 चिलकुंदा नीलाम केन्द्र श्री परमेश हरिलपुरा गाँव ग्रा.सं. 62-026-106
 पेरियपट्टना - 1 नीलाम केन्द्र श्री वीरेंद्र कुमार मालंगी गाँव ग्रा.सं. 4-042-134	 पेरियपट्टना - 2 नीलाम केन्द्र श्री शिवन्ना केल्लुरु गाँव ग्रा.सं. 5-036-084	 पेरियपट्टना - 3 नीलाम केन्द्र श्री सन्नैगौडा एच. कावल गाँव ग्रा.सं. 6-031-034
 रामनाथपुरा - 1 नीलाम केन्द्र श्री नागराजू हंगल गाँव ग्रा.सं. 7-070-022	 रामनाथपुरा - 2 नीलाम केन्द्र श्री धर्मगौडा सिरिदहल्ली गाँव ग्रा.सं. 7-167-037	

31/03/2019 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दर्शानेवाली तालिका

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल	
		मंजूर	मौजूदा
ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध			
1	अध्यक्ष	1	0
2	कार्यपालक निदेशक	1	0
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	1
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	10
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	54
8	सहायक प्रबंधक (लेखा)	33	29
9	सांख्यिकीय अधिकारी	1	0
10	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	96
ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध			
11	प्रोग्रामर	1	1
12	हिंदी अधिकारी	1	0
13	नि.स., अध्यक्ष	1	1
14	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	62
15	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
16	आशुलिपिक ग्रेड - I	1	1
17	लेखाकार	33	18
18	वरिष्ठ अन्वेशक	1	0
19	सहायक	13	0
20	संख्यिकीय सहायक	1	1
21	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
22	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
23	विशेष श्रेणी चालक	1	0
	उप कुल	146	86
ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध			
24	कम्प्यूटर प्रचालक	27	25
25	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
26	उ. श्रे. लि.	43	32
27	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	45	21
28	क्षेत्र सहायक	158	97
29	नि. श्रे. लि	52	38
30	हिन्दी टंकक	2	1
31	चालक	31	19
32	गेस्टेटर ऑपरेटर	1	0
33	बहु कार्य कर्मचारी	140	53
	उप कुल	503	289
	महायोग	754	471

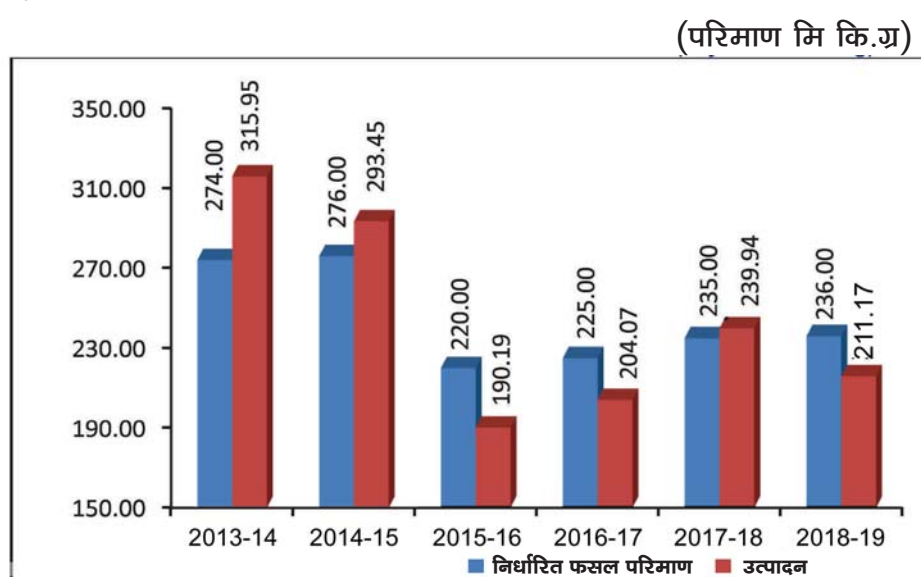
तम्बाकू बोर्ड का संगठन चार्ट



फसल योजना और नियंत्रण

I) भारत में एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले छः वर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता जा रहा है। यह विस्तृत अस्थिरता उपज पर वातावरण का प्रभाव, साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिबिम्बित करता है। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2013-14 से 2017-18 तक) -5.36% और इस वर्ष 2018-19 को मिलाकर -6.15% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) दर्ज किया था।



*2018-19 आकलित

II) 2018-19 के लिए एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन नीति :

2018-19 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने 2017-18 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 235 मिलियन कि.ग्रा. परिमाण के लिए 236 मिलियन कि.ग्रा. तक एफ सी वी तम्बाकू की कृषि के लिए फसल परिमाण को बढ़ाया। कर्नाटका राज्य के लिए पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित 99 मिलियन कि.ग्रा. के लिए 100 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण को निर्धारित किया। आन्ध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड ने, 2018-19 फसल मौसम के लिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण को निर्धारित किया था।

III) 2018-19 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतायाँ :

2018-19 फसल मौसम के दौरान उत्पादन नियंत्रण करने के लिए विस्तृत नीति- ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की कृषि पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफ सी वी तम्बाकू कृषि (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना नीति का उद्देश्य है।

- एफ सी वी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्राहकों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चितता तथा भविष्य में बाजार समस्याओं को दोहराने से रोकने के लिए खूंटियों (तना) के साथ व्यावहार करना होगा।
- एफ सी वी तम्बाकू कृषि को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान-परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति न देना। इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित कराना।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्राहकों, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किया है और अप्राधिकृत तम्बाकू की कृषि को अपनाये है, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना।

IV) 2018-19 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टियाँ :

2018-19 फसल मौसम के दौरान ग्राहकों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखा गया था।

- 2017-18 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्राहकों/बखारों को वर्ष 2018-19 में, बशर्ते कि ग्राहक एक योग्य बखार का मालिक हो और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो और तम्बाकू बोर्ड अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न करने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे।
- नये बखारों के निर्माण करने के द्वारा एफ सी वी तम्बाकू कृषि को अपनाने कोई नये ग्राहक को अनुमति नहीं दिया जायेगा और एफ सी वी तम्बाकू कृषि के लिए नये प्रांतों को अनुमति नहीं किया जायेगा। नये बखारों को निर्माण करने अनुज्ञाप्ति नहीं दिया जायेगा।
- ग्राहकों, जिन्होंने 2017-18 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा।
- ग्राहक आवेदकों, जिन्होंने 2017-18 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की कृषि और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिटर्न को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लेटफार्मों में विक्रय नहीं किये थे, को निर्धारित जुर्माना भुगतान करने के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा।
- ग्राहक आवेदकों, जिन्होंने 2017-18 फसल मौसम के लिए पंजीकृत किये थे, लेकिन 50% का कोटा या कम को विक्रय किये थे, को निर्धारित जुर्माना का भुगतान के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा।
- पंजीकृत ग्राहक, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखार धारक हो, को (अपना) अप्राधिकृत बखार को डिसफन्क्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे।
- ग्राहक आवेदकों, जो अनुज्ञाप्ति क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बखार अयोग्य बखार/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञाप्ति के लिए माँग/3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए ब्रेक-इन रजिस्ट्रेशन/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये थे, वे 2018-19 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे।

- भारत सरकार के पत्र दि. 17/01/2018, सं. 09/11/2016 - ई.पी. (अग्नी - III) आदेशों के अनुसार एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत नया बखार का निर्माण या अप्राधिकृत बखारों की नियमितीकरण के द्वारा एक प्लैटफार्म से दूसरे प्लैटफार्म को शिफ्टिंग के आधार पर बखारों की बिक्री/खरीद करने के लिए दि. 30/09/2018 तक अनुमति दी।

V) 2018-19 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा:

2018-19 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में कृषि के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्रति बखार केलिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश

मिट्टी क्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा./बखार)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
उत्तरी हल्की मिट्टी (उ ह मि)	1.50	1.50	3,300	3,000
दक्षिणी हल्की मिट्टी (द ह मि)	2.60	2.60	3,500	3,500
दक्षिणी काली मिट्टी (द का मि)	1.60	1.60	3,460	3,460
उत्तरी काली मिट्टी (उ का मि)	1.20	1.20	2,600	2,600

* उ ह मि में पू ह मि भी शामिल है ।

कर्नाटका

बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा./बखार)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
सिमप्लेक्स बखार	1.30	1.30	1,750	1,725
डुप्लेक्स बखार	2.60	2.60	3,500	3,450

VI) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2018-19 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू का आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया। एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य/ अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयर्स को अपील करने के लिए सार्वजनिक प्रचार साधन जैसे., पोस्टर, करपत्रों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, सही संदेशों को प्रसार करने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग, आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किये गये। 2018-19 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा गाँवों में सामूहिक बैठकों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 129 ग्रोयर बैठकें और कर्नाटका में 184 ग्रोयर बैठकें बोर्ड द्वारा को आयोजित किये गये।



VII) 2018-19 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण :

2018-19 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए कुल मिलाकर 87,040 ग्रोयरों ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे। इसमें आन्ध्र प्रदेश में 39,598 बखारों को कवर करते हुए 44,583 ग्रोयरों तम्बाकू कृषि के लिए पंजीकृत किये थे। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन के लिए पंजीकृत 73,128 हे. क्षेत्र के लिए वास्तव में 76,950 हे. के क्षेत्र में रोपण हुआ था। कर्नाटका में, 55,686 बखारों को कवर करते हुए 42,457 ग्रोयरों तम्बाकू कृषि के लिए पंजीकृत किये गये। कर्नाटका में एफ सी वी तम्बाकू के अंतर्गत 72,391 हे. क्षेत्र प्राधिकृत किया गया और 83,696 हे. में रोपण हुआ था।

VIII) 2018-19 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट : नर्सरी :

2018-19 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 721.57 हेक्टायर था। नर्सरी के अंतर्गत क्षेत्र, जो पिछले वर्ष की (741.70 हे) की तुलना में 3% घट गया। अधिकाधिक ग्रोयर पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकरूपी वृद्धि को प्राप्त करने के नर्सरी को अपनाये थे। नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही तथा पेस्ट तथा बीमारियों से मुक्त रहा है। इस मौसम के दौरान बीजों की अपूर्ति स्थिति अच्छी रही।

कंचन एक बोया हुआ प्रधान किस्म है, जो बोया हुआ नर्सरी क्षेत्र याने., 478.23 हे. से लगभग 66% का हिस्सा अपना लिया। सीएच - 3 और एफसीएच -222 संकर किस्मों बाकी 34% क्षेत्र को हासिल किया।

प्रधान क्षेत्र

मई, 2018 महीने के दौरान समय पर प्राप्त वर्षा सभी क्षेत्रों में यथासमय प्लानटेशन को अपनाने में सहायता किया और इस वर्ष के दौरान कर्नाटका में लगभग मई महीने में ही प्लानटेशन समाप्त हुए। कर्नाटका में, 2018-19 के दौरान रोपित एफसीवी तम्बाकू क्षेत्र याने., पिछले वर्ष में रोपित क्षेत्र 81,083 हे. केलिए 3% क्षेत्र अधिक होकर कुल 83,696 हे.में रोपित किया गया। कुल रोपित क्षेत्र में 63% कंचन किस्म (52,931 हे.) के अंतर्गत रहा था, बाकी 37% का हिस्सा सीएच - 3 (30,459 हे.) और एफसीएच - 222 (306 हे.) मिश्र किस्मों के अंतर्गत रहा था।



प्लानटेशन संवर्ग	2018-19		2017-18	
प्रारंभिक प्लानटेशन (31 मई से पहले)	83,696 हे.	100%	81,083 हे.	100%
मध्य प्लानटेशन (जून 1 से 15 जून तक)	0.00	0%	0.00	0%
देरी प्लानटेशन (जून 16 से)	0.00	0%	0.00	0%
कुल	83,696 हे.	100%	81,083 हे.	100%

कर्नाटका में फसल वृद्धि :

प्रारंभ में प्रधान क्षेत्र में फसल की स्थिति सुव्यवस्थित रहा था। अगस्त महीने की दूसरी पक्ष में फसल को सामान्य से भारी वर्षा प्राप्त हुई, जिससे पत्ता विकास कम होने के कारण निम्न उपज प्राप्त हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान दुबला-पतला / पतला क्यूर्ड पत्ता उत्पादन हुआ है।



पेस्ट तथा बीमारियाँ :

इस मौसम के दौरान प्रधान क्षेत्र में कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं की गई।

फसल & क्यूरिंग :

प्रति बखार के लिए औसत 6-7 क्यूरिंगों को अपनाये गये। क्यूरड पत्ता नींबू रंग के साथ अधिकाधिक मध्य श्रेणियों का रहे थे।



पैदावार :

इस वर्ष पत्ता की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में कम रही तथा 1000-1100 कि.ग्रा/हे के बीच रहा था। 2017-18 में 21:45:34 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 106.89 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के शब्दों में क्रमशः 23:46:31 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 85.08 मिलियन कि.ग्रा. का आकलित फसल विपणन हुआ है।

IX. 2018-19 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 के दौरान, जो पिछले वर्ष में बोया गया 370.11 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 402.92 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। इस मौसम के दौरान कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं मिली। सीडिलिंगों का मूल्य, दहमि और दकामि क्षेत्रों में लगभग ₹1,000/- से ₹2,000/- प्रति गठरी केलिए मूल्य रहे। उ ह मि क्षेत्र में प्रति गठरी का मूल्य लगभग ₹3,500/- तक रहे थे।



किस्म :

दक्षिण हल्की मिट्टियों और परंपरागत काली मिट्टी क्षेत्रों में बोया जाने वाले “सिरी” एक प्रधान किस्म है, जो कुल क्षेत्र में लगभग 98% का हिसाब रहा था। अन्य बोया जाने वाले किस्मों में एन - 98, जी - 11 (हेमा) और वीटी - 1158 आदि थे। उ ह मि क्षेत्र में, एलवी - 7 किस्म (मिश्र) जो कुल नर्सरी क्षेत्र में 84% का हिसाब रहा था। उ ह मि क्षेत्र में बोया जाने वाले अन्य किस्मों में के - 326 रहा था।

प्रधान क्षेत्र :

2017-18 फसल मौसम के दौरान रोपित 70,317 हे. के विपरीत आन्ध्र प्रदेश में कुल 76,950 हे. क्षेत्र में एफ सी वी तम्बाकू रोपित किया गया था। क्षेत्र में वृद्धि लगभग 9% है। 2018-19 के दौरान प्रारंभिक रोपित फसल कम है (5,695.30 हे.), जो कुल रोपित क्षेत्र में 7% हिसाब रहा था। 57% का फसल (43,588.30 हे.) 15 अक्टूबर और 15 नवंबर (मध्य प्लानटेशन) के बीच रोपित किया गया है और 36% फसल देरी से रोपित (27,666.32 हे) याने., नवंबर की दूसरे पक्ष में रोपित किया गया।

दक्षिण हल्की मिट्टी और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में पैदा किये जाने वाले ‘सिरी’ एक प्रधान (54,418.77 हे.), जो इन क्षेत्रों के अन्तर्गत रोपित कुल क्षेत्र में 99% का हिसाब रहा था। बाकी क्षेत्र एन - 98, जी - 11 (हेमा), और वीटी - 1158 किस्मों के अंतर्गत रहा था। उत्तरी हल्की क्षेत्रों में एलवी - 7 किस्म (मिश्र) (15,881.35 हे.) प्रधान बोया जाने वाले किस्म है, जो 78% क्षेत्र का हिसाब रहा था। उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्रों में ‘सिरी’ एक प्रधान (1,387.30 हे.) किस्म और एलवी - 7 (109.60 हे) किस्म कुछ क्षेत्रों में पैदा किया गया था।

प्लानटेशन संवर्ग	2018-19		2017-18	
प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	5695.30	7%	5,602.46	8%
मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	43,588.30	57%	42,798.91	61%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	27,666.32	36%	21,915.23	31%
कुल :	76,950.00	100%	70,317.00	100%

आन्ध्र प्रदेश में फसल वृद्धि :

उत्तर हल्की मिट्टियाँ (उहमि) फसल :

इस वर्ष उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्रों में 20,288.45 हे.क्षेत्र में कुल प्लानटेशन, जो 2017-18 में रोपित 21,635.05 हे. की तुलना में 6% कम हो गया था। पिछले वर्ष की तुलना में मानसून की प्रारंभ देरी होने के कारण इस मौसम के दौरान अधिकाधिक फसल मध्य में रोपित किये गये। प्रारंभ फसल में आरेबान्खे के प्रभाव नोटीस किये गये थे और इससे प्रारंभिक 5 क्यूरिंग प्रभावित हुए थे। दि. 17 से 19 दिसंबर, 2018 के दौरान प्राप्त पेटार्च चक्रवात वर्षा इस फसल को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप रोपण ठहर गया और अप्लैंड पोषकतत्व याने., नेट्रेजेन और पोटेशियम आदि., का विक्षालन एतद्द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पैदावार कम हो गई। देरी फसल की वृद्धि संतोष जनक रही और औसत पैदावार प्राप्त हो गई। कुल मिलाकर, उहमि फसल की पैदावार और गुणवत्ता पिछले वर्ष की तुलना में औसत प्राप्त हुई।

दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि) फसल :

इस वर्ष दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्रों में 34,139 हे. क्षेत्र में कुल प्लानटेशन, जो 2017-18 में रोपित 29,409 हे.की तुलना में 16% वृद्धि हुई। मानसून की देरी से प्रारंभ होने के कारण इस वर्ष के दौरान रोपण देरी हुई है और नवंबर महीने के दूसरी पक्ष में किसान रोपण कार्य शुरू कर दिये गये। बाद में, दिसंबर और जनवरी महीनों के दौरान फसल सूखा परिस्थिति का अनुभव किया और



किसानों, जो सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उन्होंने फसल को जीवन - रक्षा सिंचाई दिये। सभी प्लैटफार्म क्षेत्रों में 5-10% ओरेबान्खे का प्रभाव नोटीस किया गया। इस वर्ष सूखा स्थिति के साथ संयोजित ओरेबान्खे प्रभाव के कारण फसल की पैदावार और फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई। कुल मिलाकर, पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार इस मौसम के दौरान कम हुई।

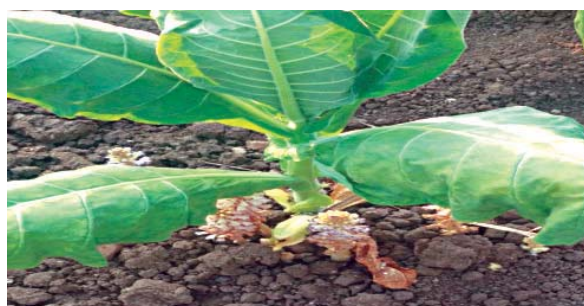
पारंपरिक काली मिट्टियाँ (पा का मि) फसल :

दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों के अंतर्गत कुल रोपित क्षेत्र, जो 2017-18 में रोपित 17,934 हे की तुलना में 17% वृद्धि के साथ 21,025 हे. रहा था। अधिकाधिक फसल, जो अक्टूबर महीने के दौरान वर्षा की कमी के कारण, 15 नवंबर के बाद रोपित किया गया था। यह फसल प्रधान वृद्धि अवधि के दौरान सूखा अवधि का अनुभव किये थे तथा अधिकांश किसान सिंचाई में लग गये थे। इस वर्ष दहमि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में गंभीर ओरेबान्खे का आपतन नोटीस किये गये। इस वर्ष सूखा और ओरेबान्खे आपतन के कारण फसल पैदावार कम हुई और क्यूरिंग में 50 प्रतिशत निम्न श्रेणियों की सूचना मिली। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में फसल को 'औसत' श्रेणी के रूप में दर्ज किया गया है।

2018-19 के दौरान उत्तरी काली मिट्टी (उकामि) क्षेत्र में कुल 1,497 हे. क्षेत्र में प्लानटेशन, जो पिछले वर्ष के दौरान रोपित क्षेत्र की तुलना में 12% बढ़ गया है। पेथाई चक्रवात वर्षा के कारण लगभग 15-20 दिनों तक कृषि क्षेत्रों में पानी खड़ा हुआ था। इस वर्ष के दौरान पोषकों की विशालन के कारण इस वर्ष फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुए और निम्न श्रेणी का आऊटटर्न पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा था।

पेस्ट तथा बीमारियाँ :

इस वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों में ओरेबान्खे प्रभाव देखी गयी है। इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की तुलना में दक्षिण काली मिट्टी के साथ-साथ दक्षिणी हल्की मिट्टियों में गंभीर घटनाएँ देखी गईं। इस के कारण दक्षिण काली मिट्टी और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में फसल की उपज और गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हुई।



पैदावार :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्र में औसत 8-10 क्यूरिंगों को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी & दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में केवल औसत 5-7 क्यूरिंगों को अपनाये गये। फसल की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में अधिकाधिक निम्न श्रेणियों के साथ कम रहा। उहमि क्षेत्र में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 30:27:43 रहा था और द का मि क्षेत्र में क्रमशः 20:30:50 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा था। उ का मि क्षेत्र और उहमि क्षेत्र में क्रमशः 40:30:30 और 44:36:20 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा था।



उपज :

आन्ध्र प्रदेश में आकलित एफसीवी तम्बाकू उत्पादन 126.29 मिलियन कि.ग्रा रहा है। उहमि में अनुमानित उत्पादन 43.33 मिलियन कि.ग्रा रहा है। दहमि और दकामि क्षेत्रों में अनुमानित उत्पादन क्रमशः 43.18 और 37.28 मिलियन कि.ग्रा. रहा है। उकामि क्षेत्र में 2.50 मिलियन कि.ग्रा उत्पादन रहा है। दहमि क्षेत्र में 1265 कि.ग्रा/हे. और काली मिट्टी क्षेत्र में 1826 कि.ग्रा./ हे. अनुमानित औसत पैदावार रहा था। उहमि क्षेत्र में औसत पैदावार 2136 कि.ग्रा/हे रहे थे।

X. 2018-19 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 फसल मौसम और कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के दौरान प्राधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों में से 7.5% के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया। प्राधिकृत 10% कोटा सीमा से अधिक पंजीकृत ग्राहकों के द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो के अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों में से 15% के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया। यह कोटाओं को पुनः समायोजन और पंजीकृत ग्राहकों के नाम पर अतिरिक्त तम्बाकू के रूप में, जो अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री से दूर कराने बोर्ड को सहायता दी।

XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों की प्रोन्नति :

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार अपने सूचना सं.पं. 5/2/2018 - ईवी (अग्रि -VI), दि. 06/07/2018 द्वारा तम्बाकू बोर्ड के लिए वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित के आर ए को मंजूर दी है।

‘आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य कृषि विभागों द्वारा आरकेबीवाई के अंतर्गत कार्यान्वित फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीवी) के अनुसार केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (के तं अ सं) के समन्वय से प्रधान तम्बाकू क्षेत्रों में एफ सी वी तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के द्वारा वैकल्पिक फसलों का प्रमोशन करना”

इससे संबोधित बोर्ड द्वारा लिये गये कार्रवाई निम्नानुसार है :

तम्बाकू बोर्ड आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के राज्य कृषि विभाग के समन्वय से वैकल्पिक फसलों को शिफ्टिंग करने के लिए एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयर्स के बीच राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) के बारे में जागरूकता पैदा किया। 2018-19 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने के त अ सं और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के कृषि विभाग के सहयोग से प्रधान तम्बाकू क्षेत्र याने., आन्ध्र प्रदेश में वेल्लमपल्ली, कोडेपी, टंगुटूर, कन्दुकुरु, टी. मुस्तापुरम, जंगारेड्डी गूडेम और देवरपल्ली में और कर्नाटका में हुन्नूर और मैसूर में एफसीवी तम्बाकू के स्थान में अन्य अर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रोयर्स के लिए जागरूकता बैठकें आयोजित किये थे।

XII. फसल डामेज :

क. कर्नाटका

जुलाई और आगस्त, 2018 महीनों में हुई लगातार भारी वर्षाओं से मैसूर, कोडगू और हसन जिला में एफ सी वी तम्बाकू को नुकसान पहुँचा। उर्वरकों की लीचिंग और पौधों में पोषक तत्वों की कमी और प्रकाश संश्लेषक (फोटोसिंथेटिक) गतिविधियों के कारण पौधे की वृद्धि और पत्तों के विस्तार में कमी के कारण एफसीवी तम्बाकू की पैदावार कम हो गयी। लगभग 41 बखार आंशिक रूप से डामेज और 116 बखार पूर्ण रूप से डामेज हो गये। बोर्ड ने सचिव - कर्नाटका सरकार, कृषि विभाग, बेंगलूर को अ.शा.पत्र दि. 31/10/2018 सं. 4 (9) / 2018-19 / उत्पाद / कर्ना को एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयर्स को, राज्य राहत प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत फसल और बखार डामेज के लिए हानियों को परिगणना के बाद आवश्यक राहत / मुआवजा रशि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था।

ख. आन्ध्र प्रदेश

i. पेथाई चक्रवात वर्षा :

दिसंबर, 2018 में प्राप्त पेथाई चक्रवात वर्षा के कारण पूर्व गोदावरी जिला में 821 किसानों के 550.14 हे. क्षेत्र और पश्चिम गोदावरी जिला के 59 किसानों के 46.33 हे. क्षेत्र में एफ सी वी तम्बाकू फसल डामेज हो गये। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा एफ सी वी तम्बाकू फसल डामेज अनुमान

किये गये और एसडीआरएफ शर्तों के अनुसार योग्य इनपुट सब्सिडी ₹59.64 लाख था और इसे किसानों को रीलीज किया जा रहा है।

ii. सूखा :

प्रकाशम और एसपीएस नेल्लुरु जिलों में रबी मौसम में कठिन सूखा की स्थिति के कारण एफ सी वी तम्बाकू की फसल की प्रधान वृद्धि अवधि के दौरान नमी का अनुभव किया तथा फसल पैदावार भी कम हुई। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रकाशम जिला के 33 एफ सी वी तम्बाकू उगाने वाले मंडलों को और एसवीएस नेल्लुरु जिला में 9 एफसीवी तम्बाकू उगाने वाले मंडलों को सूखा प्रभावित मंडलों के रूप में घोषित किये और हानियों को परिगणना करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिये। कृषि विभाग के पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकाशम जिला में 33% से अधिक 20,392.61 हे क्षेत्र के फसल डामेज हुई और एफ डी आर एफ के अंतर्गत ₹2039.26 लाख की इनपुट सब्सिडी के लिए 13150 किसान योग्य हो गये।

XIII) एफ सी वी तम्बाकू के लिए वातावरण आधारित फसल बीमा योजना :

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने बोर्ड को निदेश दिया कि ए आई सी लिमिटेड के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए चयनित पैलेट जिलों में (आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिला और कर्नाटका के हसन जिला) में एक पणधारियों की बैठक आयोजित करें। बोर्ड ने चयनित पैलेट जिलों में पणधारियों की बैठकें आयोजित किये थे और चयनित पैलेट जिलों में पैलेट आधार पर योजना को प्रारंभ करने के लिए प्रयास किये। हालांकि, ग्राहकों रैनफाल ट्रिगरों में प्रीमियम राशि की अधिक दरों के कारण योजना में शामिल होने के लिए रुचि नहीं दिखाये थे, जो ग्राहकों को स्वीकार होनी है।

तम्बाकू बोर्ड : : गुण्टूर
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग)
आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 (31/03/2019 तक) फसल मौसम के लिए नीलाम प्लेटफार्म वार रजिस्ट्रेशन विवरण

विवरण	निधीयित फसल परिमाण (मि.कि.ग्रा.)			गोयारों की सं.			वखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
उहमि क्षेत्र															
देवरपल्ली	7.49	0.00	7.49	1887	0	1887	2178.00	0.00	2178.00	3267.00	0.00	3267.00	3161.00	0.00	3161.00
पूहमि				49	0	49	55.00	0.00	55.00	82.50	0.00	82.50	79.00	0.00	79.00
कुल	7.49	0.00	7.49	1936	0	1936	2233.00	0.00	2233.00	3349.50	0.00	3349.50	3240.00	0.00	3240.00
जंगारेड्डी गुडेम-I	10.42	0.00	10.42	2575	0	2575	3108.00	0.00	3108.00	4662.00	0.00	4662.00	4602.00	0.00	4602.00
जंगारेड्डी गुडेम-II	10.57	0.00	10.57	3086	0	3086	3196.34	0.00	3196.34	4794.64	0.00	4794.64	4599.45	0.00	4599.45
कोयलगूडेम	9.71	0.00	9.71	2583	0	2583	2920.60	0.00	2920.60	4381.13	0.00	4381.13	4355.00	0.00	4355.00
गोपालपुरम	7.81	0.00	7.81	1928	0	1928	2343.00	0.00	2343.00	3514.50	0.00	3514.50	3492.00	0.00	3492.00
उप कुल	46.00	0.00	46.00	12108	0	12108	13800.94	0.00	13800.94	20701.77	0.00	20701.77	20288.45	0.00	20288.45
द का मि क्षेत्र															
वेल्लमपल्ली	3.30	5.33	8.63	1165	1580	2745	902.17	1471.29	2373.46	2345.64	2354.07	4699.71	2010.00	2639.60	4649.60
ऑगोल-I	1.34	5.81	7.15	964	1528	2492	628.24	1609.05	2237.29	1421.25	2576.88	3998.13	1798.80	3150.00	4948.80
ऑगोल-II	0.00	8.12	8.12	0	2119	2119	0.00	2291.17	2291.17	0.00	3665.87	3665.87	0.00	3816.40	3816.40
टंगुटूर-I	0.00	6.20	6.20	0	1983	1983	0.00	1807.14	1807.14	0.00	2891.42	2891.42	0.00	3301.00	3301.00
टंगुटूर-II	0.00	5.71	5.71	0	1682	1682	0.00	1639.26	1639.26	0.00	2622.82	2622.82	0.00	2807.97	2807.97
कोंडेपी	4.00	3.90	7.90	2039	1659	3698	1200.40	1208.17	2408.57	3070.24	1933.11	5003.35	3983.20	2234.80	6218.00
उपकुल	8.64	35.07	43.71	4168	10551	14719	2730.81	10026.08	12756.89	6837.13	16044.17	22881.30	7792.00	17949.77	25741.77

विवरण	निर्धारित फसल परीक्षण (मि.हि.ग्र.)			गोयों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
द ह मि क्षेत्र															
पोटिली	9.55	0.79	10.34	4525	273	4798	2527.41	213.35	2740.76	6571.28	341.35	6912.63	6545.30	470.00	7015.30
कंदुकूर-I	6.10	2.06	8.16	2525	756	3281	1776.01	635.00	2411.01	3945.29	1016.00	4961.29	4967.00	1415.00	6382.00
कंदुकूर-II	5.43	1.87	7.30	2124	763	2887	1495.75	532.75	2028.50	3690.92	853.41	4544.33	3997.00	1095.00	5092.00
कनिगिरी	4.71	0.00	4.71	1583	0	1583	1267.87	0.00	1267.87	3296.47	0.00	3296.47	3390.00	0.00	3390.00
कलिगिरी	5.08	0.21	5.29	1535	55	1590	1313.62	59.75	1373.37	3415.44	95.60	3511.04	2872.90	95.60	2968.50
डी सी पल्ली	6.49	0.00	6.49	2243	0	2243	1755.08	0.00	1755.08	4563.21	0.00	4563.21	4575.00	0.00	4575.00
उप कुल	37.36	4.93	42.29	14535	1847	16382	10135.74	1440.85	11576.59	25482.61	2306.36	27788.97	26347.20	3075.60	29422.80
उ ह मि क्षेत्र															
तोरैडू	0.00	4.00	4.00	0	1374	1374	0.00	1463.67	1463.67	0.00	1756.44	1756.44	0.00	1496.90	1496.90
महा योग	92.00	44.00	136.00	30811	13772	44583	26667.49	12930.60	39598.09	53021.51	20106.97	73128.48	54427.65	22522.27	76949.92

आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 फसल मौसम के लिए मिट्टी क्षेत्र वार रजिस्ट्रेशन विवरण

क्षेत्र	फसल परिमाण निर्धारित	गोयार	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	रोपित क्षेत्र (हे.)
उ ह मि	46.00	12,108	13,801	20,701.77	20,288.45
द ह मि	46.00	18,703	12,867	32,319.74	34,139.20
द का मि	40.00	12,398	11,467	18,350.53	21,025.37
उ का मि	4.00	1,374	1,464	1,756.44	1,496.90
कुल	136.00	44583	39,598	73,128.48	76,949.92

**कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म
वार रजिस्ट्रेशन, रोपण विवरण दर्शानेवाली तालिका**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	निर्धारित फसल परिमाण (मिलियन कि.ग्रा)	ग्रायर	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)	रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)
मैसूर क्षेत्र :						
1	एच. डी. कोटे-1& 65	9.01	3683	4895	6363.50	8361.00
3	हुन्सूर-2	7.16	3119	4015	5219.50	6295.00
4	हुन्सूर-3	7.02	3197	3942	5124.60	5815.00
5	हुन्सूर-64	6.08	2642	3417	4442.10	5620.00
6	कंपलापुरा-61	7.53	3262	4205	5465.85	6466.00
7	चिलकुंदा-62	10.63	4474	5936	7716.80	8850.00
	कुल	47.43	20377	26410	34332.35	41407.00
पेरियपट्टना क्षेत्र						
8	पेरियपट्टना-4	11.92	4572	6583	8557.90	8820.00
9	पेरियपट्टना-5	11.19	4713	6249	8123.70	8729.00
10	पेरियपट्टना-6	10.37	4385	5804	7545.20	8188.00
11	रामनाथपुरा-7	10.55	4734	5912	7685.60	9009.00
12	रामनाथपुरा-63	8.54	3676	4728	6146.40	7543.00
	कुल	52.57	22080	29276	38058.80	42289.00
	महा योग	100.00	42457	55686	72391.15	83696.00

नोट : प्रति बखार के लिए कोटा 1750 कि.ग्रा & प्रति बखार के लिए क्षेत्र 1.30 हे.

विस्तार एवं परामर्श सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतियोगी बनाने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नये और बेहतर पैकेज पद्धतियों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफ सी वी तम्बाकू ग्राहकों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (के तं अ सं), राजमहेन्द्री, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एन आई पी एच एम), हैदराबाद और तम्बाकू कंपनियों के अनुसंधान & विकास विंगों के सहयोग से विस्तृत योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यक्रमों निम्नानुसार हैं :

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति।
- तम्बाकू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ।
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

एफ सी वी तम्बाकू किसानों को उत्तम कृषि प्रथाओं (जी ए पी) के अनुसार फसल इनपुटों की मानक सेट का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को विवेचित इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सक्करसाईड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है।

i) एफ सी वी तम्बाकू बीज :

2018-19 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में एफ सी वी तम्बाकू ग्राहकों को के तं अ सं, राजमहेन्द्री और आई टी सी अनुसंधान डिविजन, राजमहेन्द्री के द्वारा 2,271.90 कि.ग्रा. अनुमोदित किस्मों की बीजों की आपूर्ति की।

(परिमाण (कि. ग्रा में)

राज्य	किस्म का नाम						
	कंचन	सीएच 3	जी 11	सिरी	एफ सी एच 222	वीटी 1158	कुल
कर्नाटका	1053.50	516.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1578.00
आन्ध्र प्रदेश	0.00	378.40	14.00	300.00	0.00	1.50	693.90
कुल	1053.50	894.40	14.00	300.00	8.50	1.50	2271.90

ii) उर्वरक :

2018-19 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका में उर्वरकों की खरीदी और वितरण की एक नवीन और वैकल्पिक प्रणाली विकसित की और इसे 2017-18 फसल मौसम में आन्ध्र प्रदेश में लागू किया गया था और 2018-19 फसल मौसम में बोर्ड की भागीदारी के बिना जारी रखा गया था। इस नवीन प्रणाली में, पंजीकृत ग्राहकों को अपने उर्वरक स्वयं खरीदने और वितरण करने का अधिकार है।



यह आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू ग्राहक सहाकारी संघ लिमिटेड (एपी टी जी सी यू एल), ओंगोल, जिला सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (डी सी एम एस), ओंगेलू, आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण क्षेत्र के लिए नेल्लुरु जिला सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नेल्लुरु और उत्तरी क्षेत्र के लिए जिला सहकार विपणन संघ लिमिटेड (डी सी एम एस), एलुरु और कर्नाटका में स्टेट ट्रेड कॉर्पोरेशन (एस टी सी) लिमिटेड की सेवाओं का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक लागू किया गया था। तम्बाकू बोर्ड आपूर्ति की जाने, माँगपत्र और अग्रिम, इनपुट ऋण व्यवस्था, तम्बाकू बोर्ड गोदामों आदि, से लेकर सभी पहलुओं में समर्थन प्रदान किया था। बाहरी स्रोत एजेंसियों ने किसान समिति की सहमति से उर्वरकों की कीमतें, भुगतान की शर्तों, और आपूर्ति सारणी के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति के लिए निर्माणकर्ताओं को आदेश

रख दिये थे। बाहरी स्रोत एजेंसियों और किसानों की समिति दोनों ने राज्य कृषि विभागों की सहायता से उर्वरकों की गुणवत्ता को निगरानी की।

आन्ध्र प्रदेश में (11105.81 एम टी) और कर्नाटका में (28338.80 एम टी) आपूर्तित उर्वरकों के विवरण नीचे दिये गये :

आन्ध्र प्रदेश :

उर्वरक	आपूर्तिकर्ता	परिमाण (एम. टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	जीएसएफसी	1720.45	11540	198.54
	एफएसीटी	113.05	13500	15.26
	उप कुल	1833.50		213.80
डै-अम्मोनियम फास्फेट	आईपीएल	591.75	26600	157.41
	इफको	1453.90	25580	371.91
	उप कुल	2045.65		529.31
सल्फेट ऑफ पोटाश	आई पी एल (दहमि & दकामि)	644.2	43100	277.65
	आईपीएल (उहमि)	2081.10	42420	882.80
	(टीडब्ल्यू) 25किलो	170.49	39420	67.21
	ट्रान्स वरल्ड	37.00	39100	14.47
	(दहमि & दकामि)	382.65	38420	147.01
	ट्रान्स वरल्ड (उहमि)	188.85	34420	65.00
	उप कुल	3504.29		1454.14
पोटाशियम नैट्रेट	सीआईएल एस क्यू एम (मिट्टी)	1325.65	60320	799.63
	येरा (जल)	284.25	75620	214.95
	उप कुल	1609.90		1014.58
कालशियम नैट्रेट	सीआईएलएसक्यू एम	42.26	30240	12.78
	येरा (मिट्टी)	1983.74	32020	635.19
	येरा (जल)	86.47	32020	27.69
	उप कुल	2112.47		675.66
	महा योग	11105.81		3887.50

कर्नाटका :

उर्वरक	आपूर्ति कर्ता	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	जी एस एफ सी	12145.20	10599.50	1287.33
सल्फेट औफ पोटाश	आई पी एल	9517.00	41999.91	3997.13
	टी डब्ल्यू	2628.20	40000.00	1051.28
	उप कुल	12145.20		5048.41
डै अम्मोनियम पास्फेट	सी आई एल	2091.10	22600.00	472.59
	एम सी एफ	1957.30	22762.02	445.52
	उप कुल	4048.40		918.11
	महायोग	28338.80		7253.85

iii. सक्कर नियंत्रण रसायन :

उर्वरकों की आपूर्ति के लिए गठित किसानों की समिति सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति के लिए कोटेशन आमंत्रित करने और वेंडर मूल्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भाग लिया।

कोय्यलगूडेम में दि. 05/12/18 को संपन्न सीओएफ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 फसल मौसम के दौरान



मेसर्स. हार्ड्यो प्लोटीस केलिकल्स प्राईवेट लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹. 777/- के हिसाब से इच्छुक ग्राहकों को 1 लाख लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन और मेसर्स आई टी सी लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹. 899/- के हिसाब से 80,000 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति की है।

प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, मैसूर में दि. 18/06/18 को संपन्न बैठक के दौरान कर्नाटका वर्जीनिया तम्बाकू बेलिगररा संघ (के वी टी बी एस) के निर्णय के अनुसार 2018-19 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान योग्य पंजीकृत ग्राहकों को मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - एबीडी - आईएलटीडी, गुण्टूर द्वारा प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹. 770/- के हिसाब से 1,20,000 लीटर परिमाण के सक्कर आऊट की आपूर्ति की है।

II. 2018-19 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ :

i. मिट्टी स्वास्थ्य की वृद्धि - हरित खाद बीजों की आपूर्ति :

तम्बाकू की मिट्टियाँ ज्यादातर हल्की संरचना और अल्प सेन्द्रिय कार्बन से होते हैं और निरंतर तम्बाकू की खेती के कारण नैट्रोयजन उपलब्ध होता है। अतः तम्बाकू बोर्ड ने हरी खाद के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को सुधार करने आवश्यक कदम उठाये हैं। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य सरकार के कृषि विभाग के समन्वय से तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को उनके क्षेत्रों में हरित खाद की प्रथा को अपनाने के लिए मौसम से पहल ही किसानों को हरित खाद बीजों को उपलब्ध कर रही है। 2018-19 फसल मौसम के दौरान सेन्द्रीय कार्बन के साथ मिट्टियों को समृद्ध करने के लिए हरी खाद की फसलों को 4598 हे. क्षेत्र में उगाया गया था।

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	हरित खाद फसल के अन्तर्गत क्षेत्र (हे)
कर्नाटका	कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ	502.00
आन्ध्र प्रदेश	उत्तर हल्की मिट्टियाँ	3189.00
	दक्षिण हल्की मिट्टियाँ	79.00
	दक्षिण काली मिट्टियाँ	828.20
	आन्ध्र प्रदेश कुल	4096.20
	महा कुल	4598.20





ii. तम्बाकू की उपज व गुणता में वृद्धि :

क) संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यास - फेरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्राप :

एकीकृत कीट प्रबंध एक ऐसा अवधारणा है, जहां प्रभावी पेस्ट और रोग नियंत्रण, रासायनिक तरीकों के अलावा सभी कीट नियंत्रण विधियाँ अर्थात्, जैविक, सांस्कृतिक, यांत्रिक और वनस्पतिक आदि, के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संघटित कीट प्रबंधन का उद्देश्य है - कृषि - रसायनों के उपयोग को कम करना और अवशेषों को कम करना और पर्यावरण और मिट्टी की सूक्ष्म पेड़-पौधे और जीवों की रक्षा करना है। इस योजना के तहत, बोर्ड ने तम्बाकू क्षेत्रों में कीटों की संख्या पर निगरानी और आईपीएम योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने में सहायता देने के लिए फेरोमोन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति की।

2018-19 फसल मौसम के दौरान फेरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति के लिए सब्सिडी बढ़ाने से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

फसल मौसम	भौतिक उपलब्धि (ट्रापों की संख्या)		वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)	
	फेरोमेन ट्राप	पीला चिपचिपा ट्राप	फेरोमेन ट्राप	पीला चिपचिपा ट्राप
2018-19	20774	12761	2.53	0.64



ख) जैव - कीटनाशक :

आन्ध्र प्रदेश में एन आई पी एच एम, हैदराबाद के सहयोग से ग्रोयर्स को जैव कीटनाशकों की आपूर्ति की जाती है, ताकि मिट्टी जनित रोगों की घटनाओं को रोका जा सके और कीटनाशकों/कवकनाशकों के उपयोग को कम हो सकें। 2018-19 फसल मौसम के दौरान उहमि क्षेत्र में ग्रोयर्स को 1049 लीटर जैव कीटनाशकों की आपूर्ति किये गये थे और सब्सिडी से संबंधित ₹0.71 लाख राशि बढ़ायी गयी।



iii. ऊर्जा संरक्षण उपाय :

तम्बाकू किसान समुदाय को लाभकारी बनाये रखने और तम्बाकू खेती को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए क्यूरिंग की लागत को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्पादन की कुल लागत में 30% होता है। क्यूरिंग की लागत को कम करने और तम्बाकू क्यूरिंग में लकड़ी के ईंधन के उपयोग से बचाने के लिए, कांच की ऊन धान की स्ट्रा के साथ बखार छत सीलिंग और उचित वायु संचालन के लिए बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर को रखना और पारंपरिक भट्टी को वेंदुरी भट्टी से बदलना आदि, ईंधन दक्षता तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इस उपाय से क्यूरिंग लागतों में 30% की बचत सुनिश्चित होती है। पिछले दस वर्षों से बोर्ड इस ऊर्जा संरक्षण उपायों को किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वित कर रहा है। 2018-19 फसल मौसम के दौरान बोर्ड ने इन ऊर्जा संरक्षण उपायों पर ₹145.38 लाख राशि खर्च किये हैं।

क) परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंदुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजना:

फर्नेस व्यवस्था का संशोधित अभिकल्प है-वेंदुरी फर्नेस, जो ईंधन और गर्मी स्थानांतरण का बेहतर दहन की सुविधा बनती है, ताकि प्लू पाईप में सूट जमावट से बचने आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित



करती है और इससे ईंधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है। बोर्ड ने व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड और मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड) के सहयोग से 2018-19 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 200 लाभभोगियों को कवर करते हुए 177.75 बखारों में इस योजना को लागू किया था और इन बखारों को वेंदुरी फर्नेस से रीफिट किया गया था। प्रत्येक लाभभोगी ग्रोयर्स को बोर्ड और व्यापारी वर्ग द्वारा सब्सिडी से संबंधित हर बखार को ₹ 5,000/- की राशि बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹8.89 लाख राशि रुपये व्यय हुई।

ख) बखारों को ग्लास ऊन पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिटिंग :

बखारों के छत को ग्लास ऊन पृथक्करण के द्वारा एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को प्रमोट करना और लाभभोगी ग्रोयर्स को सब्सिडी की राशि बढ़ाने के द्वारा बखार में मुक्त वायु संचालन के लिए टर्बो वेंटिलेटर का प्रोवैड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना से 25 से 27% तक ईंधन लकड़ी की बचत होती है और हर हेक्টার को लगभग ₹6,500/- तक कृषि लागत कम होती है। इसके अलावा, बखार में इन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप पत्ता की कारमलैजेशन और सोखने से बचने के द्वारा क्यूरिंग में पत्ता की गुणवत्ता में सुधार हुई। 16x16 से 16x20 और 16x24 परिमाण के हर बखार के लिए ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर की फिटिंग के लिए कुल लागत लगभग ₹25,502/- से ₹29,667/- प्रति बखार तक होता था।



बोर्ड ने व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स. डक्कन टोबाको एंटरप्राइजेस) की सहायता से ₹ 5,300/- प्रति बखार के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा इस योजना को 2018-19 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में फोकसड मोड में कार्यान्वित किया था। व्यापारी वर्ग ने वित्तीय सहायता के रूप में 50% मूल्य का योगदान दिया और बाकी 25% पृथक्करण का लागत लाभभोगी ग्रोयर्स के द्वारा अपना गयी थी।

2018-19 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 1704 पंजीकृत ग्रोयर्स के 1530 बखार पृथक्करण किये गये थे और बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि के रूप में ₹81.06 लाख व्यय किया था।

ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिटेड क्षेत्र वार बखार विवरण निम्नानुसार है।

क्षेत्र	लाभभोगी ग्रोयर	पृथक्करण किये बखार	वित्तीय सहायता (₹ लाख)
उहमि क्षेत्र	586	580	30.74
दहमि क्षेत्र	420	344	18.23
दकामि क्षेत्र	698	606	32.12
कुल	1704	1530	81.09

ग) टर्बो वेंटिलेटर के साथ धान तृण छत पृथक्करण :

बखार को धान तृण के पृथक्करण के माध्यम से एफसीवी तम्बाकू के क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रोयर लाभभोगियों को सब्सिडी प्रदान करने के द्वारा बखार में मुफ्त वायु परिसंचरण के लिए टर्बो वेंटिलेटर को उपलब्ध करना इस योजना का उद्देश्य है। धान तृण के पृथक्करण की कुल लागत ₹15,000/- प्रति बखार होगी।

बोर्ड ने ₹5,000/- प्रति बखार को सब्सिडी देकर इस योजना को व्यापारी वर्ग (मेसर्स.आईटीसी) की सहायता से कर्नाटका में कार्यान्वित किया। इस तकनीक से औसतन 30% ईंधन की बचत प्राप्त हुई।

वर्ष	कवर किये बखारों की संख्या	सब्सिडी ₹ लाख
2018-19	1049	52.45

घ) “अपने ईंधन स्वयं तैयार करें” योजना - त्वरित पैदा होने वाले वृक्ष पौधों की आपूर्ति :

सतत तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) के सिद्धांतों में तम्बाकू क्यूरिंग के लिए कोयला और जलाऊ लकड़ी जैसे, गैर-टिकाऊ स्रोतों के उपयोग को समाप्त करने की विचार (परिकल्पना) की गई है। क्यूरिंग के लिए उपयोग लकड़ी को टिकाऊ लकड़ी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और वैकल्पिक जैव-द्रव्यमान ईंधनों को भविष्य में प्रमोट किया जाना चाहिए। इस पहलू के एक हिस्से के रूप में, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयर्स को प्राकृतिक लकड़ी के संसाधनों को प्रभावित किये बिना स्वयं अपने प्लानटेशन करने के द्वारा तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन की आवश्यकता को सुनिश्चित करने तेजी से पैदा होने वाले पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वास्तव में, तम्बाकू बोर्ड यह अनिवार्य बना दिया था कि तम्बाकू के सभी पंजीकृत ग्रोयर्स को प्रति वर्ष कम-से-कम 10 पौधों को लगाना होगा।

2018-19 के दौरान, गोयरो को तेजी से पैदा होने वाली पौधों को अपने घरों, क्षेत्र पुश्ता (फील्ड बंड), बल्किंग शेड और बखारों के पास खाली जगहों में रोपण करने के लिए मुफ्त में आपूर्ति किये। यह योजना आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के वन विभागों के समन्वय से कार्यान्वित किया गया था। कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने मैसूर क्षेत्र में उप वन संरक्षक, हुन्सूर और पेरियपट्ना क्षेत्र में उप वन संरक्षक, के.आर.नगर से प्राप्त करके पंजीकृत गोयरो को 30,000 पौधों को मुफ्त में आपूर्ति करने की व्यवस्था की है और इस के लिए ₹2.95 लाख



की राशि खर्च हुई। आन्ध्र प्रदेश में उहमि गोयरो के लिए कन्नपुरम वन विभाग के समन्वय से और दक्षिण क्षेत्र के गोयरो को कोत्तपट्टनम, बल्लीपल्ली, अप्पारावपालेम नर्सरियों से प्राप्त करके 21,100 पौधों को मुफ्त में आपूर्ति करने की व्यवस्था की है।

iv) पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

गैर - तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन - कान्वास टार्पलिनों की आपूर्ति :

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) एक संकटपूर्ण चिंता का विषय रहा है। तम्बाकू अखंडता की रक्षा करने एनटीआरएम स्रोत का निष्कासन और एनटीआरएम का पता लगाना और आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर हटाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। फार्म स्तर पर एनटीआरएम का निष्कासन करने के लिए किसानों और किसान समुदाय के साथ मजबूत साझेदारी और किसानों को निरंतर शिक्षा प्रदान करना प्रधान तत्व हैं। उत्पाद अखंडता को रखरखाव करने में स्वच्छ हैंडलिंग प्रथाओं जैसे., कटाई, परिवहन, क्यूरिंग और भंडारण आदि, में एनटीआरएम से दूर रहने के प्रयास को लागू करने में एक लंबा विधान है। इन दशाओं में उत्पाद की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एन टी आर एम से दूर रहने कटाई, परिवहन, क्यूरिंग,

भंडारण और ग्रेडिंग के दौरान हरी तम्बाकू को साफ निपटाने में सहायता देने में मदद करने के लिए कर्नाटका में 3950 ग्रोयर्स को 3950 कान्वास टार्पलीनों और आन्ध्र प्रदेश में 3358 ग्रोयर्स को 3358 कान्वास टार्पलीनों को सब्सिडी लागत पर आपूर्ति की। इस योजना के अंतर्गत ₹73.08 लाख रुपये का व्यय हुआ था। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में सभी संवर्ग के ग्रोयर्स को सब्सिडी के रूप में ₹1,000/- टार्पलीन/ग्रोयर केलिए दिया था।



v. बल्किंग शेड का निर्माण /नमूना भंडारण सुविधाएँ :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेडिंग, बेलिंग कार्य समापन से विपणन के लिए तैयार करने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण का निर्माण करना आवश्यक है। बेहतर कृषि भंडारण सुविधाएँ, जो किसानों को एनटीआर एम को रोकने में और “उत्पाद की सफाई” को सुनिश्चित करने में मदद



मिलेगी। इस को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने ग्रोयर्स को बल्किंग शेड भंडारण सुविधाओं को निर्माण करने के लिए 2018-19 फसल मौसम के दौरान वित्तीय सहायता और वाणिज्यिक बैंकों से आवश्यक ऋण बढ़ाने के द्वारा प्रोत्साहित किया। 2018-19 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में बल्क शेड के परिमाण के अनुसार बल्किंग शेड का निर्माण से संबंधित प्रति यूनिट को ₹6,500/- से ₹15,000/- के हिसाब से प्रति यूनिट को वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई और इस योजना के अंतर्गत 21 बल्किंग शेड निर्माण केलिए कुल ₹2.60 लाख रुपये व्यय किये गये।

vi. पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) का मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों का अव्यवस्थित उपयोग याने., कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों का मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशक का मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए नहीं सिफारिश कीटनाशियों का उपयोगिता

आदि, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या का कारण होते हैं। क्यूरड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाले गंभीर आयाम माना जाता है क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एम आर एल) से नीचे होने के लिए कड़े शर्तें लगाये थे। हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है और सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं को निपटाने के लिए कार्य योजना और कार्यवाही योजना को विकसित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही हैं।

तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सीपीए हॉट स्पॉट होते हैं, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में सीपीए अवशेष परीक्षण को अपनाता है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर, जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष की पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉट स्पॉट मध्यस्ता को अपनाये गये। 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने हॉट स्पॉट को पहचान करने पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की मात्राओं को मोनिटरिंग तदनुसार सुधारात्मक करिवाई करने के लिए एन आई पी एच एम, हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के 182 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं का विश्लेषण करने का कार्य अपनाया था। पत्ते के नमूनाओं के विश्लेषण के लिए ₹22.00 लाख व्यय हुआ था।

vii. निकोटिन, शक्कर और क्लोरेड के लिए पत्ता तम्बाकू का पत्ता रसायन विश्लेषण :



निकोटिन, शक्कर और क्लोरेड को निर्धारण करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने हर फसल मौसम में तम्बाकू पत्ते के विश्लेषण भी कराती है, ताकि विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके। 2018-19 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ प्रारंभ होने से पहले आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी प्लैटफार्मों से एकत्रित

258 पत्ते नमूनाओं का विश्लेषण, जो पत्ता तम्बाकू में रसायनिक संघटकों को निर्धारण करने के लिए केतंअसं. राजमहेन्द्री में विश्लेषण कराया था। इस लेखा के अंतर्गत ₹4.50 लाख कुल व्यय किये गये।

III 2018-19 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने बोर्ड द्वारा अपनाये गये पहलू :

i. तम्बाकू की खेती में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना :

विश्व भर में, तम्बाकू ग्राहकों के निरंतर बढ़ते हुए चिंताओं को दृष्टि में रखते हुए सुरक्षित तम्बाकू उत्पादन केलिए स्थायी तम्बाकू उत्पादन (एस टी पी) पर जोर दे रहे हैं। स्थायी खेती में एक भाग के रूप में प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा, जो मिट्टी की सूक्ष्म जैविक गतिविधियों में सुधार करके मिट्टी कार्बनिक सामग्री को समृद्ध करने में मदद कर सकता है। इस खेती की प्रणाली पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और कम इनपुट प्रभावी है। यह प्रणाली प्राकृतिक संसाधन जैसे., मिट्टी और पानी की रक्षा करती है। इस प्राणाली में रसायनिक उर्वरकों और रसायनिक फसल सुरक्षा एजेंटों की अनुपयोग से कीटनाशी अवशेष मुक्त तम्बाकू को उत्पादन करने में मदद मिलेगी और लागत बचत में भी मदद मिलेगी।

अतः तम्बाकू बोर्ड ने 2018-19 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के सभी मिट्टी क्षेत्रों में एफ सी वी तम्बाकू खेती में तम्बाकू ग्राहकों को प्राकृतिक खेती के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए, ग्राहकों के क्षेत्रों में परीक्षण किया है। प्रत्येक नीलाम प्लैटफार्म में एक प्लॉट के हिसाब से 18 नीलाम प्लैटफार्मों में 21 ग्राहकों के क्षेत्रों में यह परीक्षण किये थे। फसल विशेषज्ञों द्वारा विकसित और अपनाये जडबीएनएफ प्रथाओं को अनुसरण करते हुए तम्बाकू



उगाने के लिए 75 एकड़ क्षेत्र को अपनाया गया। आगे, एफ सी वी तम्बाकू में जडबीएनएफ कृषि को वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने केलिए गुण्टूर और कन्दुकुरु के केतंसं अनुसंधान केन्द्र में भी इसी प्रकार के ट्रायल प्लॉट को अपनाया गया था।

व्यापारी वर्ग भी जडबीएनएफ द्वारा उगाये गये तम्बाकू केलिए अतिरिक्त मूल्य देकर तम्बाकू की खेती में प्राकृतिक खेती करने वाले ग्राहकों को समर्थन करने के लिए आगे आया।

नियंत्रण प्लॉटों को वृद्धि, पत्ता विस्तार, कीट प्रतिरोध, चमकीला श्रेणी आऊट टर्न और सुंगंध आदि, के संदर्भ में सामान्य (अकार्बनिक) क्षेत्रों के साथ जड बी एन एफ फसल की तुलना करने के लिए मौजूदा समान किस्मों के साथ चयन किया गया था। जड बी एन एफ प्लॉट ने नियंत्रण प्लॉट और कुछ क्षेत्रों में बराबर वृद्धि दर्ज की, जो उहमि



और दहमि में नियंत्रण प्लाटों से बेहतर रहा है। पत्ता विस्तार अकार्बनिक क्षेत्रों की तरह अच्छी रही है। रंग समृद्ध है और क्यूरेड पत्ता में सुगंध अच्छी रही है और सामान्य फसल से बेहतर है। फसल प्राकृतिक रूप से फुहार के साथ जड बी एन एफ प्लाटों में कीटों तथा बीमारियों से पूरा नियंत्रण में रहा था। पैदावार भी सामान्य क्षेत्रों के बराबर है और उ ह मि क्षेत्र में औसत पैदावार 8-9 क्विंटाल प्रति एकड़ और दक्षिण (द का मि और द ह मि) में 6-7 क्विंटाल प्रति एकड़ औसत पैदावार प्राप्त होनी की संभावना है।

ii. सीएसआर क्रियाशीलता - हरियाली का विकास और रिक्त भूमियों में प्लानटेशन उगाना :

तम्बाकू खरीददार कंपनियों के साथ तम्बाकू बोर्ड ने समाज और परिस्थितिकी स्थिरता के लाभ के लिए प्रकाशम जिला के तम्बाकू उगानेवाले गाँवों में खाली भूमियों में सिल्वो-पाश्चर नमूना में हरियाली विकास और वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव रखा था। इन प्लानटेशन का रखरखाव 3-4 वर्षों के लिए तम्बाकू बोर्ड/व्यापारी वर्ग द्वारा किया जायेगा और इस भूमि का उपयोग ग्रामीण व्यक्तियों के लाभ के लिए स्थानीय पंचायत द्वारा किया जा सकता है। यह परियोजना तम्बाकू बोर्ड द्वारा, जो तम्बाकू व्यापार कंपनियों को अपनी सी एस आर इनवाल्वमेंट के साथ-साथ सरकारी अभिकरणों जैसे., डी डब्ल्यू एम ए, बागवानी विभाग, वन विभाग आदि, के सहयोग के साथ अपनाने का प्रस्ताव है।



तम्बाकू बोर्ड के अनुरोध के अनुसार जिलाधीश, प्रकाशम जिला ने उक्त पौधा प्लानटेशन योजना के लिए कलिगिरी और वलेटिवारीपालेम मंडलों के बल्लिपल्ली, विजयगोपालपुरम और पोलिनेनीचेरुवु गाँवों के 1500 एकड़ खाली भूमियों को अन्तरिम/अनंतिम रूप से आबंटन करने के लिए स्वीकार कर लिया है। चयनित भूमि अल्प



वनस्पति के साथ लहरदार और अपरदित है। धर्मस्व विभाग ने श्री माल्याद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी देवस्थानम, मालकोंडा (गाँ) वलेटिवारी पालेम (मं), प्रकाशम जिला की 100 एकड़ मंदिर की भूमि में प्लानटेशन रैज करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को लिखित रूप से सहमति दे दी।

नवधान्यालू और सन हेम्प के साथ हरी खाद इस भूमि में की जा रही है। इन उद्दिष्ट भूमियों में रोपण गतिविधि आगस्त 2019 महीने में प्रारंभ करने की योजना है। बागवानी विभाग से अगस्त महीने में वृक्षारोपण के समय फल और वन वृक्षों की व्यवस्था करवाने के लिए अनुरोध किया गया था।

इसी तरह बोर्ड ने वृक्षों को रोपण के संबंध में निर्यातकों/डीलरों के पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के लिए मानदंड, जो तम्बाकू क्यूरिंग के पर्यावरणीय प्रभाव को नकारने के लिए एक विशिष्ट पहलू माना जा सकता है, को रखने के लिए भी निर्णय लिया गया था। तम्बाकू बोर्ड को आबंटित सरकारी भूमियों में पेड़ों को रोपण और रखरखाव करने का कार्य निर्माणकर्ताओं और निर्यातकों और डीलरों को सौंपने का प्रस्ताव है।

iii. सीपीए अवशेषों का निष्कासन :

दुनिया भर में बढ़ती हुई स्वास्थ्य चिंताओं के सम्बन्ध में, क्यूरेड तम्बाकू में हानीकारक पदार्थ जैसे., कीटनाशक अवशेषों और नमनशील टोबाकोस के उत्पादन को कमा करना एक उभरती हुई आवश्यकता है। मार्गदर्शन अवशिष्ट स्तर (जी आर एल) के नीचे सीपीए अवशेषों को कम करना ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले गंभीर क्षेत्रों में से एक है।



2018-19 फसल मौसम के दौरान उत्पाद की अखंडता में सुधार लाने, पत्ता की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने कीटनाशक अवशेषों को नियंत्रण करने बोर्ड ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाये थे।

व्यापारियों, किसानों और बोर्ड पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ किसानों द्वारा 100% पेंडिमेथलीन अवशेष मुक्त तम्बाकू (कोरेस्टा के जी आर एल के अनुसार) और 5 पीपीएम से ऊपर कार्बोन्डिजम कीटनाशक की 96% अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त किये हैं।

iv. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

तम्बाकू बोर्ड किसानों को व्यक्तिगत संपर्कों, सामूहिक बैठकें, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट कम-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म ट्रयल/परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा समय-समय पर फसल सूचनाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करने द्वारा सफल पूर्वक तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है।

1. किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना विस्तार अभिकल्पना और योजना के एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसके (प्रशिक्षण) द्वारा नवीनतम तकनीकी जानकारी, नेतृत्व

विकास और व्यवहार परिवर्तनों के हस्तांतरण और उपयोग करने में क्षमता प्राप्त होती है। मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण और निरंतर आवश्यक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण, जो तम्बाकू की खेती में उत्तम कृषि प्रथाओं को लागू करने में किसानों को कुशल बनाता है, जिससे स्थिरता सुनिश्चितता होती है। विस्तार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरत है।

इसको दृष्टि में रखते हुए, जो पिछले फसल मौसमों में किया गया था, के अनुसार 2018-19 फसल मौसम के दौरान सीड बेड की तैयारी से लेकर पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध तक होने वाले विभिन्न फसल चरणों में ग्रोयर्स और क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

- 2018-19 फसल मौसम में बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के किसानों को सभी मिट्टी क्षेत्रों में उत्तम कृषि प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए नर्सरी प्रबंध से लेकर फसल की कटाई, क्यूरिंग और ऑन-फार्म भंडारण तक रहे फसल वृद्धि के विभिन्न चरणों में किसानों को, कुल मिलाकर 176 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की थी। लगभग 9514 ग्रोयर्स ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिये थे।
- एनआईपीएचएम, हैदराबाद में ग्रोयर्स और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों को कीट निगरानी, पेस्ट नियंत्रण और समेकित पेस्ट प्रबंध (आईपीएम) के विकसित अवधारणाओं, जीव-नियंत्रण एजेंट और मैक्राबाईल जैव कीटनाशियों की फार्म उत्पादन पर निम्नानुसार प्रशिक्षण दिये गये थे।

राज्य	प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण	व्यक्तियों की संख्या	दिनों की संख्या	अवधि
कर्नाटका	बयो पेस्टिसाईडों के अनुप्रयोग पर ऑफ-कॉम्पस प्रशिक्षण	कर्नाटका के सभी प्लॉटफार्मों से ग्रोयर	2 दिन	22.03.18 से 24.03.18 तक
कर्नाटका	आईपीएम अभ्यासों पर पेस्ट निगरानी और नवीनतम तकनीकी पर प्रशिक्षण	13 पदाधिकारियों	5 दिन	02.07.18 से 06.07.18 तक
कर्नाटका	आईपीएम अभ्यासों पर पेस्ट निगरानी और नवीनतम तकनीकी पर प्रशिक्षण	23 पदाधिकारियों	5 दिन	23.07.18 से 27.07.18 तक
आं.प्र. (उहमि)	बयो पेस्टिसाईडों के अनुप्रयोग पर ऑफ-कॉम्पस प्रशिक्षण	उहमि क्षेत्र से ग्रोयर	2 दिन	16.08.18 से 17.08.18 तक
कर्नाटका	आईपीएम अभ्यासों पर पेस्ट निगरानी और नवीनतम तकनीकी पर प्रशिक्षण	30 ग्रोयर & 1 अधिकारी	3 दिन	29.11.18 से 01.12.18 तक
कर्नाटका	आईपीएम अभ्यासों पर पेस्ट निगरानी और नवीनतम तकनीकी पर प्रशिक्षण	30 ग्रोयर & 2 अधिकारी	3 दिन	04.12.18 से 06.12.18 तक

- उहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या और एनटीआरएम की समस्याओं को दूर करने के लिए 25 अक्टूबर, 18 को कोयलयागुडेम में सभी पदधारियों से युक्त उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी। केतंस के प्रधान विशेषज्ञों, प्रधान पणधारियों के फसल विकास प्रबंधकों के साथ प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री के नेतृत्व में संघटित अपेक्स समिति ने दि. 13 नवंबर, 18 से 15 नवंबर, 18 तक उहमि क्षेत्र के सभी नीलाम प्लेटफार्मों में बैठकें आयोजित किये और इसमें ग्रोयर्स को, तम्बाकू निर्यातों में सीपीए अवशेष समस्याओं के बारे में बताये गये। प्रिंट मिडिया के माध्यम से तम्बाकू में सिफारिश नहीं किये कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने, कार्बेन्डजिम और पेंडिमेथालीन के उपयोग से बचने के लिए अपील किये गये। ग्रोयर्स को व्यक्तिगत पत्र के रूप में तम्बाकू में सिफारिश नहीं किये कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने, कार्बेन्डजिम और पेंडिमेथालीन का उपयोग से बचने की अनुरोध करते हुए एक अपील सभी ग्रोयर्स को जारी किया गया था।

क. कार्यशाला :

आन्ध्र प्रदेश :

- ❖ प्रादेशिक प्रबंधक, दकामि क्षेत्र ने दहमि/दकामि क्षेत्रों के सभी ग्रोयर्स को कवर करते हुए दि. 8 जनवरी, 2019 को के.तं.अ.सं. - अनुसंधान केन्द्र, कंदुकूरु में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में, ग्रोयर्स को नमी की तनाव की स्थिति को कम करने के लिए उठाये जाने वाले उपायों और खेती की लागत को कम करने की आवश्यकता, पोषक तत्वों की स्थिति जानने के लिए मिट्टी परीक्षण का कार्यान्वयन, ओरेबान्खे परजीवी की वृद्धि को रोकने के लिए खरीफ के मौसम में गेहू के साथ फसल रोटेशन का कार्यान्वयन, तम्बाकू में जडबीएनएफ की खेती को बढ़ावा देना आदि., पर जोर दिये गये। उक्त कार्यशाला को आयोजित करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, दकामि क्षेत्र (ओंगोल) को ₹40,362/- की राशि खर्च हुई थी।
- ❖ प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री ने उहमि क्षेत्र के ग्रोयर्स के लिए दि. 11 जनवरी, 19 को केतंस, जीलुगुमिल्ली में “उहमि क्षेत्र के



अंतर्गत तम्बाकू पर फार्म आय को बढ़ाने के लिए कौशल” विषय पर कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला के दौरान ग्रोयर्स को ऊपरी बेल्ट में सितम्बर के अंत तक और निचले बेल्ट क्षेत्र में अक्टूबर के अंत तक वृक्षारोपण को अपनाने के लिए सुझाव दिये गये। मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ग्रोयर्स को 25:75 अनुपात में जैविक और अकार्बनिक उर्वरकों को विनियोग करने का अनुरोध किया गया था और जेटीआई द्वारा 0.02 पीपीएम से 5 पीपीएम तक संशोधित एमआरआई के अनुसार वीडोसाईड और सक्करसाईड के रूप में पेडिमिथालीन का उपयोग से दूर रहने के लिए ग्रोयर्स को अनुरोध किया गया। ग्रोयर्स को कीटनाशकों की रोगनिरोधक प्रयोग से बचने और सीपीए अवशेष समस्या से बचने के लिए तम्बाकू खेती में जडबीएनएफ को अपनाने का भी सुझाव दिया गया। ग्रोयर्स को जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए बिन्दु सिंचाई अपनाने का भी सुझाव दिया गया। उक्त कार्यशाला को आयोजन करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री ने ₹42,390/- की राशि खर्च हुई।

कर्नाटका :

- ❖ प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर ने कर्नाटका के ग्रोयर्स के लिए दि. 19/07/18 को के.तं.अ.सं., हुन्सूर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें के.तं.अ.सं. से विशेषज्ञ, व्यापार प्रतिनिधियों और बोर्ड के कर्मचारी भाग लिये और इस कार्यशाला में 90 ग्रोयर भाग लिये। इस कार्यशाला संचालन के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर को ₹38,285/- की राशि खर्च हुई। कार्यशाला के दौरान ग्रोयर्स को मृदा स्वास्थ्य का महत्व, सीपीए अवशेष समस्या का प्रबंध, टॉपिंग /डीसक्करिंग का महत्व और केतंसं के सिफारिशों के अनुसार आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों/ कीटनाशकों के उचित विनियोग करने के बारे में बताये गये।



- ❖ प्रादेशिक प्रबंधक, पेरियपट्टना ने कर्नाटका के 128 ग्रोयर्स को कवर करते हुए के.तं.अ.सं., हुन्सूर में दि. 12/10/18 को एक कार्यशाला आयोजित किया और ग्रोयर्स को तम्बाकू की खेती में उत्तम कृषि प्रयासों का महत्व, विश्व बाजार की स्थिति और उत्तम गुणवत्ता तम्बाकू उत्पाद और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सूखा प्रबंध अभ्यास, पूर्व प्लानटेशन और सही समय पर उर्वरकों का उचित अनुपयोग आदि., पर जानकारी दिये गये। प्रादेशिक प्रबंधक, पेरियपट्टना को इस कार्यशाला आयोजन करने के लिए ₹48,798/- की राशि खर्च हुई।

2. किसान अनावरण विजिट-कम-अध्ययन यात्रा :

अग्रिटेक्स' 18 को अध्ययन यात्रा :

- ❖ आन्ध्र प्रदेश के सभी प्रादेशिक प्रबंधकों द्वारा सभी मिट्टी क्षेत्रों को कवर करते हुए गोयरो के लिए दि. 4 अक्टूबर, 18 से 6 अक्टूबर, 18 तक हाईटेक्स प्रदर्शनी केन्द्र, हैदराबाद में केनस प्रदर्शनी द्वारा आयोजित अग्रिटेक्स, 18 में एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया था। कुल मिलाकर 79 गोयर इस अध्ययन यात्रा में भाग लिये। गोयरो को विभिन्न सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों, प्रजनन विधियों, हाईड्रोफोनिक्स उपयोग करके ऊध्वस्थ, हरित गृह फार्मिंग के द्वारा घर में फल/सब्जियों को उगाने, कार्बनिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं और मानकों, पेस्ट निगरानी और कीटनाशक स्प्रेयिंग ड्रोन चालक आदि., को उपयोग करके दिखाया गया। इस अध्ययन यात्रा के आयोजन के लिए ₹1,58,720/- की राशि खर्च हुई।

अनंतपूर (जिला) को अध्ययन यात्रा :

- ❖ दहमि/दकामि क्षेत्र के गोयरो और क्षेत्र कर्मचारियों के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, दकामि क्षेत्र, ओंगोल द्वारा दि. 30 नवंबर, 18 को शुष्क बुआई और 5 परत खेती के बारे में सूचित किया गया। कुल 17 गोयरो और 21 तकनीकी कर्मचारियों ने इस यात्रा में भाग लिये।
- ❖ अक्कीयन फ्रेटर्ना इकालजी केन्द्र, अनंतपूर की तकनीकी सहायता से श्री के. विष्णु, क्षेत्र मेन और श्री श्रीनिवास रेड्डी द्वारा रायदुर्गम और कल्याणदुर्गम में चालू “सूखी बुआई और 5 लेयर की खेती” पर आयोजित ट्रयल प्लॉट को देखे थे। इस अध्ययन यात्रा को आयोजित करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, उकामि क्षेत्र द्वारा ₹78,700/- राशि खर्च हुई।

जडबीएनएफ पर श्री सुभाष पालेकर द्वारा बृहत् प्रशिक्षण :

- ❖ दि. 8 दिसम्बर, 18 से 17 दिसम्बर, 18 तक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुण्टूर के सामने पद्मश्री डॉ. सुभाष पालेकर द्वारा जडबीएनएफ पर आयोजित बृहत् प्रशिक्षण कार्यक्रम में तम्बाकू गोयर और तम्बाकू बार्ड के तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिये।

उहमि / उकामि क्षेत्र में गोयरो के अध्ययन यात्रा :

नीलाम अधीक्षक, जे.आर.गूडेम - II द्वारा दि. 14 मार्च 2019 को अन्य व्यवहार्य वैकल्पिक फसलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और कृषि में नये तकनीकियों को भी विवरण देने के वीके, डॉ. वाईएसआर बागबन विश्वविद्यालय, वेंकटरामन्नगूडेम, पूर्व गोदावरी जिला में जे.आर.गूडेम - II प्लैटफार्म के गोयरो के लिए एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया। इस अध्ययन यात्रा में लगभग 23 गोयर भग लिये, कई बागबनी फसल जैसे., मिर्च, खीरा, सोलेनसस फसलों आदि., पर ट्रे नर्सरी की खेती और नर्सरी उगाने के अन्य तकनीकियों के बारे में गोयरो को प्रशिक्षण दिये गये।

नीलाम अधीक्षक, गोपालपुरम और देवरपल्ली दोनों द्वारा संयुक्त रूप से दि. 22 मार्च 2019 को कृषि विज्ञान केन्द्र, उंडी में गोयरो को अध्ययन यात्रा आयोजित किया था। इस अध्ययन यात्रा में लगभग 40 गोयर भाग लिये और गोयरो को मधुमक्खी पालन, पौल्ट्री, मत्स्य पालन, बाजरा की एकीकृत खेती प्रणाली और उनके महत्व के द्वारा पूरक आय सृजन की गतिविधियों के बारे में बताये गये। गोयरो को हाईड्रो फोनिक्स के बारे में समझाये गये।

नीलाम अधीक्षक, तोरेडू द्वारा दि. 23.03.19 को तोरेडू नीलाम प्लैटफार्म के गोयरो को केवीके, उंडी, पश्चिम गोदावरी जिला में एक अध्ययन यात्रा का आयोजन किया और गोयरो को बाजरा उगाने और जैव खेती के महत्व के बारे में प्रशिक्षण दिये गये थे। इस अध्ययन में 18 गोयर भाग लिये थे।

नीलाम अधीक्षक, जे.आर. गूडेम-1 ने दि. 16 मार्च, 2019 को जे.आर.गूडेम-2 प्लैटफार्म के गोयरो के लिए केवीके और वाईएसआर बागबन विश्व विद्यालय, वेंकटरामन्नगूडेम को एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया। गोयरो को तम्बाकू पैदा होने वाले मिट्टियों में उपयुक्त बागबन फसलों और सब्जी की फसलों के बारे में समझाया गया।



गोयरो को केवीके द्वारा रखरखाव किये जाने वाली ओजोल्ला उत्पादन और जैव-उर्वरक यूनिट, मछली पॉन्ड, विभिन्न नर्सरियों को दिखाये गये। गोयरो को एकीकृत कृषि पद्धतियों का महत्व पर प्रकाश डाले गये।

नीलाम अधीक्षक, कोय्यलगूडेम ने दि. 19 मार्च 2019 को केवीके और डॉ. वाईएसआर बागबन विश्वविद्यालय, वेंकटरामन्नगूडेम को और गुंडूगोलनुगुन्टा में प्राकृतिक फार्मिंग यूनिट को अध्ययन यात्रा आयोजित किया था। गोयरो को विभिन्न बागबन फसल, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पॉली हाऊस, वर्मि कंपोस्ट, समेकित फार्मिंग प्रणाली और प्राकृतिक फार्मिंग, अग्निअस्त्रम, जीवामृतम की तैयारी आदि, के बारे में शिक्षण दिये गये थे। किसानों को, कृषि को जीवित रखने के लिए खेतीबारी की विविधता के लिए उपयोगी अवधारणों के बारे में बताये गये थे।



दकामि क्षेत्र के गोयरो के लिए अध्ययन यात्रा :

नीलाम अधीक्षक, टंगुदूर - I ने गोयरो को दि. 05/02/2019 को बी.के. थ्रेशिंग प्लान्ट, सिंगरायकोंडा को एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया। इस अध्ययन यात्रा में 35 गोयरो भाग लिये थे। गोयरो को थ्रेशिंग में शामिल विभिन्न कदमों के बारे में समझाये गये और एनटीआरएम के बारे में बताये गये और ग्रेडिंग करते समय सतर्क रहने और पैकेड तम्बाकू में एनटीआरएम की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों द्वारा अस्वीकृति की गंभीरता के बारे में सलाह दी गई।

नीलाम अधीक्षक, कोडेपी ने दि. 8 फरवरी, 2019 को मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड हरित थ्रेशिंग प्लान्ट, चिराला को एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एनटीआरएम की उपस्थिति पर होने वाले बुरे प्रभावों के बारे में बताये गये।



नीलाम अधीक्षक, वेल्लमपल्ली-II ने दि. 22 जनवरी, 2019 को लॉम फार्म, गुण्डूर में किसान मेला को और दूसरा दि. 25 जनवरी, 2019 को बी.के. थ्रेशर्स, कलिकीवाई और अलकूरपाडू में जडवीएनएफ प्लाट को और तीसरा दि. 5 फरवरी, 2019 को काजा में मेसर्स. पोलिशेट्टी सोमसुन्दरम तम्बाकू थ्रेशिंग प्लाट को कुल मिलाकर तीन अध्ययन यात्राओं को आयोजित किये थे।



नीलाम अधीक्षक, टंगुदूर - II ने दि. 8 फरवरी, 2019 को आईटीसी, चिराला के तम्बाकू के पत्ता थ्रेशिंग प्लाट को अध्ययन यात्रा आयोजित किया और इसमें तम्बाकू में एनटीआरएम के बुरे प्रभावों के बारे में प्रकश डाले गये और विभिन्न प्रकार के एनटीआरएम और उत्तरी हल्की पेंडालों में तम्बाकू को ग्रेडिंग करने, टार्पलीनों का उपयोग करने और ग्रेडरों के पास एनटीआरएम बास्केट को रखने और बेल पेंकिंग करने से पहले ग्रेडिंग टेबल को उपयोग करना आदि., पर सुझाव दिये गये थे।

नीलाम अधीक्षक, ओंगोल - I और ओंगोल - II ने दि. 22 जनवरी, 2019 को किसान मेला, लॉम फार्म, गुण्डूर को और दि. 5 फरवरी, 2019 को हरित पत्ता थ्रेशिंग प्लान्ट, विट्टगुंटा को एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया। किसान मेला में गोयरी को बाजरा फसलों की खेती के बारे में समझाया गया और नवीनतम कृषि संयंत्रों के स्टालों को भी दिखाये गये।

दहमि क्षेत्र के गोयरी के लिए अध्ययन यात्रा :

नीलाम अधीक्षक, कन्दुकुरु - I & II ने दि. 29/01/2019 को काजा में रहे मेसर्स. पोलिशेट्टी सोमसुन्दरम, काजा में रहे हरित पत्ता थ्रेशिंग प्लान्ट को और दि. 6 फरवरी, 2019 को चिराला में रहे मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड के हरित पत्ता थ्रेशिंग प्लान्ट को दूसरी अध्ययन यात्रा आयोजित किया था। गोयरी को थ्रेशिंग प्लान्ट में अपनाये जाने वाले विभिन्न प्रचालनों को दिखाये गये थे और एनटीआरएम की उपस्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तम्बाकू बाजार में होने वाली कठिनाईयों के बारे में बताये गये। गोयरी को तम्बाकू हांडलिंग करते समय टार्पलीन, एनटीआरएम बिनों का उपयोग करने की सलाह दी गई।

नीलाम अधीक्षक, कनिगिरि ने दि. 10 जनवरी, 2019 को बी.के.थ्रेशिंग प्लान्ट,



सिंगरायकोंडा को दूसरा दि. 22 जनवरी, 2019 को लॉम फार्म, गुण्टूर को अध्ययन यात्रा आयोजित किये थे। गोयरो को जडबीएनएफ प्लाट, कूनिपलेम गाँव भी ले गये और तम्बाकू फसल वृद्धि में घन और द्रव जीवामृत के महत्व के बारे में बताया गया।

नीलाम अधीक्षक, पोदिली और कनिगिरि ने पोदिली और कनिगिरि के गोयरो को दि. 22 जनवरी, 2019 को लॉम फार्म, गुण्टूर में आयोजित किसान मेला को और दि. 7 फरवरी, 2019 को जीएलटी थ्रेशिंग प्लान्ट, चिराला को ले गये।

नीलाम अधीक्षक, डी.सी.पल्ली ने दि. 29 जनवरी, 2019 को बी.के.थ्रेशिंग प्लान्ट, सिंगरायकोंडा और नेल्लेरेपालेम गाँव में जडबीएनएफ प्लाट को और दि. 15 मार्च, 2019 को मेसर्स आईटीसी लिमिटेड, चिराला को एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया और इसमें तम्बाकू में एनटीआरएम की उपस्थिति से होने वाले बुरे प्रभावों के बारे में बताये गये।



कहमि क्षेत्र के गोयरो के लिए अध्ययन यात्रा :

प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर और पेरियपटना ने दि. 16 और 17 नवंबर, 18 को जीकेवीके वीएस, बेंगलूर (कृषिमेला) को कर्नाटका के गोयरो के लिए अध्ययन दौरा आयोजित किया था। इस दौरा में 300 गोयर भाग लिये थे। गोयरो को फार्म मशीनरी, जल प्रबंध तकनीक (ड्रिप सिंचाई), संघटित फार्मिंग प्रणाली, जैविक फार्मिंग आदि., नवीन तकनीकियों को अवगत कराये गये। इस अध्ययन दौरा को आयोजित करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर और पेरियपटना को ₹4.53 लाख खर्च हुई।

3. गोयरो को पुरस्कार :

तम्बाकू (फसल) की उत्तम गुणवत्ता और उपज प्राप्त करने में गोयरो के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बोर्ड ने कर्नाटका के प्रत्येक नीलामी प्लैटफार्म में से एक गोयर और आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक नीलामी प्लैटफार्म से एक गोयर को सम्मानित किया। दि. 04 जनवरी, 2019 को संपन्न संस्थापना दिवस के सुअवसर पर प्रत्येक को प्रशंसात्मक उल्लेख और ₹5000/- नकद पुरस्कार के साथ 29 गोयरो को सम्मानित किये गये। 2018-19 में फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश की खेती में जीरो बजट प्राकृतिक खेती का पालन किये गोयरो को सम्मानित किये गये थे।

4. प्रचार सामग्री :

तम्बाकू बोर्ड ने 2018-19 के दौरान एफसीवी तम्बाकू की खेती में प्राकृतिक फार्मिंग के तरीकों पर 500 तेलुगु

ब्रोचर और 200 अंग्रेजी ब्रोचर बहु रंगीन में मुद्रित करके ग्रोयर्स को वितरित की।

5. क्षेत्र मित्र दल :

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलुओं पर ग्रोयर्स को समय पर सलाह और सुझाव देने के त.अ.सं के विशेषज्ञों, मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स. जीपीआई लिमिटेड के क्षेत्र कर्मचारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किया गया था। क्षेत्र मित्र दल अपनी



यात्राओं के दौरान सभी क्षेत्रों के साधारण फसल स्थिति का निरीक्षण करेगा और फसल स्थिति को सुधार करने के लिए अपनाये जाने वाली विशिष्ट मध्यस्थताओं पर बोर्ड के विस्तरण कर्मचारी और ग्रोयर्स को सूचित करेगा।

6. ऑन - फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

तम्बाकू बोर्ड ने, अनुसंधान केन्द्र और किसान के क्षेत्रों के बीच उत्पादन स्तर में अन्तर को कम करने के लिए फसल उत्पादन में नये तकनीकियों का निदर्शन या अनुमोदित तकनीकियों को लोकप्रिय बनाने और उत्पादकता के साथ-साथ तम्बाकू की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए किसान को सहायता करने ग्रोयर्स के क्षेत्रों में ऑन फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण को कार्यान्वित किया था।



2018-19 फसल मौसम के दौरान, @ 1 ट्रयल/प्लॉट नीलाम प्लैटफार्म में रोपण समय बनाम साधारण अभ्यास में कालशियम नैट्रेट @ 25 कि.ग्रा./हे. का प्रयोग, 45 से 55 दिनों की फसल आयु बनाम साधारण अभ्यास में @ 2% पोटाशियम नैट्रेट द्वारा पर्णिय पोषकतत्व, केएलएसएच - 10 बनाम कंचन किस्म का किस्म ट्रयल, उच्च घनत्व रोपण बनाम साधारण रोपण आदि., पर कर्नाटका के 12 ऑन-फार्म ट्रयल प्लॉटों में परीक्षण अपनाये थे। किसानों, जो इस परीक्षण के लिए आगे आये थे, को प्रोत्साहन दिये गये थे। ग्रोयर्स द्वारा व्यापक रूप से अनुकूलन के लिए परीक्षणों के परिणाम का प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र दिन कार्यक्रमों को भी आयोजित किये गये थे। तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटका में इस योजना को कार्यान्वयन करने के लिए ₹1.73 लाख और तम्बाकू कृषि में जडबीएनएफ का कार्यान्वयन से संबंधित आन्ध्र प्रदेश में ₹3.69 लाख की राशि खर्च की।

7. नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के 18 गाँवों में और कर्नाटका के 12 गाँवों में कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने इन गाँवों में किसानों को प्रोत्साहित करने एक केंद्रित तरीके से नमूना परियोजना क्षेत्र को कार्यान्वित किया था। मेसर्स.



आईटीसी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, डक्कन टोबाको कंपनी और आलियन्स वन इंडिया लिमिटेड भी इस एमपीए गाँवों में विकासात्मक गतिविधियों को करने में शामिल रहे थे।

2018-19 में विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2018-19 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹292.84 लाख कुल व्यय खर्च किये थे।

(₹ लाखों में)

विस्तार योजनाएँ	2018-19
तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि	29.67
क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि	145.38
एन टी आर एम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता	73.08
पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध	2.60
किसानों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	27.33
ऑन फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण	5.42
नमूना परियोजना क्षेत्र	9.36
कुल	292.84

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ पृष्ठ सं. 56-58 में दिये गये।

2018-19 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल
1	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता को वृद्धि करना									
क	पेस्टिसाईड और रसायनिक अंशभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण	254	203	457	254	203	457	13.99	12.51	26.50
ख	संघटित पेस्ट प्रबंध पद्धति पीला चिपचिपा ट्राप फोरोमेन ट्राप	778 806	0 0	778 806	12761 20774	0 0	12761 20774	0.64 2.53	0.00 0.00	0.64 2.53
	उप कुल	1838	203	2041				17.16	12.51	29.67
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि									
क	ऊर्जा संरक्षण उपाय (ग्लैस वूल छत पृथक्करण, वैन्दुरी फर्नेस और पेदी स्ट्रा छत पृथक्करण)	1904	1034	2938	1707.8	1049	2756.8	89.98	52.45	142.43
ख	तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन को रैज करना									
	(पौधों की संख्या)	...	...	...	21100	30000	51100	0.00	2.95	2.95
	उप कुल	1904	1034	2938				89.98	55.40	145.38
3	एनटीआरएम का निष्कासन और टारपीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	3358	3950	7308	3358	3950	7308	33.58	39.50	73.08
4	पी एच पी एम उपाय बल्किंग शेड/मोडल स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण	21	0	21	21	0	21	2.60	0.00	2.60
5	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम									
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण									
i	कार्यशाला	184	208	392	2	2	4	0.83	0.87	1.70
ii	नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	5783	3731	9514	108	68	176	2.87	2.03	4.90
iii	एन आई पी एच एम में अधिकारियों/कर्मचारी / ग्रेयर्स को प्रशिक्षण कार्यक्रम	...	99	99	1	5	6	0.32	7.19	7.51
iv	सीपीए अवशेष समस्याओं को पता लगाने विस्तार कार्यक्रम	709	0	709	2	0	2	0.78	0.00	0.78
ख	प्रचार & विस्तार साहित्य	...	...	...	700	0	700	0.36	0.00	0.36
ग	अध्ययन यात्रा	591	600	1191	32	4	36	5.65	4.53	10.18
घ	क्षेत्र मित्र दल	...	...	...	3	0	3	0.45	0.00	0.45
ङ	उत्तम ग्रेयर पुरस्कार	18	11	30	18	11	30	0.90	0.55	1.45
	उप कुल	7285	4649	11935				12.16	15.17	27.33
6	ऑन - फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल	1070	706	1776	18	12	30	3.69	1.73	5.42
7	नमूना परियोजना क्षेत्र	1059	779	1838	18	12	30	5.33	4.03	9.36
	महा योग	16535	11321	27857				164.49	128.35	292.84

**2018-19 के दौरान विस्तार एवं विकासाल्मक योजनाओं के अंतर्गत
अ जा/अ ज जा/महिला & अन्य गोरयों को कवररेज**

क्र. सं.	योजना का नाम	उपलब्धियाँ										वित्तीय (सखिडी ₹ में)				
		लाभभोगियों की संख्या				भौतिक (यूनिट)				कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	
		एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य						
1	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता को वृद्धि करना															
क	पेस्टिसाईड और रसायनिक अंशभर्तों के लिए पत्ता विश्लेषण	...	...	...	...	457	...	...	...	...	...	...	...	...	2650282.00	
ख	संघटित पोस्ट प्रबंध पद्धति															
ख 1	फोरेमेन ट्राप	16	12	181	597	806	442	440	5121	14771	20774	5388.00	5362.00	62439.00	180053.00	253242.00
ख 2	पीला चिपचिपा ट्राप आईपीएम कुल	14	13	175	576	778	236	276	3157	9092	12761	1182.00	1382.00	15807.00	45498.00	63869.00
उप कुल		30	25	356	1173	2041					6570.00	6744.00	78246.00	225551.00	2967393.00	
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि															
क	ऊर्जा संरक्षण उपाय (ग्लैस वूल छत पृथक्करण, वेन्चुरी फनैस और पेदी स्ट्रा छत पृथक्करण)	119	92	651	2076	2938	108.5	96	635.07	1917.19	2756.76	547600.00	490800.00	3291303.00	9913047.00	14242750.00
ख	तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन को रेंज करना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	51100	...	...	...	296000.00	
उप कुल		119	92	651	2076	2938									14538750.00	

क्र. सं.	योजना का नाम	उपलब्धियाँ														
		लाभभोगियों की संख्या						भौतिक (यूनिट)						वित्तीय (सब्सिडी ₹ में)		
		एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल
3	एनटीआरएम का निष्कासन और टापलीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	419	253	1504	5132	7308	419	253	1504	5132	7308	419000.00	253000.00	1504000.00	5132000.00	7308000.00
4	पी एच पी एम उपाय बल्किंग शेड/ मोडल स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण	0	0	5	16	21	0	0	5	16	21	0.00	0.00	62000.00	198000.00	260000.00
5	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम															
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण															
i	कार्यशाला	...	...	...	...	392	...	...	...	...	4	...	...	...	...	169835.00
ii	नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	...	...	...	...	9514	...	...	...	...	176	...	...	...	...	489568.00
iii	एन आई पी एच एम में अधिकारियों/कर्मचारी/गोयशों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	...	...	...	...	99	...	...	...	...	6	...	...	...	...	751421.00
iv	सीपीए अवशेष समस्याओं को पता लगाने विस्तार कार्यक्रम	...	...	...	...	709	...	...	...	...	2	...	...	...	...	77724.00
ख	प्रचार & विस्तार साहित्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	700	...	...	...	...	36000.00
ग	अध्ययन यात्रा	...	...	...	...	1191	...	...	...	...	36	...	...	...	...	1017891.00
घ	क्षेत्र मित्र दल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	44853.00
ङ	उत्तम गोयार पुरस्कार	...	...	...	...	30	...	...	...	...	30	...	...	...	...	145000.00
	उप कुल	...	...	...	...	11935	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2732292.00
6	ऑन - फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल	...	...	...	...	1776	...	...	...	...	30	...	...	...	...	541525.00
7	नमूना परियोजना क्षेत्र महा योग	...	...	...	...	1838	...	...	...	...	30	...	...	...	...	936085.00
						27857										29284045.00

गोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I) तम्बाकू बोर्ड का गोयर कल्याण निधि :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिशा राज्यों में लगभग 89,000 तम्बाकू गोयरों और उनके परिवार के सदस्यों की समग्र कल्याण निश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन के साथ 2009-10 में “तम्बाकू बोर्ड गोयर कल्याण योजनाएँ” प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनाया।

यह कल्याण योजना मृत्यु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता और बालिका विवाह, आश्रित बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है को और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बखारों को मरम्मत आदि., के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रावधान करता है। तम्बाकू बोर्ड इस योजना के प्रारंभ से अब तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 14,278 गोयरों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया। ₹ 36.24 करोड़ मूल्य के अनुदान 10,397 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 3,881 गोयरों को ₹ 8.53 करोड़ मूल्य के ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किये गये।

इस योजना के प्रारंभ से 2018-19 के अंत तक तम्बाकू बोर्ड का गोयर कल्याण निधि में ₹ 59.12 करोड़ की राशि उपलब्ध रहा।

2018-19 के दौरान अनुदानों के रूप में ₹ 6.28 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में ₹ 2.16 करोड़ रुपये, कुल मिलकर ₹ 8.45 करोड़ ऋण वितरित किये गये। 2018-19 के दौरान योजना वार दिये अनुदान ब्याज मुक्त ऋण विवरण पृष्ठ सं. 61 में दिये गये।

II) किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

i) मिट्टी व जल परीक्षण :

पंजीकृत तम्बाकू गोयरों के मिट्टी व जल नमूनाओं को संग्रहित एवं विश्लेषण नियमित के आधार पर मुफ्त में बोर्ड करता है। बोर्ड ने, विश्लेषित परिमाणों के आधार पर, एफ सी वी तम्बाकू कृषि के लिए मिट्टी उपयुक्तता और जल सिंचाई और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों में सही मात्राओं को उपयोग करने के लिए गोयरों को सलाह देती है। 2018-19 फसल मौसम के दौरान, 5,300 मिट्टी नमूनाओं और 625 जल नमूनाओं को विश्लेषण करके परिणाम संबंधित गोयरों को सूचित किया गया। उक्त के अलावा, 2018-19 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 934 मिट्टी नमूनाओं को और कर्नाटका में 180 मिट्टी नमूनाओं को - एफई, जडएन, एमएन और सीयू आदि., की सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए विश्लेषण को अपनाये गये।

राज्य	मिट्टी नमूने	जल नमूने
आन्ध्र प्रदेश	2,300	625
कर्नाटका	3,000	—
कुल	5,300	625

III) एफ सी वी तम्बाकू ग्राहकों के लिए बखार और माल (स्टॉक) बीमा :

वर्ष 2003 से स्टैंडर्ड फायर तथा एलाइड पेरिल्स पॉलिसी (स्थायी अग्नि तथा संबंध जोखिम पॉलिसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टॉकों को आच्छेद बीमा की सुविधा, बोर्ड दे रही है। पंजीकृत ग्राहक भी हर साल ग्रुप पर्सनल दुर्घटना पालिसी (जीपीए) (समूह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी) के अंतर्गत आच्छादित होते हैं। 2018-19 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 26,606 ग्राहकों को तथा उनके 31,119.64 बखारों के लिए बीमा आच्छेदन प्रावधान किया गया और इस के लिए ₹ 1.88 करोड़ राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को अदा किया गया।

IV) ग्राहकों के लिए ऋण सुविधाएँ :

2018-19 के दौरान एफसीवी तम्बाकू की कृषि के लिए एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्न लिखित फसल ऋण और बखार मरम्मत ऋणों के अग्रिम की सुविधा, बोर्ड ने दी है:

ऋण का प्रकार	आन्ध्र प्रदेश		कर्नाटका	
	लाभभोगियों	राशि	लाभभोगियों	राशि
		(₹ करोड़ों में)		(₹ करोड़ों में)
फसल ऋण	39356	1280.76	38,675	714.33
बखार मरम्मत ऋण	2,218	26.27	8,501	38.76

2018-19 के दौरान योजना वार दिये गये अनुदान/ ब्याज मुक्त ऋण विवरण

विवरण (अनुदान/ ऋण)	योजना प्रारंभ से दिनांक 31/03/2019 तक						2018-19 के दौरान (01/04/2018 से 31/03/2019) तक					
	आन्ध्र प्रदेश			कर्नाटका			आन्ध्र प्रदेश			कर्नाटका		
	लाभ भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखा में	लाभ भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखा में	लाभ भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखा में	लाभ भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखा में	लाभ भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखा में	लाभ भोगियों की संख्या	कुल राशि (₹) लाखा में
अनुदान :												
सहज मृत्यु	4629	1417.70	5387	1939.22	10016	3356.92	371	185.30	820	397.25	1191	582.55
दुर्घटना मृत्यु	245	166.50	136	101.00	381	267.50	24	24.00	22	22.00	46	46.00
कुल	4874	1584.20	5523	2040.22	10397	3624.42	395	209.30	842	419.25	1237	628.55
ऋण :												
बालिका विवाह सहायता/ प्रधान विमारी/दुर्घटना मामला, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है।	69	19.50	1037	385.50	1106	405.00	1	0.5	302	151.00	303	151.50
डामेज बखार / अग्नि दुर्घटना के मरम्मत के लिए आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण	37	13.65	61	17.74	98	31.39	1	0.5	5	2.24	6	2.74
	2228	261.45	110	52.20	2338	313.65	0	0	87	42.90	87	42.90
कुल	239	70.37	100	33.50	339	103.87	6	3.0	32	16.00	38	19.00
महायोग (अनुदान + ऋण)	2573	364.97	1308	488.94	3881	853.91	8	4.00	426	212.14	434	216.14
	7447	1949.17	6831	2529.16	14278	4478.33	403	213.30	1268	631.39	1671	844.69

प्लैटफार्मों में नीलामकार सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रोताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, तम्बाकू उत्पादकों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने कर्नाटका में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 को एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली को शुरू की है। यह प्रणाली उत्पादकों को सही भुगतान तथा तम्बाकू के ठीक तौलन को भी सुनिश्चित करती है। तब से लेकर बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए, नीलामी प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करता आ रहा है।



एफ सी वी तम्बाकू का ई - नीलाम

I. आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

क) परिमाण एवं मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में, 2017-18 एफ सी वी फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2017-18 वित्तीय वर्ष में दि. 08/03/2018 को प्रारंभ हुई और समापन वित्तीय वर्ष 2018-19 में दि. 10/10/2018 को हुई। नीलाम मौसम के अंत तक ₹ 130.00 प्रति कि. ग्रा. के औसत मूल्य में 133.05 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू का कुल परिमाण विपणन हुआ, जिसमें 2018-19 वित्तीय वर्ष के दौरान याने., दि. 01/04/2018 से 10/10/2018 तक की अवधि के दौरान ₹ 129.65 प्रति.कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 131.41 मि.कि.ग्रा. परिमाण तम्बाकू विपणन हुआ था। दि. 01/04/2018 से 10/10/2018 तक के दौरान विपणित नीलाम प्लैटफार्म वार परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य पृष्ठ सं. 73-74 में दिये गये।

ख) न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी)

बोर्ड की संगठित प्रयासों से अनेक वर्षों के अन्तराल के बाद भारतीय तम्बाकू संघ ने आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 फसल मौसम से एफ सी वी तम्बाकू फसल के लिए न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) देने के लिए सहमत हुई तथा घोषित की। घोषित न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा।

2017-18 फसल मौसम केलिए घोषित न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य नीचे दिये गये :

श्रेणी	परंपरागत मिट्टियों में तम्बाकू के लिए एम जी आई पी (द ह मि, दकामि तथा उ का मि) (₹. कि./ग्रा)		उत्तरी हल्की मिट्टियों में तम्बाकू केलिए एमजीआईपी (₹. कि./ग्रा)	
	से	तक	से	तक
चमकीला	110.00	120.00	130.00	140.00
मध्यम	95.00	105.00	110.00	120.00
निम्न*	50.00	60.00	50.00	60.00

*‘एन ओ जी’ श्रेणी को छोड़कर

ग) 2018 आन्ध्र प्रदेश नीलाम बिक्रियों की विशिष्टाएँ :

निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने 2017-18 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश केलिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया। प्रकाशम और नेल्लुरु जिलों में 2017-18 एफ सी वी तम्बाकू फसल लगातार तीसरे वर्ष के लिए लंबे सूखा स्थिति के अधीन रही। इससे पैदावार पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में, अगस्त और सितम्बर महीनों के दौरान, अच्छी बारिश प्राप्त हुई और किसानों ने प्रधान क्षेत्र में ट्रान्सप्लानटेशन अपनाने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी। इस अनुकूल वातावरण की सहायता से दक्षिणी हल्की मिट्टी (दहमि) ग्रायरो में इस मौसम में पहले ही ट्रान्सप्लानटेशन अपनाये थे और रोपित फसल की वृद्धि अच्छी रही थी। प्रतिरोपण के बाद सितम्बर महीने के अंत से कोई बारिश नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की स्थिति गंभीर सूखा स्थिति रह गयी थी।

दक्षिण काली मिट्टी (दकामि) क्षेत्र की स्थिति में सूखा की स्थिति प्रतिरोपण के प्रारंभ से लेकर पूरे फसल मौसम तक रह गया। दहमि और दकामि दोनों क्षेत्रों में किसानों फसल को आजीवन सिंचाई प्रदान करने अतिरिक्त खर्च किया और इन प्रयासों के कारण दहमि और दकामि क्षेत्रों में किसानों को पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी अच्छी गुणवत्ता वाले तम्बाकू का उत्पादन किये थे।

उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि) क्षेत्र की स्थिति में, चक्रवात वर्षा के पूर्वानुमान के कारण प्रतिरोपण करने केलिए सामान्य रूप से 15 दिनों की देरी हुई। प्रतिरोपण अक्टूबर, 2017 की दूसरी पक्ष में लगाये गये। इस क्षेत्र के अंतर्गत फसल को पूरी तरह से सिंचाई स्थिति में किया गया था, इसलिए फसल विकास अच्छी रही और पैदावार अच्छी हुई।

कुल मिलाकर इस मौसम के दौरान कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारी की घटना नहीं देखी गई। ‘‘ओरेबान्खे’’ (तम्बाकू पौधे की जड़ परजीवी) के प्रभाव अपनी सीमा को सीमित कर दिया था और पूर्व प्लानटेशन और फसल रोटेशन के कारण बुरी प्रभाव पड़ा।

इस प्रतिकूल वातावरण की स्थितियों के कारण 136 मिलियन कि.ग्रा.के लक्ष्य परिमाण के लिए केवल 133.05 मिलियन कि.ग्रा. का उत्पादन किया गया था।

घ) श्रेणी आऊट टर्न :

पिछले वर्ष के दौरान रहे 43% : 26% और 31% श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में वर्तमान फसल केलिए चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के प्रतिशतता के शब्दों के लिए क्रमशः 43%:31% और 26% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये गये।

ङ) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 मौसम केलिए एक सी वी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियों दो दशाओं में नीचे दिये सारणी के अनुसार प्रारंभ हुए :

क्र.सं.	फेज	नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ तारीख	नीलाम प्लैटफार्म
1	पहली दशा (दहमि क्षेत्र)	08/03/2018 गुरुवार	6 नीलाम प्लैटफार्म
2	दूसरी दशा (दकमि क्षेत्र)	19/03/2018 सोमवार	6 नीलाम प्लैटफार्म
3	तीसरी दशा (उकमि & उहमि क्षेत्र)	11/04/2018 बुधवार	6 नीलाम प्लैटफार्म

सभी नीलामी प्लैटफार्मों में नीलामियाँ पिछले वर्ष की शुरुआत दिन की कीमतों के अनुरूप प्रारंभ हुई हैं। अदा किया हुआ मूल्य बाजार के 5 वीं सप्ताह तक स्थिर रही थी, बाद में, कीमतों में छोटा सा सुधार हुआ था। निम्न श्रेणी और पीला तम्बाकू को कोई लेने वाला नहीं रहा था। बिक्री के लिए पेश किये बेलों की अस्वीकृति प्रतिशत 23% को छू लिया है।

मूल्यों में गिरावट से किसानों चिंतित रहे थे और सभी नीलामी प्लैटफार्मों के किसान नेताओं ने तम्बाकू बोर्ड मुख्य कार्यालय, गुण्टूर को विजिट किया तथा उनके समस्याओं का प्रतिनिधित्व और लाभकारी मूल्य के लिए अनुरोध किया। ग्राहक प्रतिनिधियों ने तम्बाकू के प्रधान निर्माणकर्ताओं और निर्यातकों के साथ बातचीत की है और उनसे अनुरोध किया है कि तम्बाकू उत्पादन में आने वाली खेती की लागत और अन्य समस्याओं के समाधान केलिए लाभकारी कीमतों के साथ किसानों को समर्थत करें।

बाजार की मौजूदा कीमतों और किसानों की वेदना को देखते हुए सचिव, तम्बाकू बोर्ड ने भारतीय तम्बाकू संघ और एफसीवी तम्बाकू के प्रधान निर्माणकर्ताओं और निर्यातकर्तकों के साथ बैठक आयोजित किया और बाजार में कीमतों की गिरावट और तम्बाकू खेती में किसानों को जारी रखने किसानों की हितों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जोर दिया था।

इस बैठक के दौरान व्यापारी वर्ग सकारात्मक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बिक्री के लिए पेश किये श्रेणियों के लिए उचित मूल्य देकर तम्बाकू की खरीद को शुरू कर दी है।

दि. 10/10/2018 को नीलाम बिक्रियाँ समाप्त हुई। कुल 133.05 मि.कि.ग्रा. परिमाण ₹130 प्रति कि.ग्रा की औसतम मूल्य में विपणन हुआ था।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसत मूल्य नीचे दिये गये :

मिट्टी क्षेत्र	2018 नीलामियों में विपणित परिमाण (मिलियन कि.ग्रा)	2018 नीलामियों में प्राप्त औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	2018 नीलामियों में औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	2018 नीलामियों की तुलना में औसत मूल्य के अंतर (₹/कि.ग्रा)
उत्तरी काली मिट्टियाँ (उकामि)	2.85	124.41	132.89	-8.48
दक्षिणी काली मिट्टियाँ (दकामि)	41.81	123.38	116.11	7.27
दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि)	37.21	125.83	116.22	9.61
उत्तरी हल्की मिट्टियाँ (उहामि)	51.18	138.74	158.79	-20.05
कुल	133.05	130.00	134.28	-4.28

च) क्रेता निष्पादन :

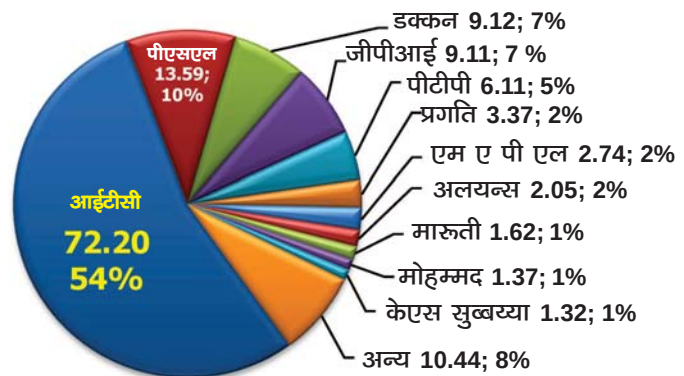
2018 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 68 क्रेता भाग लिये। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और औसत मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार रहे :

क्र. सं.	क्रेता संवर्ग	2018 नीलामियाँ			2017 नीलामियाँ		
		परिमाण (मि. कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	परिमाण (मि. कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	निर्माणकर्ता	81.31	61.12	135.27	48.96	46.47	143.46
2	निर्यातक	39.65	29.80	121.43	40.40	38.35	126.02
3	अन्य (डीलर)	12.09	9.08	122.64	15.99	15.18	127.04
	कुल	133.05	100.00	130.00	105.35	100.00	134.28

2018 आन्ध्र प्रदेश एफ सी वी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं की खरीदें निम्नानुसार रहे हैं:

कुल मिलाकर 133.05 मिलियन कि.ग्रा. तम्बाकू विपणन के लिए 173 नीलाम दिन लग गये।

2018 आं.प्र नीलाम - प्रधान क्रेता खरीद (सभी क्षेत्र)



छ) कुल विपणित मूल्य :

क्रेताओं द्वारा क्रयित 2017-18 आन्ध्रप्रदेश फसल तम्बाकू के कुल मूल्य ₹ 1729.03 करोड था।

ज) आधिक्य एवं अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 3867 (ई) & 3868 (ई), दि. 03 आगस्त, 2018 द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत गोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 7.5% सेवा प्रभार तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर और पंजीकृत गोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का अप्राधिकृत गोयर, जो 2017-18 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादित किया है, को भी 15% सेवा प्रभार और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी।

आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत गोयरों द्वारा बिक्रित आधिक्य तम्बाकू और अप्राधिकृत गोयरों द्वारा बिक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू परिमाण विवरण निम्नानुसार रहे:

क्र. सं.	गोयर का संवर्ग	गोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत गोयर	25412	15376459.6	108.30
2.	अपंजीकृत गोयर	41	43869.1	94.85

II. कर्नाटका में 2017-18 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

कर्नाटका में 2017-18 एफ सी वी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ दो वित्तीय वर्षों में विस्तारित हुई। 2017-18 एफसीवी फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2017-18 वित्तीय वर्ष में (08/09/2017) प्रारंभ हुई और समापन 2018-19 वित्तीय वर्ष (18/04/2018) को समापन हुई। 2018-19 वित्तीय वर्ष के दौरान याने., 01/04/2018 से 18/04/2018 तक ₹ 122.46 प्रति कि.ग्रा के औसत मूल्य में 2017-18 एफसीवी तम्बाकू की 5.05 मिलियन कि.ग्रा. परिमाण विपणन हुआ था। दि. 01/04/2018 से 18/04/2018 तक प्राप्त नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य पृष्ठ सं 73-74 में दिये गये।

III. कर्नाटका में 2018-19 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

क) परिमाण और मूल्य :

2018-19 एफ सी वी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए कर्नाटका में नीलामियाँ वित्तीय वर्ष 2018-19 को याने., दि. 19/09/2018 से प्रारंभ होकर दि. 28/03/2019 को समाप्त हुई। कुल 85.08 मि. कि.ग्रा परिमाण ₹ 142.28 प्रति कि.ग्रा की औसत मूल्य में विपणन हुआ था।

ख) 2018 कर्नाटका नीलाम बिक्रियों की विशेषताएँ :

बोर्ड ने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग और आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के लिए 100 मिलियन कि.ग्रा. एफसीवी तम्बाकू का फसल परिमाण तय किया है।

इस मौसम में 100 मि.कि.ग्रा लक्षित फसल परिमाण के लिए केवल 85.08 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन हुआ था। इस मौसम में याने., मई महीने में ही किसान पूर्व प्लानटेशन को अपनाये थे, बाद में अच्छी बारिश प्राप्त हुई। फसल की वृद्धि अवधि के दौरान अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिससे उत्पादकता और उपज में कमी आई। इस वर्ष के दौरान उत्पादित फसल में विशिष्ट मैसूर तम्बाकू विशेषताएँ वाले पाया गया हैं, जिसमें पतले आकृति वाले, नीम्बू के रंग वाले सुगन्ध तम्बाकू तत्व हैं। कुल मिलाकर, इस वर्ष में उत्पादित फसल की गुणवत्ता को 'अच्छा' माना गया था।

ग) श्रेणी आऊट टर्न :

मौजूदा फसल के लिए चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी प्रतिशत के संदर्भ में पिछले वर्ष की 21% : 45%, और 34% की तुलना में 23% : 46% और 31% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज हुए थे।

घ) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

कर्नाटका में ई- नीलाम प्रणाली के द्वारा 96.71 मिलियन कि.ग्रा. अनुमानित क्यूरेड तम्बाकू को विपणन करने के लिए 2018-19 एफ सी वी तम्बाकू बिक्री के लिए नीलामियाँ 11 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.19 सितम्बर, 2018 को प्रारंभ हुई हैं।

नीलाम बिक्रियाँ सकरात्मक नोट के साथ शुरू हुई हैं और पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त ₹160/- प्रति कि.ग्रा. के लिए प्रारंभ दिन में गुणवत्ता तम्बाकू के लिए उच्चतम मूल्य ₹165/- प्रति कि.ग्रा. दर्ज हुआ था।

11 सप्ताहों की नीलाम के दौरान नीलाम मूल्य, जो मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए ₹5/- से ₹10/- प्रति कि.ग्रा और चमकीला श्रेणी के लिए ₹2/- से ₹3/- प्रति कि.ग्रा. तक संशोधित हो गई और किसानों इस तेजी गिरावट के लिए विरोध किये थे और कुछ नीलाम प्लैटफार्मों में नीलामियाँ बंद कर दिये गये।

भातंस और ग्रायर के प्रतिनिधियों और सभी प्रधान निर्माणकर्ताओं & निर्यातकों के साथ-साथ दि. 28/11/ 2018 को एक बैठक संपन्न हुई। कार्यपालक निदेशक ने बाजार की समीक्षा की और कीमतों को सुधार करने किसानों को, जो कि किसान एफसीवी तम्बाकू खेती को बनाये रखने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य देने के लिए व्यापारी वर्ग को सूचित कर दिया गया था।

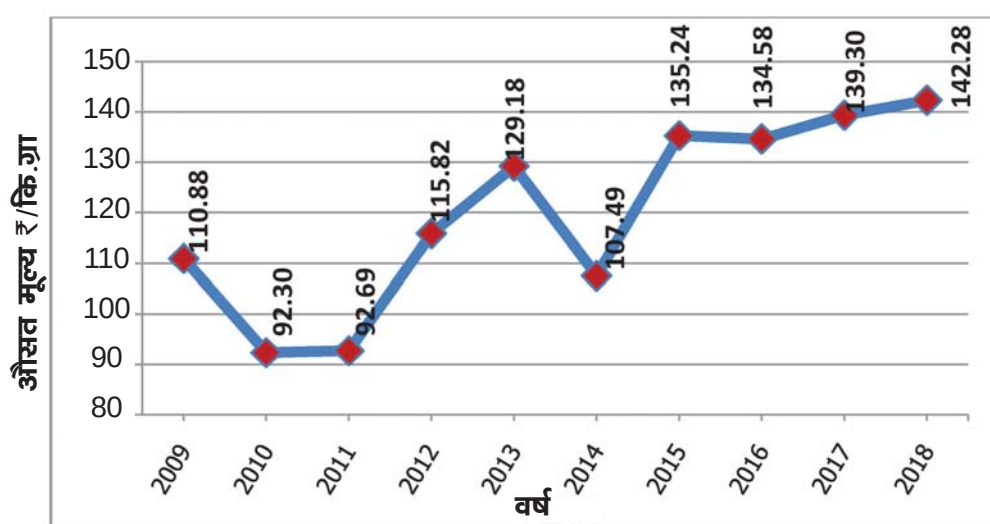
कार्यपालक निदेशक द्वारा किये समीक्षा के बाद, व्यापारी वर्ग द्वारा दी जा रही कीमतों में काफी सुधार प्राप्त हुआ। फरवरी के 20 वीं सप्ताह तक कीमतों में सुधार प्रारंभ हुआ और मौसम के अंत तक यह प्रवृत्ति जारी रही।

2018 कर्नाटका एफ सी वी तम्बाकू नीलामियों के दौरान चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी तम्बाकू केलिए प्राप्त औसत मूल्य, जो पिछले वर्ष के फसल की तुलना में नीचे दिये गये :

श्रेणी	2018 नीलामियों में विपणित प्ररिमाण (मि. कि.ग्रा)	2018 नीलामियों में औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	2017 नीलामियों में औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	2017 नीलामियों की तुलना में 2018 में औसत मूल्य में अंतर (₹/कि.ग्रा)
चमकीला	19.25	165.48	162.42	3.06
मध्यम	39.34	146.83	148.97	-2.14
निम्न	26.49	118.65	112.05	6.60
कुल	85.08	142.28	139.30	2.98

चमकीला और निम्न श्रेणी तम्बाकू केलिए प्राप्त औसत मूल्य, जो पिछले वर्ष की औसत मूल्य (की तुलना में) के लिए क्रमशः ₹3.06 और ₹6.60 प्रति.कि.ग्रा कम रही थी। मध्यम श्रेणियों के लिए प्राप्त कम कीमत, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹2.14 प्रति कि.ग्रा कम रहा था। निम्न श्रेणी तम्बाकू केलिए प्राप्त अच्छी औसत मूल्य कर्नाटका के किसानों को सुरक्षित रखा, क्योंकि उत्पादित फसल में निम्न श्रेणी का आऊट टर्न काफी अधिक था। कुल मिलाकर, 2018-19 मौसम के दौरान प्राप्त ₹142.28 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य ₹2.98 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था, जो भारत में एफसीवी तम्बाकू केलिए ऐतिहासिक रूप से उच्चतम रिकार्ड रह गई।

2009 से कर्नाटका नीलामियों में ग्राहकों द्वारा प्राप्त औसत मूल्य



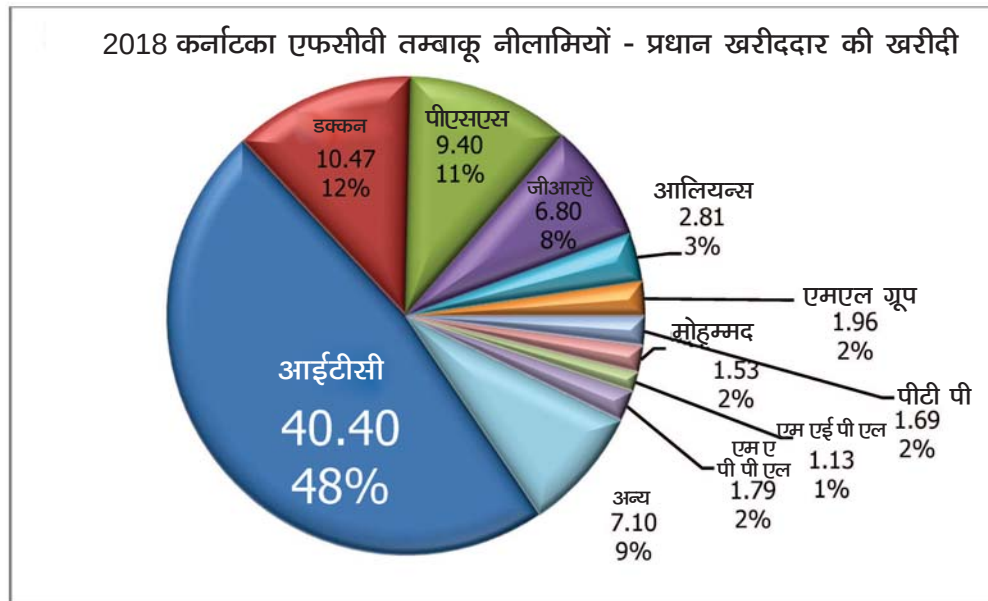
ड) खरीददार का निष्पादन :

2018 कर्नाटका नीलामियों के दौरान कुल 36 खरीददार भाग लिये। 2018-19 कर्नाटका नीलामियों के दौरान क्रयित तम्बाकू परिमाण, शेयर प्रतिशतता तथा निर्माणकर्ताओं, निर्यातकों तथा डीलरों (अन्यो) के द्वारा प्रदत्त मूल्य, जो पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार रहा है :

क्र. सं.	खरीददार का संवर्ग	2017-18			2016-17		
		क्रयित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹ /कि.ग्रा)	क्रयित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹ /कि.ग्रा)
1	निर्माणकर्ता	47.20	55.48	146.43	63.93	59.80	145.85
2	निर्यातक	32.18	37.82	138.25	38.17	35.71	129.69
3	अन्य (डीलर)	5.70	6.70	130.64	4.79	4.49	128.36
	कुल	85.08	100.00	142.28	106.89	100.00	139.30

2018-19 कर्नाटका नीलामियों के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू के परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और उच्चतम बिड दर्शानेवाले विवरणिका पृष्ठ सं 65 में रखे गये थे।

2018 कर्नाटका एफ सी वी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान खरीददार विवरण नीचे दिये थे :



कुल मिलाकर 85.08 मिलियम क्रि.ग्रा तम्बाकू को विपणन करने के लिए 147 नीलाम दिन लिए गये।

च) आधिक्य फसल एवं अप्राधिकृत फसल बिक्री के लिए ग्राहकों को अनुमति :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 927 (ई) & 928 (ई), दि. 20 फरवरी, 2018 द्वारा कर्नाटका राज्य में पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 7.5% सेवा प्रभार तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर और पंजीकृत ग्राहकों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक अप्राधिकृत ग्राहक, जो 2018-19 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन किया है, को भी 15% सेवा प्रभार और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी।

कर्नाटका मे पंजीकृत गोयरोँ द्वारा विक्रित आधिव्य तम्बाकू परिमाण और अपंजीकृत गोयरोँ द्वारा विक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू विवरण निम्नानुसार रहे :

क्र. सं.	गोयर संवर्ग	गोयरोँ की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1.	पंजीकृत गोयर	14305	4457708.2	145.82
2.	अपंजीकृत गोयर	11968	5301467.7	137.80

IV. आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 एफ सी वी तम्बाकू बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) 2019 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट :

2018-19 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया। लक्षित 136 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण के लिए 126.29 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन अनुमानित था।

प्रकाशम तथा नेल्लुरु जिलों में 2018-19 एफ सी वी तम्बाकू फसल, जो इस दिशा की पंक्ति में चौथा क्रमिक दीर्घ सूखा स्थिति महसूस किया था। इससे पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में, सितम्बर तथा अक्टूबर माहों के दौरान पर्याप्त वर्षा प्राप्त होने के कारण ट्रान्सप्लानटेशन देरी हुई। प्रतिरोपणों (ट्रान्सप्लानटेशन) के बाद भी अधिकाधिक द का मि के क्षेत्रों में कोई वर्षा प्राप्त नहीं हुई थी, के कारण कठिन सूखा परिस्थितियों का सामना किया था।

दहमि और दकामि दोनों क्षेत्रों में किसानों जीवन रक्षा सिंचाई को उपलब्ध कराने प्रति एकड़ केलिए ₹10,000/- से अधिक राशि को खर्च किये थे। “ओरबान्खे” (तम्बाकू पौधा की रूट दुर्बल करने वाली पराजीवी) का आपतन गंभीर रहा था और पैदावार और फसल गुणता प्रभावित हुए थे।

उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्र (उकामि) ‘पेधाई’ चक्रवात के कारण भारी अघात लग गया और किसानों को जनवरी महीने में पुनः प्लानटेशन केलिए विवश हो गये।

उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि) क्षेत्र की स्थिति में फसल वृद्धि उत्तम और अच्छी पैदावार उत्पाद प्राप्त हुई। समग्र रूप में, इस मौसम के दौरान कोई प्रदान पेस्ट तथा बीमारी का आपतन नहीं पाया गया।

इस वर्ष के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और आकलित उत्पादन नीचे दिये गये थे :

क्र. सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मिलियन कि.ग्रा)	आकलित उत्पादन (मि. कि.ग्रा)
1	उकामि क्षेत्र	4.00	2.50
2	दकामि क्षेत्र	43.71	40.62
3	दहमि क्षेत्र	42.29	39.84
4	उहमि क्षेत्र	46.00	43.33
	समग्र योग	136.00	126.29

चालू फसल केलिए चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों की प्रतिशत, जो पिछले वर्ष के दौरान रहे 43% : 31% और 26% की तुलना में क्रमशः 29% : 33% और 38% रहा था।

ख) नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :

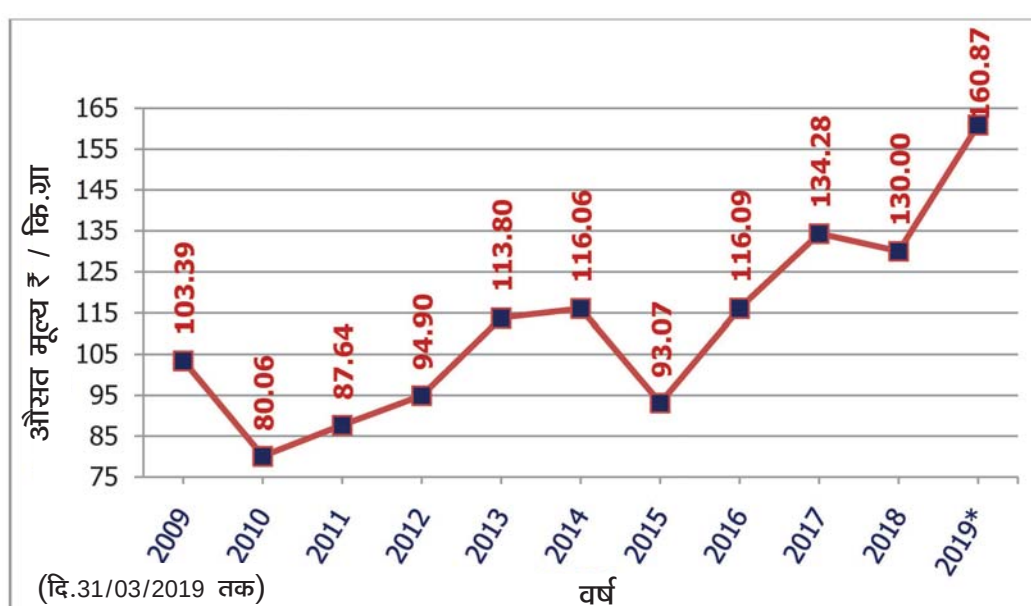
आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 मौसम एफसी वी तम्बाकू फसल के लिए नीलामियाँ 3 दशाओं में निम्नानुसार प्रारंभ हुए :

क्र. सं.	दशा	नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ की तारीख	नीलाम प्लैटफार्म
1	पहली दशा (दहमि क्षेत्र)	22/03/2019	6 नीलाम प्लैटफार्म
2	दूसरी दशा (दकामि & उहमि क्षेत्र)	27/03/2019	6 नीलाम प्लैटफार्म
3	तृतीय दशा (उकामि क्षेत्र)	15/04/2019	1 नीलाम प्लैटफार्म

ग) परिमाण एवं मूल्य :

दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों के अंतर्गत, सभी नीलामी प्लैटफार्मों में नीलामियाँ सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए। मार्च, 2019 अन्त तक ₹160.87 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 0.95 मिलियन कि.ग्रा तम्बाकू का कुल परिमाण विपणन हुआ था। इस चालू मौसम के दौरान प्राप्त ₹160.87 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य, जो अनुरूप विपणित परिमाण के लिए पिछले वर्ष में प्रति कि.ग्रा के लिए प्राप्त मूल्य से ₹2.87 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था।

2009 से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में ग्राहकों को प्राप्त औसत मूल्य :



ड) दि. 31/03/2019 तक चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य निम्नानुसार है :

श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹ /कि.ग्रा.)
चमकीला	0.67	70.91	158.52
मध्यम	0.27	28.70	154.25
निम्न	0.01	0.39	155.00
कुल	0.95	100.00	160.87

दि. 31/03/2019 तक नीलाम प्लैटफॉर्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और दर्ज उच्चतम बिड पृष्ठ सं. 75-76 में दिये गये ।

च) 2018-19 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण :

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों नीलाम प्लैटफॉर्मों में दि. 01/04/2018 से 31/03/2019 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 222.49 मि ग्रा. तथा उपार्जित औसत मूल्य ₹ 134.45 प्रति कि.ग्राम रहा। विवरण पृष्ठ सं. 73-74 में दिये गये ।

दि. 01/04/2018 से 31/03/2019 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में खरीदे गये तम्बाकू का परिमाण, प्रतिशत हिस्सा तथा निर्माणकर्ता, निर्यातक एवं डीलरों के द्वारा प्रदत्त किये गये औसत मूल्यों के विवरण पृष्ठ सं. 77-78 में दिये गये ।

व) किसानों को मानकीकृत बेल पैकिंग सामग्री की आपूर्ति:

तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) विनियम, 1984 के विनियम 7 के अनुसार नीलाम विक्रय के लिए लाये गये अपने तम्बाकू को पैकिंग करने के लिए सभी ग्राहकों को मानकीकृत बेल - पैकिंग सामग्री को उपयोग करने की ओर ध्यान दिया जाता है। तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) विनियम के 7(7) के अनुसार, बेल के लिए उपयोग किये गये तार के साथ पैकिंग सामग्री एक कि. ग्रा से अधिक भार न हो।

तदनुसार, बोर्ड ने तम्बाकू बेल पैकिंग सामग्री को मानकीकृत किया तथा भारतीय तम्बाकू संघ (भा तं सं) द्वारा ग्राहकों को निशुल्क आपूर्ति करने की व्यवस्था किया। भा.त.सं. 2018-19 फसल मौसम के लिए कर्नाटका के तम्बाकू ग्राहकों को 10,07,360 यूनिटों की बेल पैकिंग सामग्री तथा 2017-18 फसल केलिए आन्ध्र प्रदेश के ग्राहकों को 11,57,500 यूनिटों की बेल पैकिंग सामग्री आपूर्ति किये थे। बोर्ड भी बेल पैकिंग सामग्री को ग्राहकों को वितरण करने की व्यवस्था किया तथा मूल्य को व्यापारियों से वसूली करके इसे भारतीय तम्बाकू संघ को जमा करने की व्यवस्था किया ।

**01/04/2018 से 31/03/2019 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में
नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2018 आं.प्र. नीलाम 01/04/2018 से 10/10/2018 तक की अवधि के दौरान विपणित परिमाण		2019 आं.प्र. नीलाम 22/03/2019 से 31/03/2019 तक की अवधि के दौरान विपणित परिमाण		01/04/2018 से 31/03/2019 तक की अवधि के लिए कुल विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औद्यत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औद्यत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औद्यत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
I. आन्ध्र प्रदेश							
1	तोर्रेडू	2847923.8	124.41	0	0.00	2847923.8	124.41
कुल (उकामि)		2847923.8	124.41	0	0.00	2847923.8	124.41
2	वेल्लमपल्ली-I						
3	वेल्लमपल्ली-II	7825642.0	118.75	47303.9	160.43	7872945.9	119.00
4	ओंगोल-I	7907105.6	119.43	20390.3	164.90	7927495.9	119.55
5	ओंगोल- II	6812708.0	120.96	16401.9	160.20	6829109.9	121.05
6	टंगुदूर-I	5753457.8	128.85	10903.6	162.35	5764361.4	128.91
7	टंगुदूर-II	4813202.9	126.10	15606.9	163.25	4828809.8	126.22
8	कोंडेपी	8022522.6	125.43	21579.5	159.61	8044102.1	125.52
कुल (दकामि)		41134638.9	122.82	132186.1	161.45	41266825.0	122.94
9	पोदिली - I	7017111.3	117.65	101175.6	156.47	7118286.9	118.20
10	पोदिली –II						
11	कन्दुकुरु -I	8779608.6	126.56	158011.2	163.69	8937619.8	127.22
12	कन्दुकुरु - II	7447751.8	129.09	149316.7	162.45	7597068.5	129.75
13	कनिगिरी	3561647.1	118.53	71731.7	162.12	3633378.8	119.39
14	कलिगिरी	3775029.9	129.27	151034.8	159.51	3926064.7	130.43
15	डी.सी.पल्ली	5663474.7	127.37	104108.3	160.91	5767583.0	127.98
कुल (दहमि)		36244623.4	124.98	735378.3	161.04	36980001.7	125.70
16	देवरपल्ली	7939196.1	143.70	16340.0	153.50	7955536.1	143.72
17	जे.आर.गूडेम -I	11877167.3	136.90	10817.0	162.16	11887984.3	136.92
18	जे.आर.गूडेम - II	12001993.5	135.78	18644.8	159.81	12020638.3	135.82
19	कोय्यलगूडेम	11194575.5	137.14	12199.4	155.20	11206774.9	137.16
20	गोपालपुरम	8167421.0	143.16	21050.6	160.48	8188471.6	143.20
कुल (उहामि)		51180353.4	138.74	79051.8	158.29	51259405.2	138.77
उप कुल		131407539.5	129.65	946616.2	160.87	132354155.7	129.87

II. कर्नाटका

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2017 कर्नाटका नीलाम 01/04/2018 से 18/04/2018 तक अवधि के लिए विपणित परिमाण		2018 कर्नाटका नीलाम 19/09/2018 से 28/03/2019 तक अवधि के लिए विपणित परिमाण		01/04/2018 से 31/03/2019 तक अवधि के लिए कुल विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औद्यत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औद्यत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औद्यत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	एच.डी कोटे-I			7482384.2	143.02	7482384.2	143.02
2	एच.डी कोटे -II						
3	हुन्सूर -I	289452.9	111.81	7408706.2	142.50	7698159.1	141.35
4	हुन्सूर -II	187591.9	114.93	7520079.4	141.58	7707671.3	140.93
5	हुन्सूर -III	256129.5	130.7	6632128.2	143.21	6888257.7	142.74
6	कंपलापुरा -I	286383.4	120.45	7131200.8	142.21	7417584.2	141.37
7	चिलकुंदा			9248125.0	142.69	9248125.0	142.69
8	पेरियपट्टना-I	569135.3	111.1	8694001.8	144.21	9263137.1	142.18
9	पेरियपट्टना-II	754635	132.55	8827459.5	142.15	9582094.5	141.39
10	पेरियपट्टना-III	639394.8	121.49	7700179.6	142.05	8339574.4	140.47
11	रामनाथपुरा-I	1280945.2	125.43	7873960.4	140.83	9154905.6	138.68
12	रामनाथपुरा-II	791064.8	120.73	6562238.7	140.12	7353303.5	138.03
	उप कुल	5054732.8	122.46	85080463.8	142.28	90135196.6	141.17
	महा योग	136462272.3	129.38	86027080.0	142.48	222489352.3	134.45

**2018 कर्नाटका नीलाम - 31/03/2019 तक नीलाम प्लेटफार्म
वार नीलाम किये एफ सी वी तम्बाकू विवरण**

क्र. सं.	नीलाम प्लेटफार्म का नाम	नी प्लै सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	विक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उल्लतम बोली (र/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (र)	औसत मूल्य (र/कि.ग्रा)
1	एच.डी कोटे-I	1	9.18	19.09.18	74751	186.00	7482384.2	1070224381.00	143.02
2	हुन्सूर- I	2	7.02	19.09.18	74811	188.00	7408706.2	1055737009.60	142.50
3	हुन्सूर - II	3	6.92	19.09.18	75493	188.00	7520079.4	1064691862.20	141.58
4	हुन्सूर - III	64	6.05	19.09.18	66374	188.00	6632128.2	949750147.30	143.21
5	कंपलापुरा	61	7.42	19.09.18	71941	187.00	7131200.8	1014150118.60	142.21
6	चिलकुंदा	62	10.55	19.09.18	93677	186.00	9248125.0	1319558210.60	142.69
7	पेरियपट्टना - I	4	12.15	19.09.18	85015	186.00	8694001.8	1253795751.50	144.21
8	पेरियपट्टना - II	5	11.04	19.09.18	87060	188.00	8827459.5	1254862172.30	142.15
9	पेरियपट्टना - III	6	10.30	19.09.18	77317	188.00	7700179.6	1093825394.20	142.05
10	रामनाथपुरा-I	7	10.65	19.09.18	82672	186.00	7873960.4	1108854052.80	140.83
11	रामनाथपुरा-II	63	8.72	19.09.18	68565	186.00	6562238.7	919470706.50	140.12
	महा योग		100.00	19.09.18	857676	188.00	85080463.8	12104919806.60	142.28

2019 आन्ध्र प्रदेश नीलाम

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी प्लै संख्या	लक्षित परिमाण (मि.कि)	आकलित परिमाण (मि.कि)	प्रारंभ की तारीख	विक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किसे उच्चतम बिड (₹ / कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू का मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	तोरेंडू	15	4.00	2.50	15.04.19		नीलाम विक्रियाँ अभी प्रारंभ होना है।			
	कुल (उकामि)	4.00	2.50							
3	वेल्लमपल्ली - II	31	8.63	8.31	27.03.19	355	166.00	47303.9	7588964.68	160.43
4	ओंगोल - I	20	7.15	7.50	27.03.19	152	175.00	20390.3	3362360.47	164.90
5	ओंगोल - II	23	8.12	7.30	27.03.19	139	173.00	16401.9	2627584.38	160.20
6	टंगुदूर-I	24	6.20	5.80	27.03.19	84	166.00	10903.6	1770199.46	162.35
7	टंगुदूर-II	34	5.71	4.91	27.03.19	135	167.00	15606.9	2547826.43	163.25
8	कौंडेपी	25	7.90	6.80	27.03.19	154	165.00	21579.5	3444304.00	159.61
	कुल (दकामि)		43.71	40.62	1019		175.00	132186.1	21341239.41	161.45
10	पोदिली - I	22	10.34	8.00	22.03.19	738	168.00	101175.6	15830946.13	156.47
11	कन्दुकुरु - I	26	8.16	9.46	22.03.19	1205	178.00	158011.2	25863273.22	163.68
12	कन्दुकुरु - II	27	7.30	8.48	22.03.19	1103	179.00	149316.7	24256497.92	162.45
13	कनिगिरि	35	4.71	3.60	22.03.19	521	170.00	71731.7	11629143.20	162.12
14	कलिगिरि	28	5.29	4.20	22.03.19	1162	173.00	151034.8	24091560.95	159.51
15	डी.सी.पल्ली	29	6.49	6.10	22.03.19	755	173.00	104108.3	16752066.55	160.91
	कुल (दहामि)		42.29	39.84		5484	179.00	735378.3	118423488.0	161.04
16	देवरपल्ली	17	7.49	6.48	27.03.19	133	170.00	16340	2508190.00	153.5
17	जे.आर.गूडेम - I	18	10.42	10.05	27.03.19	82	170.00	10817	1754084.72	162.16
18	जे.आर.गूडेम - II	32	10.57	9.80	27.03.19	137	170.00	18644.8	2979625.49	159.81
19	कोय्यलगूडेम	30	9.71	9.80	27.03.19	92	170.00	12199.4	1893346.88	155.2
20	गोपालपुरम	33	7.81	7.20	27.03.19	160	170.00	21050.6	3378200.29	160.48
	कुल (उहामि)		46.00	43.33		604	170.00	79051.8	12513109.42	158.29
	महा योग		136.00	126.29		7107	179.00	946616.2	152277836.8	160.87

दि. 01/04/2018 से 31/03/2019 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में क्रेता वार खरीदी विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2017-18 आं. प्र. फसल दि. 01/04/2018 से 10/10/2018 तक				2018-19 आं. प्र. फसल दि. 22/03/2019 से 31/03/2019 तक				2017-18 कर्नाटका फसल दि. 01/04/2018 से 18/04/2018 तक				2018-19 कर्नाटका फसल दि. 19/09/2018 से 28/03/2019 तक				कुल	
		परिमाण (मि कि गा)	औसत दर (₹/किगा)	% हिस्सा	परिमाण (मि कि गा)	औसत दर (₹/किगा)	% हिस्सा	परिमाण (मि कि गा)	औसत दर (₹/किगा)	% हिस्सा	परिमाण (मि कि गा)	औसत दर (₹/किगा)	% हिस्सा	परिमाण (मि कि गा)	औसत दर (₹/किगा)	% हिस्सा			
		निर्माणकर्ता																	
1	आई टी सी लिमिटेड	71357055.2	136.20	54.30	403201.7	157.2	42.59	2472790.5	147.22	48.92	40400973.0	146.71	47.49	114634020.4	140.22	51.52			
2	जी पी आई लिमिटेड	9003887.7	125.60	6.85	70026.9	161.34	7.40	288610.3	116.11	5.71	6802809.4	144.77	8.00	16165334.3	133.65	7.27			
	उप कुल	80360942.9	135.01	61.15	473228.6	157.81	49.99	2761400.8	143.97	54.63	47203782.4	146.43	55.48	130799354.7	139.40	58.79			
निर्यातक																			
1	पोलिशेट्टि सोमसुंदरम	13543960.9	125.76	10.31	93396.5	164.83	9.87	515908.5	127.15	10.21	9404646.3	143.01	11.05	23557912.2	132.83	10.59			
2	एलिएन्स वन इंडस्ट्रीस लिमिटेड	2000597.0	127.93	1.52							2807612.9	125.69	3.30	4808209.9	126.62	2.16			
3	प्रीमियर दुबोको पैकर प्र. लिमिटेड	5885737.8	130.62	4.48	24563.1	167.08	2.59				1692378.9	141.66	1.99	7602679.8	133.20	3.42			
4	एम.एल & को ग्रूप	1279344.7	131.32	0.97	16323.0	163.56	1.72	165305.6	102.35	3.27	1958483.8	132.74	2.30	3419457.1	130.89	1.54			
5	मिदुपल्ली आदिनारायण एं. प्र. लिमिटेड	501807.0	132.16	0.38				155785.3	73.50	3.08	1130693.4	101.76	1.33	1788285.7	107.83	0.80			
6	चार्लिंगट्टा एक्सपोर्ट्स	844906.2	111.75	0.64				9190.2	164.86	0.18	153703.4	153.01	0.18	1007799.8	118.53	0.45			
7	मिदुपल्ली एणो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	2742617.6	87.31	2.09				458360.5	80.27	9.07	1785564.9	111.79	2.10	4986543.0	95.43	2.24			
8	लक्ष्मी एनटरप्राइजस							22869.4	82.56	0.45				22869.4	82.56	0.01			
9	प्रगति टोबेको ट्रेडर्स													132241.3	160.32	0.06			
10	प्रपालषा आगो लिमिटेड	174840.9	99.02	0.13	132241.3	160.32	13.97	16308.6	60.99	0.32	31482.6	134.91	0.04	222632.1	101.31	0.10			
11	चैतन्या टोबेको को	45599.0	157.13	0.03							63349.6	130.52	0.07	108948.6	141.66	0.05			
12	अविनाश टोबेकोस	109445.6	116.10	0.08	6641.8	171	0.70							116087.4	119.24	0.05			

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2017-18 आं प्र. फसल दि. 01/04/2018 से 10/10/2018 तक				2018-19 आं प्र. फसल दि. 22/03/2019 से 31/03/2019 तक				2017-18 कर्नाटका फसल दि. 01/04/2018 से 18/04/2018 तक				2018-19 कर्नाटका फसल दि. 19/09/2018 से 28/03/2019 तक				कुल	
		परिमाण (मि कि गा)	औसत. दर (₹/किगा)	% हिस्सा		परिमाण (मि कि गा)	औसत. दर (₹/किगा)	% हिस्सा		परिमाण (मि कि गा)	औसत. दर (₹/किगा)	% हिस्सा		परिमाण (मि कि गा)	औसत. दर (₹/किगा)	% हिस्सा			
13	पंचाजान्या टोबाको	33482.9	122.25	0.03					13266.5	50.47	0.26		231753.2	117.32	0.27	278502.6	114.73	0.13	
14	मोहम्मद एंटर. प्रा. लिमिटेड	1370155.9	145.97	1.04					28904.8	20.19	0.57		1526785.0	139.95	1.79	2925845.7	141.59	1.32	
15	वाणी टोबाको												341266.4	119.92	0.40	341266.4	119.92	0.15	
16	एथनिक ग्रूप								3285.8	106.71	0.06					3285.8	106.71	0.00	
17	डेक्कन टुबाको कंपनी ग्रूप	9024196.7	115.97	6.87	52391.2	157.97	5.53		505901.1	104.15	10.01		10469435.6	148.45	12.31	20051924.6	132.74	9.01	
18	षेक मस्तान साहेब टोबाको	1074232.2	97.62	0.82					39342.9	82.12	0.78		321735.4	124.24	0.38	1435310.5	103.16	0.65	
19	वेंकट साई टोबाको कं.	384433.1	82.90	0.29												384433.1	82.90	0.17	
20	हमिद एक्सपोर्ट	46960.0	72.10	0.04					8900.5	79.61	0.18		118860.8	81.37	0.14	174721.3	78.79	0.08	
21	कार्टेल टोबाको	22710.0	51.52	0.02												22710.0	51.52	0.01	
22	श्री हनुमा एनटरप्राइजेस	86387.0	158.01	0.07									139986.6	103.93	0.16	226373.6	124.57	0.10	
	उप कुल	39171414.5	120.98	29.81	325556.9	162.13	34.39		1943329.7	99.52	38.45		32177738.8	138.25	37.82	73618039.9	128.14	33.09	
	अन्य (डीलर)	11875182.1	122.00	9.04	147830.7	167.87	15.62		350002.3	80.18	6.92		5698942.6	130.64	6.70	18071957.7	124.29	8.12	
	कुल योग	131407539.5	129.65	100.00	946616.2	160.87	100.00		5054732.8	122.46	100.00		85080463.8	142.28	100.00	222489352.3	134.45	100.00	

व्यापार स्कंध

भारत सरकार ने अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ रुपयों के मार्जिन रशि के साथ 1984 में व्यापार स्कंध को सृजन किया। 31/03/2019 तक ₹ 22.66 करोड़ की मार्जिन राशि बोर्ड के साथ उपलब्ध रहा। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20-क के अनुसार यदि ऐसा करना उचित है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लैटफार्मों में ग्राहकों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना या भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचना व्यापार स्कंध का उद्देश्य है। 2018-19 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यापार स्कंध द्वारा कोई समर्थन मूल्य प्रचालन नहीं हैं, जो कि बाजार उल्लासी रहा तथा ग्राहकों बेहतर मूल्य प्राप्त किये थे।

प्रोसेसर / निर्माणकर्ता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडरों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के अंतर्गत वर्जीनिया तम्बाकू की प्रोसेसर, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पाद का निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, जो इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से, फार्मों अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालन करना होगा। तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, एक कैलेंडर वर्ष के लिए मात्र मान्य है।

वर्ष 2018 के लिए तथा वर्ष 2019 के लिए (दि. 31/03/2019 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्नलिखित प्रकार है:

क्रम सं.	संवर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या	
		2018	2019*
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	15	13
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	41	26
3	तम्बाकू निर्यातक	167	149
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक	320	280
5	तम्बाकू डीलर	509	408
6	तम्बाकू पैकर	22	22
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	34	30
	कुल	1108	928

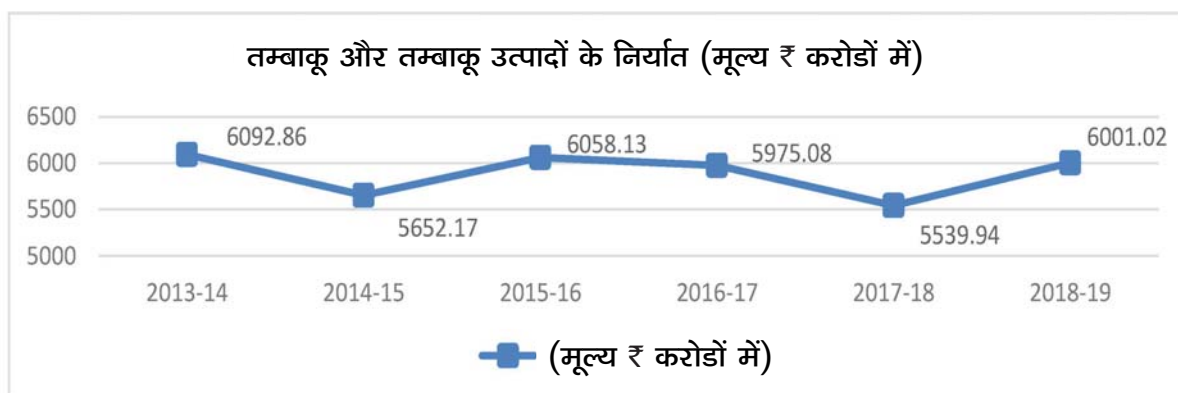
*दि. 31/03/2019 तक

“डिजिटल इंडिया” पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारी को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाईन प्रणाली को प्रारंभ किया। सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों का ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था।

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के विपणन एवं निर्यात

2018-19 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के भारतीय निर्यात और एक बार ₹ 6,000 करोड़ पार किये थे। 2013-14 के दौरान ₹ 6,092.86 करोड़ के रिकार्ड निर्यात के बाद और 2015-16 (₹6,058.13 करोड़) को दूसरी बार और तीसरी बार यह जादू आँकड़ें प्राप्त हुए थे।

2013-14 के तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात :



I) भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण :

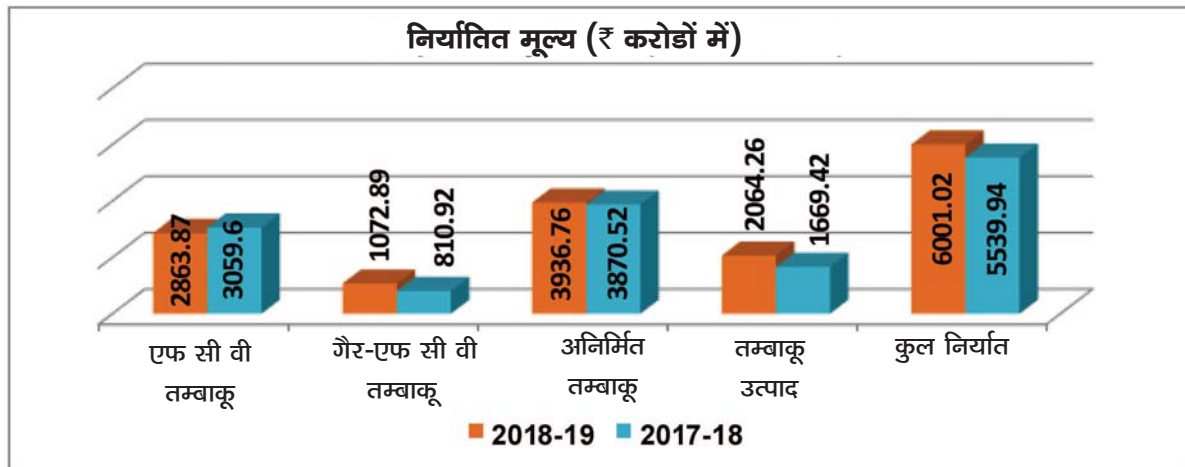
1.1 भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के समग्र निर्यात निष्पादन :

2018-19 के दौरान भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात क्रमशः मूल्य के शब्दों में ₹6,001.02 करोड़ था ₹858.52 मिलियन यू.ए.डालर के साथ 2,20,517 मिन के क्रम में रहे थे। वर्ष 2018-19 के लिए भारत से निर्यात, जो पूर्व वर्ष में किये गये निर्यात की तुलना में क्रमशः परिमाण के शब्दों में 4% और मूल्य रूपयों के शब्दों में 8% बढ़ गये। तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात डालरों के शब्दों में 0.11% सीमा तक गिर गया।

2018-19 के दौरान भारत से अनिर्मित तम्बाकू (एफसीवी & गैर-एफसीवी तम्बाकू) तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात, जो पूर्व वर्ष की तुलना के साथ निम्न प्रकार रहे।

क्रम संख्या	संवर्ग	अप्रैल 2018 - मार्च 2019			अप्रैल 2017 - मार्च 2018			मूल्य में परिवर्तन % (मि.यू.एस \$)
		परिमाण मि.टनों में	मूल्य ₹.करोड़ों में	मूल्य.मि. यू.एस \$. में	परिमाण मि.टनों में	मूल्य ₹. करोड़ों में	मूल्य.मि. यू.एस \$. में	
I	अनिर्मित तम्बाकू							
क	एफसीवी तम्बाकू	1,13,583	2,863.87	409.71	1,24,686	3059.60	474.58	-13.67
ख	गैर-एफसीवी तम्बाकू	69,481	1,072.89	153.49	56,901	810.92	125.85	21.96
	कुल	1,83,064	3,936.76	563.20	1,81,587	3870.52	600.43	-6.20
II	तम्बाकू उत्पाद	37,453	2,064.26	295.32	31,329	1669.42	259.02	14.01
	कुल योग	2,20,517	6,001.02	858.52	2,12,916	5539.94	859.45	-0.11
% 2017-18 पूर्व वर्ष परिवर्तन (+/-)		4	8	-0.11	-8	-7	-4	

अप्रैल 2018 मार्च 2019 के लिए परिवर्तन गुणक : 1 यूएस \$ = Rs.69.90

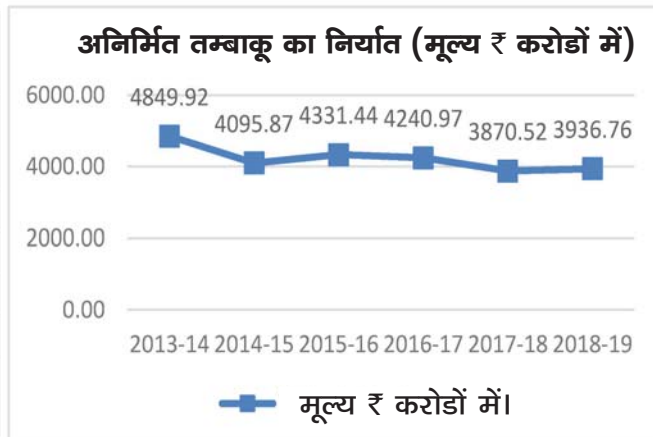


1.2 अनिर्मित तम्बाकू निर्यात :

वर्ष 2018-18 के दौरान, अनिर्मित तम्बाकू निर्यात, जो पिछले वर्ष में किये निर्यात की तुलना में 1,83,064 टनों से 1% तक तथा रुपये के शब्दों में ₹3,936.78 करोड़ से 2% तक बढ़ गये। यह 2017-18 के दौरान ₹3,870.52 करोड़ (यूएस \$ 600.43 मिलियन) मूल्य में निर्यातित 1,81,587 मेट्रिक टन के अनिर्मित तम्बाकू के विपरीत रहा है। फिर भी, पिछले वर्ष की तुलना में अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात डालरों के शब्दों में यूएस \$ 563.20 मिलियन से 6% तक घट गये। भारत से अनिर्मित तम्बाकू निर्यात, जो तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों कुल निर्यातों में परिमाण के शब्दों में 83% तथा रुपये या डालरों के मूल्य के शब्दों में 66% तक हिसाब रहा है।

2013-14 से अनिर्मित तम्बाकू का निर्यात

वर्ष	अनिर्मित तम्बाकू का निर्यात	
	मूल्य ₹ करोड़	मूल्य मिलियन यूएस \$
2013-14	4,849.92	801.64
2014-15	4,095.87	669.81
2015-16	4,331.44	661.59
2016-17	4,240.97	633.23
2017-18	3,870.52	600.43
2018-19	3,936.76	563.20



1.2.1 अनिर्मित तम्बाकू के किस्म वार निर्यात :

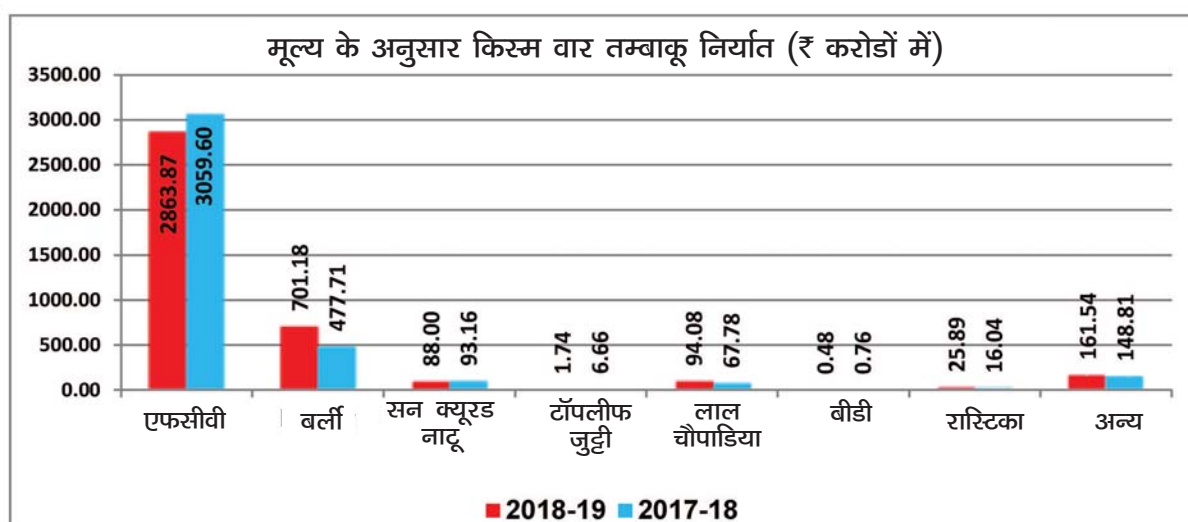
2018-19 के दौरान भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से 62% शेयर के साथ परिमाण के शब्दों में एफसीवी तम्बाकू प्रधान निर्यात किस्म प्रकार रहा है, साथ बर्ली (23%) का रहा है। अन्य निर्यातित तम्बाकू प्रकारों में से लाल चोपाडिया (5%) सन क्यूर्ड नाटू (3%) रस्टिका (1%), बीडी (0.10%) और टॉप लीफ/जुट्टी (0.08%) रहा है।

मूल्य के शब्दों में, कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यातों में से एफसीवी तम्बाकू निर्यात 73% और रुपये और डाल शब्दों में शेष 27% केलिए नॉन. एफसीवी तम्बाकू का हिसाब रहा है।

2018-19 के दौरान तम्बाकू निर्यातों के किस्म वार ब्रेक अप 2017-18 की तुलना में निम्नानुसार है।

(परिमाण में.टन, मूल्य :₹ करोड़)

किस्म	2018-19				2017-18	
	परिमाण	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य	% परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू	1,13,583	-8.90	2,863.87	-6.40	1,24,686	3,059.60
बर्ली तम्बाकू	42,229	29.96	701.18	46.78	32,494	477.71
सन क्यूर्ड नाटू	5,652	-12.36	88.00	-5.54	6,449	93.16
टॉप लीफ / जुट्टी	147	-70.69	1.74	-73.93	500	6.66
लाल चोपाडिया	8,822	59.62	94.08	38.80	5,527	67.78
बीडी तम्बाकू	185	-65.55	0.48	-36.99	537	0.76
रस्टिका तम्बाकू	2,132	80.20	25.89	61.38	1,183	16.04
अन्य	10,314	1.01	161.54	8.55	10,211	148.81
उप-कुल (नॉन-एफसीवी प्रकार)	69,481	22.11	1,072.89	32.31	56,901	810.92
कुल योग	1,83,064	0.81	3,936.76	1.71	1,81,587	3,870.52



एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2017-18 के दौरान निर्यात किये गये 1,24,686 मेट्रिक टन का मूल्य ₹ 3,059.60 करोड़ (यूएस \$ 474.58 मिलियन) और 2018-19 के दौरान 1,13,583 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 2,863.87 करोड़ (यूएस \$ 409.71 मिलियन) था। 2018-19 के दौरान एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में 9% गिरावट आई है। मूल्य के शब्दों में एफसीवी तम्बाकू का निर्यात पिछले वर्ष निर्यातों की तुलना में रुपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 6% और 14% नीचे रहे हैं।

2018-19 के दौरान गैर - एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 69,481 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 1,072.89 करोड़ (153.49 मिलियन यूएस \$) था। गैर-एफसीवी तम्बाकू निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में 22% लाभप्रद वृद्धि दर्ज की है। मूल्य के शब्दों में, गैर-एफसीवी तम्बाकू का निर्यात पिछले वर्ष के निर्यातों की तुलना में रुपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 32% और 22% वृद्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर एफ सीवी तम्बाकू के निर्यातों में गिरावट गैर-एफसीवी सेगमेंट में वृद्धि द्वारा पूरित की गई। एफसीवी तम्बाकू के निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण उत्पादन की परिमाण में कमी और भारत से एफ सी वी तम्बाकू की खरीद से पी एम आई का निष्कासन आदि., है।

पिछले छः वर्षों के लिए प्लू क्यूरेड निर्यात :

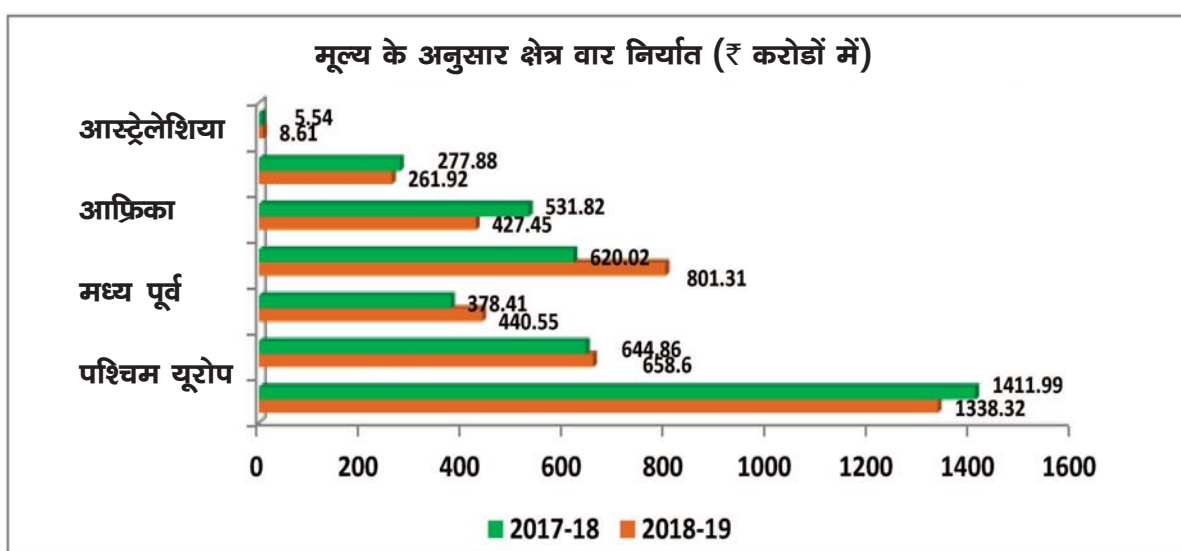
वर्ष	एफसीवी तम्बाकू का निर्यात		व-द-व मूल्य (यूएस\$) में परिवर्तन %
	मूल्य ₹ करोड़ों में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	
2013-14	4,084.09	675.1	28
2014-15	3,201.71	523.6	-22
2015-16	3,495.81	534.0	9
2016-17	3,428.45	512.0	-2
2017-18	3,059.60	474.6	-11
2018-19	2,863.87	409.7	-6

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2013-14 से 2018-19 तक 30% तक गिरावट रहे हैं। गिरावट की ट्रेन्ड पिछले तीन सालों में जारी रही है।

1.2.2 अनिर्मित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात :

(परिमाण मेट्रिक टनों में मूल्य ₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	2018-19				2017-18				कुल में % शेयर
	परिमाण	कुल में % शेयर	मूल्य	कुल में % शेयर	मूल्य	कुल में % शेयर	मूल्य	कुल में % शेयर	
पश्चिम यूरोप	54,808	29.94	1,338.32	34.00	57,035	31.41	1,411.99	36.48	-5.22
पूर्व यूरोप	26,549	14.50	658.60	16.73	28,777	15.85	644.86	16.66	2.13
मध्य पूर्व	25,061	13.69	440.55	11.19	22,042	12.14	378.41	9.78	16.42
दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया	36,523	19.95	801.31	20.35	28,719	15.81	620.02	16.02	29.24
अफ्रीका	24,129	13.18	427.45	10.86	27,672	15.24	531.82	13.74	-19.63
उत्तर और दक्षिण अमेरिका	15,777	8.62	261.92	6.65	17,179	9.46	277.88	7.18	-5.74
आस्ट्रेलेशिया	217	0.12	8.61	0.22	163	0.09	5.54	0.14	55.42
कुल	1,83,064	100	3,936.76	100	1,81,587	100	3,870.52	100	1.71



मूल्य के शब्दों में, पश्चिम यूरोप कुल निर्यातों में लगभग 34% हिस्सा के साथ भारतीय तम्बाकू के लिए प्रधान गंतव्य स्थान बना हुआ है। फिर भी, पिछले वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र को निर्यात 5.22% कम रहा है। 2018-19 के दौरान दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र को निर्यात, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.24% तक उच्चतम वृद्धि दर्ज की है, इस के बाद मध्य पूर्व (16.42%) और पूर्व यूरोप (2.13%) रहे हैं और आफ्रिका (-19.63%) और उत्तरी & दक्षिणी अमेरिका (-5.74%) क्षेत्रों में गिरावट की स्थिति देखी गई।

1.2.3 शीर्ष 10 बाजारों को अनिर्मित तम्बाकू का देश वार निर्यात :

क्र. सं.	देश	अप्रैल 2018 - मार्च 2019			अप्रैल 2017 - मार्च 2018			यू एस \$ से मूल्य में परिवर्तन%
		परिमाण मेट्रिक टनों में	मूल्य करोड़ ₹ में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	परिमाण मेट्रिक टनों में	मूल्य करोड़ ₹ में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	
1	बेलजियम	34,934	891.13	127.49	36,949	994.14	142.22	-10.36
2	ईजिप्ट	15,419	206.83	29.59	13,790	177.69	25.42	16.40
3	फिलिपिन्स	15,069	243.45	34.83	2,834	37.36	5.34	551.63
4	यू ए ई	9,350	168.11	24.05	10,412	162.95	23.31	3.17
5	दक्षिण कोरिया	7,994	199.35	28.52	11,268	251.42	35.97	-20.71
6	येमन	6,839	68.18	9.75	4,889	58.26	8.33	17.03
7	जर्मनी	6,503	140.07	20.04	5,669	112.79	16.14	24.19
8	रूस	6,409	174.43	24.95	7,535	181.28	25.93	-3.78
9	नेपाल	5,798	144.19	20.63	7,421	175.11	25.05	-17.66
10	यू एस ए	5,243	69.60	9.96	5,148	55.88	7.99	24.55

बेलजियम, जो शीर्ष आयात देश है, को 2018-19 के दौरान निर्यात मूल्य के शब्दों में (यूएस \$) 10% गिरावट दिखाई गई है। अन्य प्रमुख निर्यात बाजारों में नेपाल (18%), दक्षिण कोरिया (21%), और रूस (4%) है, जो काफी गिरावट दिखाई गई। फिर भी, फिलिपिन्स को निर्यात डालरों के शब्दों में 552% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह 2018-19 के दौरान भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया। अन्य प्रमुख बाजारों में जर्मनी (24%), यू एस ए (25%), येमन (17%), ईजिप्ट (16%) और यू ए ई (3%) है, जो उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई गई।

बेलजियम जो शीर्ष आयात देश है, को 2018-19 के दौरान निर्यात परिमाण के शब्दों में 5% गिरावट दिखाई गई। इसी तरह, यू ए ई और रूस को निर्यात भी क्रमशः 10 से 15 % की गिरावट दिखाई गई। अन्य प्रधान निर्यात बाजारों में पोलान्ड (-34%), नेपाल (-22%), दक्षिण कोरिया (-29%), नैजिरिया (-46%), दक्षिण आफ्रिका (-67%), फ्रान्स (-17%), मुजांबिक (-87%) और बलगेरिया (-21%) है, जो काफी गिरावट दिखाई गई।

फिलिपिन्स (432%), येमन (40 %), जर्मनी (15%), नेथरलान्ड (16%), आरमेनिया (33%), बेलारस (57%), जार्जिया (63%), जोर्डान (90%), साऊदी अरेबिया (219%), इंडोनेशिया (29%) और वियतनाम (9%) के बाजार, जो उल्लेखनीय वृद्धि दिखाये थे।

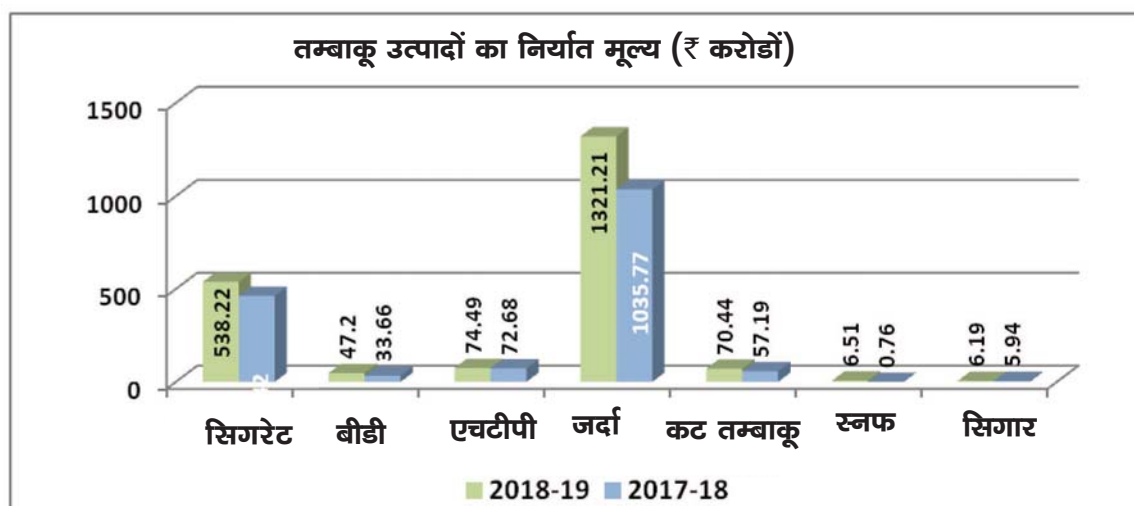
1.3 तम्बाकू उत्पादों के निर्यात :

2018 - 2019 के दौरान तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 37,453 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 2,064.26 करोड़ (यूएस \$ 295.32 मिलियन) था, जबकि 2017-18 के दौरान निर्यात किये 31,329 मेट्रिक टन का मूल्य ₹ 1,669.42 करोड़ (यूएस \$ 259.02 मिलियन) था। तम्बाकू उत्पादों के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान परिमाण के शब्दों में 20% वृद्धि दिखाया गया। मूल्य के शब्दों में, तम्बाकू उत्पाद का निर्यात, पिछले वर्ष की तुलना में रुपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 24% और 14% वृद्धि हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान तम्बाकू उत्पाद वार निर्यात 2017-18 की तुलना में निम्नानुसार है :
(परिमाण मेट्रिक टन, मूल्य ₹ करोड)

क्र. सं.	उत्पाद विभाग	2018-19			2017-18		
		परिमाण	व-द-व परिवर्तन %	मूल्य	व-द-व परिवर्तन %	परिमाण	मूल्य
1	सिगरेट	9,770	10.95	538.22	16.14	8,806	463.42
2	बीडी	364	36.84	47.2	40.23	266	33.66
3	हुक्का तम्बाकू पेस्ट	4,737	5.74	74.49	2.49	4,480	72.68
4	चर्वण तम्बाकू	18,686	28.81	1,321.21	27.56	14,507	1,035.77
5	कट तम्बाकू	3,694	15.73	70.44	23.17	3,192	57.19
6	स्नफ	93	481.25	6.51	756.58	16	0.76
7	सिगार	109	75.81	6.19	4.21	62	5.94
	कुल	37,453	19.55	2,064.26	23.65	31,329	1,669.42

तम्बाकू उत्पादों के अंतर्गत, सभी संवर्ग धनात्मक वृद्धि याने, चर्वण तम्बाकू, कट तम्बाकू, सिगरेट आदि, प्रधान सिगमेंटों में, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 29%, 16% और 11% उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किये थे। अन्य प्रधान सेगमेंट हुक्का तम्बाकू पेस्ट (एच टी पी) भी 6% धनात्मक वृद्धि दिखाया था।



1.4 तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का आयात :

2018-19 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू का आयात, जो अनिर्मित तम्बाकू के भारतीय निर्यातों में लगभग 1% हिसाब रहा था। मूल्य वार इसका शेयर 2.6% रहा है। तम्बाकू उत्पादों का आयात अनिर्मित आयातों से अधिक है, जिसका हिसाब कुल आयातों में 60% है। समग्र रूप से, 2018-19 के दौरान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के आयात पिछले वर्ष की 4,985 टन से 6,365 टन तक 28% वृद्धि हुई थी। मूल्य के शब्दों में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के कुल आयात पिछले वर्ष की तुलना में रुपये और डालरों के शब्दों में 41% और 30% वृद्धि हुई।

2018-19 के दौरान भारत को तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का आयात

(परिमाण मेट्रिक टन, मूल्य ₹ करोड़)

पण्य वस्तु	अप्रैल 2018- मार्च 2019			अप्रैल 2017 - मार्च 2018		
	परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹ करोड़ों में	मूल्य मिलियन यूएस \$	परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹ करोड़ों में	मूल्य मिलियन यूएस \$
एफ सी बी तम्बाकू	2,207	99.52	14.03	791	35.00	5.44
गैर-एफ सी बी तम्बाकू	389	3.37	0.50	751	34.47	5.33
अनिर्मित तम्बाकू	2,596	102.89	14.53	1,542	69.47	10.77
तम्बाकू उत्पाद	3,769	257.66	36.84	3,443	185.93	28.85
कुल	6,365	360.55	51.37	4,985	255.4	39.63
पिछले वर्ष की तुलना	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	
परिवर्तन % (+/-)	27.68%	41.17%	29.62%	9.30	16.46%	

स्रोत : डीजीसीआईएस

1.4.1 अनिर्मित तम्बाकू के आयात

2018-19 के दौरान भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के आयात पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में 1,542 टनों से 2,596 टनों तक 68% और मूल्य के शब्दों में ₹69.47 करोड़ से ₹102.89 करोड़ तक 48% तक वृद्धि हुई है।

2018-19 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के आयात देश मुख्यतः बेलजियम, ब्रेजिल, बल्गेरिया, चीन, इजिप्ट, जर्मनी, ईटली, मोजांबिक, मयन्मार, पोलांड, दक्षिण आफ्रिका, टर्की, यूएई, यूके, यूएसए, येमन रिपब्लिक, जांबिया और जिम्बाब्वे आदि हैं।

कुल आयातों में से अनिर्मित तम्बाकू के आयातों में एफ सी बी तम्बाकू प्रधान परिमाण (85%) रहा और बाकी 15% अन्य तम्बाकू प्रकार का होता है।

1.4.2 तम्बाकू उत्पादों के आयात :

(सिगार, सिगारिल्लोस और सिगरेट तम्बाकू या तम्बाकू अनुकल्प) :

2018-19 के दौरान सिगरेट आयात 2017-18 आयात की तुलना में परिमाण के शब्दों में 306.80 मिलियन टुकड़ों से 514.44 मिलियन टुकड़ों तक 68% और मूल्य के शब्दों में ₹90.90 करोड़ से ₹156.92 करोड़ तक 73% तक बढ़ गया है।

इस संवर्ग के अंतर्गत आयातों में प्रधान शेयर (64%) से सिगरेट का आयात होता है। यह आयात मुख्य रूप से सेर्बिया (151 मि.टन), जर्मनी (97 मे. टन), यूएई (84 मे. टन), सिंगपूर (66 मे.टन), वियत्नाम (30 मे. टन), स्विटजरलैंड (25 मे.टन), चीन (24 मे.टन), हंगकांग (20 मे. टन), कोरिया (19 मे. टन), इंडोनेशिया (13 मे.टन) थाईलैंड (8 मे.टन), मलेशिया (3 मे.टन), अरुबा (1.5 मे.टन), क्रोयेशिया (1.2 मे.टन) और अन्य (0.5 मे.टन) आदि., देशों से होता है।

तम्बाकू उत्पादों के आयात में 36% शेयर सिगार, चुरुट, सिगरिल्लोस और अन्य उत्पाद का होता है। यह आयात मुख्यतः चीन, यूएई, थाईलैंड, श्रीलंका, बंगलादेश, यूएसए, क्यूबा, स्विटजरलैंड और अन्य से है।

1.4.3 अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू अनुकल्पों के आयात :

इस संवर्ग के अंतर्गत कट तम्बाकू का वजन 1,967.48 में.टन से मूल्य ₹61.24 करोड़, धूमपान तम्बाकू (हुक्का) का मूल्य वजन 506.12 में.टन से मूल्य ₹11.24 करोड़, पुनर्गठित तम्बाकू का 466.59 में.टन से मूल्य ₹10.46 करोड़, चर्वण तम्बाकू का वजन 22.50 में. टन से ₹1.45 करोड़, तम्बाकू सार और ऐसेन्स का वजन 1.24 में.टन से मूल्य ₹0.26 करोड़ आदि., 2018-19 के दौरान आयात किये गये थे।

इस संवर्ग के अंतर्गत में 66 % का हिस्सा कट तम्बाकू का होता है। यह आयात मुख्यतः फिलिपेन्स (688.84 में.टन), दक्षिण आफ्रिका (641.02 में.टन), यूएई (294.93 में. टन), इंडोनेशिया (182.06 में.टन), जर्मनी (71.5 में.टन), कोरिया (35.88 में.टन), वियत्नाम (31.78 में.टन), बंगलादेश (12.2 में.टन), फ्रान्स (3.5 में.टन), यूएसए (3.16 में.टन), हांगकांग (1.26 में.टन) और बोलजियम (1.2 में.टन) आदि., देशों से होता है। भारत में विदेशी ब्राण्ड सिगरेट निर्माण करने के लिए कट तम्बाकू को आयात किया जा रहा है।

II) निर्यात उन्नयन गतिविधियाँ :

2.1 चीन को तम्बाकू पत्तों का निर्यात करने के लिए फैटो-सानिटरी प्रोटोकाल का नवीकरण :

चीन इसके पहले भारत से बड़ी मात्रा में तम्बाकू का आयात करता था। चीन को भारतीय तम्बाकू निर्यातों को पुनर्जीवित करने के लिए कृषि & किसान कल्याण (एमओए & एफडब्ल्यू) मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय से भारत से चीन को तम्बाकू पत्तों के निर्यात के लिए फैटोसानिटरी आवश्यकता के प्रोटोकॉल को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये गये थे। इन प्रयासों के कारण दि. 21/01/2019 को चीन गणराज्य के सीमाशुल्क के सामान्य प्रशासन (जी ए सी सी) के साथ भारत से चीन को तम्बाकू पत्तों के निर्यात के लिए फैटोसानिटरी आवश्यकताओं के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये हैं। डॉ. अनूप वाधवान, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और श्री झांग जिवान, उप मंत्री-चीन सीमाशुल्क सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये और चीन को भारतीय तम्बाकू को बड़े पैमाने पर निर्यात करने के लिए मार्ग प्रशस्त किये गये थे।

भारत में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता तम्बाकू प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों में उपलब्ध है और चीन को भारतीय तम्बाकू निर्यात करने के लिए अच्छी संभावना है। चीन के साथ फैटो-सानिटरी प्रोटोकॉल को पुनर्जीवन करने से चीन को भारतीय तम्बाकू निर्यात को पुनर्जीवन करने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और भारतीय किसानों को आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगा।



संलेख (प्रोटोकॉल) के मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

- प्रोटोकॉल पर दि. 21.01.2019 को हस्ताक्षर हुआ था और यह प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तारीख से चार वर्ष अवधि के लिए लागू होगी।
- चीन को निर्यात की जाने वाली तम्बाकू पत्तियाँ, जो भारत के आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में उत्पादित होनी हैं और क्यूरेड और रीड्यर की गई, चीन की संबंधित फाईटो - सानिटरी और सानिटरी कानून और विनियमों का पालन करना होगा और प्रोटोकॉल में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- तम्बाकू के आयातकों को व्यापार अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पहले जी ए सी सी से आयात संगरोध परमिट प्राप्त करना होगा। तम्बाकू पत्तों को संगरोध कीटों के प्रदूषण से रोकने के लिए तम्बाकू के पत्तों को सुरक्षित रूप से वायरलुद्ध (एयरफ्रूफ) तरीके से पैक करना होगा।
- कृषि & किसान कल्याण मंत्रालय (एम आर & एफ डब्ल्यू) क्षेत्र में प्रभावी निगरानी उपाय करेगा ताकि तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र तम्बाकू ब्लू मोल्ड से मुक्त हो।
- एम ओ ए & एफ डब्ल्यू तम्बाकू पत्तों के लिए निर्यात संगरोध निरीक्षण करेगी। तम्बाकू पत्तों की प्रेषण (कनसेनमेंट), जो प्रोटोकॉल में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, के लिए एम ओ ए & एफ डब्ल्यू अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन (आईपीपीसी) के मानकों के अनुसार फाईटो - सानिटरी प्रमाण पत्र जारी करेगा।

क) तम्बाकू क्षेत्र के लिए व्यापक नीति :

एफ सी वी कृषि के लिए सुव्यवस्थित संस्थागत समर्थन होने के बावजूद भी, हाल ही दिनों में किसान फसल और बाजार के जोखिम के अधीन हैं, जिसके परिमाण स्वरूप भारी वित्तीय नुकसान और संकट पैदा हुआ है। विश्व भर में सिगरेट उपयोग की गिरावट और नियंत्रण वातावरण और कराधान की वृद्धि तम्बाकू की माँग को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। भारतीय तम्बाकू के लिए निर्यात की अवसरों में गिरावट और बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी से तम्बाकू खेती की स्थिरता को संकट में डाल दिये हैं।

दि. 04 दिसंबर, 2018 को विजयवाड़ा में संपन्न पणधारियों के बैठक में श्री सुरेश प्रभाकर प्रभू, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग एवं नागरिक उड्डान मंत्री ने तम्बाकू उद्योग की समस्याओं को समग्र रूप से संबोधित करते हुए तम्बाकू बोर्ड को सूचित किया कि तम्बाकू किमानों और व्यापारी वर्ग के हित के लिए तम्बाकू क्षेत्र की उन्नति के लिए पणधारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, रोड मॉप तैयार करके एक व्यापक तम्बाकू नीति के साथ आने के लिए कहा था। उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि तम्बाकू किसानों को इस नीति के द्वारा, जो अपने आवश्यकताओं के लिए पिल्लर से पोस्ट तक भागने के बजाय आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि किसानों की सभी समस्याओं और चुनौतियों के लिए व्यापक तरीके से, ताकि थोड़ा-थोड़ा दृष्टिकोण करने के बजाय स्थायी समाधान प्रदान किया जा सके। माननीय मंत्री ने इस पर विशेष रूप से जोर दिया था कि यह परिपेक्ष्य योजना किसान केन्द्रित होनी चाहिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपाय के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता, संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पाद लागत में बचत,

जिससे किसान की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, को शामिल करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति व्यापक रूप से तम्बाकू खेती की सर्वांगीण विकास और रक्षा करना होगा। उन्होंने ऐसी प्रारूप नीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री की विजन के अनुसार महत्वपूर्ण निर्यात अवसरों के माध्यम से किसानों की आय को वास्तविक रूप से बढ़ाया जाये। यह नीति विश्व स्तर में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद निर्यातों में भारत के हिस्से को बढ़ाने में भी मदद करेगी।



उद्योग (तम्बाकू) के पणधारियों को तम्बाकू क्षेत्र के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बुलाया गया और पणधारियों द्वारा बताये गये विषयों / चिंताओं / अवसरों के आधार पर किसानों को आय बढ़ाने और कृषि निर्यात नीति, 2018 के संरक्षण में निर्यात को बढ़ाने के लिए रोड मैप को तैयार करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार किया गया।



पणधारियों द्वारा प्रस्तावित इनपुटों / सुझावों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशों के साथ व्यापक नीति को तैयार किया गया :

1. नीति सिफारिशें :

तम्बाकू बोर्ड द्वारा फसल नियंत्रण, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम फसल परिमाण सीमा, बखार बयआऊट योजना का कार्यान्वयन, पैलेट स्तर पर एकीकृत उत्पादन प्रणाली (आपीएस) की शुरुआत, के द्वारा अनुपयुक्त क्षेत्रों में तम्बाकू कृषि को चरणबद्ध करना, पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने बखार परिमाणों का अनुकूलतम, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके मजबूत करना आदि., के अधीन फसल नियंत्रण डिमाण्ड संचालन द्वारा तय किया जायेगा।

II. फसल सुधार / उत्पाद विकास पहलू :

उपजातीय वृद्धि, ट्रे नर्सरियों को प्रचार, एकीकृत पोषक प्रबंध (आई एन एस), ऊर्जा संरक्षण के उपाय, फार्म यांत्रिकीकरण, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा द्वारा सतत तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) केलिए उपाय लागू करना, गैर तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन करने के द्वारा फसल सुरक्षा एजेंटों (सीपीए) अवशेषों के निष्कासन के लिए नियंत्रण मेकानिज्म को स्थापित करने के द्वारा उत्पाद अखंडता को सुनिश्चितता आदि., के द्वारा फसल उत्पादकता में वृद्धि और उत्पाद लागत को कम करना है।

III. बाजार क्षमताओं को बढ़ाने केलिए योजना :

विपणन मौसम प्रारंभ होने से पहले ही नीलामियों के प्रारंभ और समापन की तारीखों की घोषणा करने का प्रस्ताव था और इससे सभी व्यापारी वर्ग और विदेशी ग्राहकों को समयसारणी के अनुसार नीलामियों को समापन करने केलिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। पीपीपी नमूना के तहत शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) की सुविधाओं को विकासत करने ताकि संकट की स्थितियों में किसानों के तम्बाकू को दीर्घ कालीन भंडारण की सुविधा दी जा सके और बिक्री के 15 वीं दिन में भुगतान देने की वर्तमान प्रणाली के बजाय बिक्री की 5 वीं दिन में भुगतान करने के प्रस्ताव के द्वारा किसानों के अपने तम्बाकू बिक्री के लिए अग्रिम भुगतान आदि., करने का प्रस्ताव किया था।

IV. निर्यात उन्नयन योजना :

एम ई आई एस के अंतर्गत अध्याय 24 (तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों) को, ताकि विश्व बाजारों में भारतीय तम्बाकू की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने अनिर्मित तम्बाकू (आई टी सी एच एस कोड 2401) के लिए @ 5 % एम ई आई एस प्रोत्साहन से भारतीय तम्बाकू निर्यातक को लाभ मिले सके, एफ ओ बी मूल्य के मौजूदा दर 0.15 % के लिए एफओबी मूल्य पर 1 % के पूर्व - जीएसटी स्तर को इयूटी कमियों को रिस्टोर करने, अन्य देशों को निर्यात के सममूल्य पर आई एन आर की वसूली के साथ नेपाल को निर्यात करने, कृषि उपज को विपणन करने के लिए अन्य सरकारी निकायों जैसे., राज्य एपीएमसी को उपलब्ध करायी गयी छूट की दिशा में नीलाम किये तम्बाकू की सेवा प्रभारों पर सेवा शुल्क को छूट देना, चीन, यूएसए, जपान, ईरान और थाईलैंड जैसे., प्रधान विश्व बाजारों को तम्बाकू निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपाय प्रारंभ करना, भारत के साथ अधिशेष व्यापार करने वाले सम्भाव्य व्यापार साझेदारों को पहचान करना और इन देशों को भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों को आयात पर लगाये गये शुल्क को कम करना, तम्बाकू उत्पाद निर्यातों को प्रोत्साहन और डी जी एफ टी को अनुरोध करके ताक उत्पादों जैसे, “आर्गनिक तम्बाकू” को ब्रांडिंग करने के द्वारा भारतीय तम्बाकू उत्पादों को उत्पाद विकास केलिए निर्माणकर्ताओं और निर्यातकों को प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय तम्बाकू उत्पादों का ब्रांड की स्थापना करना, आर सी एम सी के स्थान पर एफ टी पी के प्रयोजनों के लिए तम्बाकू/तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक के रूप में तम्बाकू बोर्ड द्वारा दिये गये रजिस्ट्रेशन को मान्यता देना आदि., को शामिल करना होगा।

ख) निर्यात प्रोत्साहन केलिए पणधारियों की बैठकें :

2018-19 के दौरान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों की समीक्षा करने तम्बाकू के निर्यातकों के साथ बैठक दि 15/03/2019 को दि गेटवे होटल, विजयवाडा में आयोजित की गई। इस बैठक में श्री संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव, ईपी-आग्नि, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री एन.रमेश, निदेशक, ईपी-आग्नि, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड श्री ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., सचिव, तम्बाकू बोर्ड और श्री टी.वी. रवि, भा. रा. से., तम्बाकू बोर्ड ने भारतीय तम्बाकू निर्यातों की समीक्षा करने के लिए बैठक में भाग लिए और अल्पकालीन अवधि और दीर्घकालीन अवधि केलिए तम्बाकू के निर्यातों को बढ़ावा देने भारतीय तम्बाकू निर्यातकों के सुझावों केलिए माँग किया गया है।



इस बैठक में प्रकटित कार्रवाई बिन्दुओं निम्नानुसार है :

1. एम आई ई एम के अंतर्गत अनिर्मित तम्बाकू को कवर करना होगा, क्योंकि यह कृषि वस्तु भी है और 5% तक निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करता है।
2. इसको कृषि वस्तु के रूप में व्यवहार करके तम्बाकू को जीएसटी उगाही से छूट देने, या तम्बाकू मूल्य श्रृंखला में 5% की समरूप जीएसटी उगाही करना।
3. एम ए एम ई के लिए उपलब्ध भारत सरकार के ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत तम्बाकू निर्यातों को कवर करना।
4. तम्बाकू के निर्यातों पर पहले की तरह 0.15 % से 1 %, तक कर वापसी को बढ़ाना।
5. तम्बाकू के निर्यात के लिए परिवहन सख्सीडी, जो परिवहन और विकास निधि के अंतर्गत उपलब्ध रहा है, को प्रदान करना।
6. एन टी आर एम और श्रमिक मुद्दों की समस्याओं को जानकारी देकर परिवहन लागतों को कम करने के लिए उपाय करना।
7. फाईटो-सानिटरी प्रमाणपत्र को, जो गुण्टूर में इस उद्देश्य के लिए कोई अधिकारी तैनात नहीं हुआ है, को प्राप्त करने में कठिनाईयों का समाधान करना।
8. व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन को 05 वर्ष के लिए वैध बनाने के लिए तम्बाकू बोर्ड के नियमों में संशोधन करना।

तम्बाकू बोर्ड सभी कार्रवाई बिन्दुओं पर कार्रवाई प्रारंभ किये।

ग) व्यापारी मेले व प्रदर्शनियाँ :

तम्बाकू बोर्ड ने, दि. 30 मार्च से 1 अप्रैल 2019 तक मूलतः आयोजित होने वाले विश्व तम्बाकू मध्य पूर्व, दुबाई में भाग होने का प्रस्ताव किया है। भारत सरकार की पूर्व अनुमति के साथ अन्य भारतीय तम्बाकू निर्यातकों के साथ इस विशेष तम्बाकू प्रदर्शनों में भाग लेने तम्बाकू बोर्ड ने सभी इंतजाम किये थे। बाद में इस प्रदर्शनी को स्थगित कर दिया गया और इसे 3-4 अप्रैल 2019 के दौरान आयोजित किया गया। अतः यह व्यापार मेला मूल रूप में 2018-19 के लिए योजनाबद्ध था, लेकिन 2019-20 के दौरान आयोजित किया गया था।

घ) विदेश को व्यापार प्रतिनिधि मण्डल :

चीन के साथ फाईटो सानिटरी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के बाद, तम्बाकू बोर्ड ने राज्य टोबाको मोनोपली (एसटीएमए), चीन राष्ट्रीय तम्बाकू निगम (सीएनटीसी) और चीन टोबाको इंटरनेशनल (सीटीआई), चीन के साथ तम्बाकू के निर्यात की संभावनों को पता लगाने के लिए चीन को एक तम्बाकू व्यापार प्रतिनिधि मंडल को संगठित किया और चीन को तम्बाकू के निर्यातों को पुनरुद्धार करने के लिए प्रयास शुरू किये हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने अपने पत्र दि. 19.02.2019 द्वारा फरवरी 2019 में चीन को व्यापार प्रतिनिधि मण्डल जाने केलिए तम्बाकू बोर्ड की प्रस्ताव को मंजूर दे दी। चीन अधिकारियों से निमंत्रण प्राप्त करने में देरी के कारण, चीन को 2018-19 में व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नहीं भेजा गया था।

ङ) विदेश से व्यापार प्रतिनिधि मंडल :

तम्बाकू आयोग (टीटीसी), मलावी से श्री हेलिंग्स हेजेकिया नसोनी और श्री रिचर्ड डानियेल चिंतुन्जी आदि., तम्बाकू विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधि मंडल 2 से 7 सितम्बर 2018 तक भारत का संदर्शन किया। यह प्रतिनिधि मंडल तम्बाकू थ्रेशिंग प्लान्ट, नीलाम प्लैटफार्मों को और आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू किसानों से बातचीत की। दि. 05.09.2018 को संपन्न बैठक में तम्बाकू बोर्ड, गुणदूर के अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। प्रतिनिधि मंडल ने तम्बाकू उत्पादन और मूल्यों पर आंकड़ों को नियमित आधार पर भारतीय तम्बाकू बोर्ड अधिकारियों के साथ शेयर करने का आश्वासन दिया।



राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकार के कदम उठाये गये।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम :

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- “क” क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। “ख” और “ग” क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टों, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफें, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया।
- सारे रबड मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- “क” क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा “ग” क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया। जनवरी - जून 2019 सत्र के दौरान क्रमशः पारंगत (2), प्रबोध (01), प्रवीण (05) और प्राज्ञ (02) कक्षाओं के लिए कर्मचारियों को नामित किये गये।

“हर दिन एक शब्द सीखो” हिन्दी योजना का प्रचार

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेस्टोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्धरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदर्शित किया गया।

हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 14 से 20 सितम्बर, 2018 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस समारोह में दि. 14 से 19 सितम्बर, 2018 तक आठ मेज कार्यशालाएँ (आठ अनुभाग), जो हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित किये गये। हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागियों को ज्ञापिकाएँ तथा पुरस्कार वितरित किये गये।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक “हिन्दी मिलाप” अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलिआँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये।

कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर लोड किया गया तथा उनका उपयोग किया जा रहे हैं।

हिन्दी कार्यशाला :

इस अवधि के दौरान आठ (04 दिन - प्रतिदिन 02 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 14 से 19 सितम्बर, 2018 तक आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करता है, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाय कर सकेगी। 1991-92 से तम्बाकू बोर्ड, केन्द्र सरकार से बजट व्यय और योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान या ऋण नहीं लिया। तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन अधिनियम के अनुसार अपने गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और वेतन, भत्ता और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मेहनताना उठाने के लिए पर्याप्त है।

1) आंतरिक स्रोत :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए, “सेवा प्रभार” के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्राहकों के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, सामान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम 1984 के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, “प्राधिकार शुल्क” को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों, बखार प्रचालकों, नर्सरीमेन, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करता है।

बोर्ड पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित अधिव्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर प्रतिवर्ष सरकार अपने राजपत्र अधिसूचना द्वारा जुर्माना लगायेगी। 2018 नीलामियों के दौरान प्रधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित अधिव्य तम्बाकू की बिक्री के लिए ₹ 2 प्रति किलो के हिसाब से और बिक्री प्रोसीडों से 7.5% अतिरिक्त प्रभार लगाये हैं। आगे, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में अप्राधिकृत उत्पादित तम्बाकू के लिए पंजीकृत ग्राहकों और अपंजीकृत ग्राहकों से प्राधिकृत कोटा के अतिरिक्त 10% तम्बाकू की बिक्री पर ₹ 2 प्रतिकिलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों से 15% अतिरिक्त शुल्क लगाये, जिसमें तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार 1% साधारण सेवा प्रभार शामिल है।

II) बजट प्राक्कलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा ।

तदनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्रस्ताव अर्थात् बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन क्रमशः ₹ 19,610.50 लाख तथा ₹ 19,941.50 लाख के आऊटले के साथ पूँजी व्यय और स्थापना केलिए राजस्व व्यय, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलामियों को आयोजित करने और विस्तार & विकासात्मक योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार स्कंध योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं पर उठाये गये प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय को (कवर) तैयार किया। सरकार को, उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये गये थे।

बजट आऊटले ₹ 19,941.50 लाखों के विपरीत विभिन्न लेखा शीषों के अंतर्गत व्यय के रूप में ₹ 12,298.38 लाखों की रकम की व्यवस्था की गई।

संशोधित आकलन 2018-19 में किये ₹ 13,296.50 लाखों की राशि, जो बजट प्रावधान (प्राप्तियों) के विपरीत, सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों और ग्राहकों से पंजीकरण शुल्क, मियादी जमाओं पर ब्याज और विलम्बन (डेमरेज) प्रभार की प्राप्तियाँ, लम्बित भुगतान पर ब्याज आदि., बोर्ड के आंतरिक स्रोतों के रूप में 2018-19 वित्तीय वर्ष दौरान ₹ 15,395.87 लाख राशि उपार्जित की गई ।

2007-09 से 2018-19 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका पृष्ठ सं. 131 में दी गई है ।

वर्ष 2018-19 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और तम्बाकू निधि के लेखा के प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना (टैयर - 1), तम्बाकू ग्राहक कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, दि. 31 मार्च, 2019 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लेटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बेंगलूर के लेखें शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।
2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। न्याय, नियम एवं विनियम (सम्पति एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्तव्यों, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है। इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखापरीक्षा चलाई है, ताकि वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके। लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धति पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शामिल हैं। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रावधान करती है।
4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया है।
 - (iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची-7) : ₹ 210.56 करोड़

उपदान, अवकाश वेतन और अर्ध वेतन अवकाश निधि : ₹ 30.00 करोड़

भारतीय जीवित बीमा निगम द्वारा आकलितानुसार तम्बाकू बोर्ड के पदाधिकारियों, जिन्होंने सेवा निवृत्ति वय प्राप्त किये थे, को दी जाने वाली उपदान और अवकाश नकदीकरण, जिसके लिए भारत सरकार के अनुमोदन लंबित है, से संबंधित गैर-प्रावधान के कारण ₹ 24.35 करोड़ उक्त का न्यूनोक्ति रहा है। इस प्रकार ₹ 16.41 करोड़ रुपये अधिरोध के बजाय इस वर्ष के लिए ₹ 7.94 करोड़ का घाटा होगा।

ख. अनुसूची 25 : आकस्मि देयताएँ और लेखाओं पर नोट :

अनुसूची 25 के नोट (छ) 24 के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए कर्मचारियों को बोनस भुगतान से संबंधित ₹ 122.50 लाख रुपये की राशि को देयता के रूप में की गई है। फिर भी, यह प्रकट नहीं किया गया है कि इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी प्रतीक्षित है। इस सीमा तक, उक्त नोट में किया गया डिसक्लोसर अपूर्ण है।

ग. सामान्य : लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब :

सदन के पटल पर रखी जाने वाली कागजात की समिति (सीओपीएलओटी) ने अपनी पहली रिपोर्ट (5 वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश किया था कि लेखा वर्ष समापन होने के बाद, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीनों की अवधि के अंदर अपने खाताओं को पूरा करना चाहिए और उन्हें लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराना होगा और रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समापन की नौ महीनों के अंदर सदन के समक्ष रखना होगा। इसका उल्लेख वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 8(II) / ई. II - क / 09, दि. 17 नवंबर, 2009 द्वारा दोहराया गया था।

बोर्ड ने सीओपीएलओटी के उक्त शर्तों का पालन नहीं किया और वर्ष 2018-19 के लिए अपने लेखाओं को दि. 21 अगस्त, 2019 को अप्रूव किया था। इसे लेखा परीक्षा को दि. 19 सितम्बर, 2019 को सूचित किया था।

घ. प्रबंध पत्र

कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के ध्यान में लाया गया।

V पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, बशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।

VI हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तें और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में एक सच्चा और तटस्थ दृश्य देते हैं:

क. जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2019 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के मामलों की स्थिति का; तथा

ख. जहाँ तक आय - व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कमी का है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से

ह/- XX XX XX

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम)

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा & पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 19 नवंबर, 2019.

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2018 - 2019

अनुलग्नक

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली, जो बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त तथा अनुरूप नहीं हैं। वर्ष 2018-19 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षण संचालित नहीं किया गया था।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

उक्त बिन्दु सं. 1 के अंतर्गत घोषित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमी है। तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, जो संस्था के परिमाण तथा प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं।

3. स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है। बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर संपत्तियों को भौतिक सत्यापन किया था।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड की वस्तुसूची के लिए भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं। वर्ष 2018-19 के लिए वस्तुसूची और लेखन सामग्री की वार्षिक भौतिक सत्यापन बोर्ड द्वारा किया गया है और भण्डार में उपलब्ध स्टॉक का मूल्य तुलन पत्र में समापन स्टॉक के रूप में लिया गया है।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, सांविधिक देय राशियों जैसे., संपत्ति कर और सेवा कर आदि., को निर्धारित तारीख के अंदर प्रेषित (भुगतान) किया।

ह/- XX XX XX

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम)

महा निदेशक

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31/03/2019 तक तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनु सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कार्पस / पूंजी निधि और देयताएँ			
1 कार्पस / पूंजी निधि	1	59782	58141
2 आरक्षण और उपरी	2	0	0
3 उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ	3		
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2356	2197
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		2478	2503
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		15582	15451
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		30	28
ड) तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि योजना		5912	5613
4 सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
5 असुरक्षित ऋण और उधार	5	0	0
6 अस्थायित ऋण देयताएँ	6	0	0
7 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	21056	17791
कुल		107196	101724
संपत्तियाँ			
1. स्थिर संपत्तियाँ	8	10777	10990
2. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ से निवेश	9	0	0
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2356	2197
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		2478	2503
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		15582	15451
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		30	28
ड) तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि योजना		5912	5613
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि,	11	70061	64942
5. विविध व्यय		0	0
कुल		107196	101724
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसूचियों में रखा गया	
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पण)	25	अनुसूचियों में रखा गया	

ह /- XX XX XX
 (अदंकि श्रीधर बाबू)
 सचिव

ह /- XX XX XX
 (के.सुनीता)
 कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(लाखों ₹ में)

विवरण	अनु सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आय			
1 बिक्रियों / सेवाओं से आय	12	6030	5558
2 अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0
3 शुल्क / चन्दे	14	257	200
4 निवेशों से आय (उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से निधियों को अन्तरित)	15	18	23
5 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि, से आय	16	21	24
6 अर्जित व्याज	17	3788	3861
7 अन्य आय	18	5269	4131
8 संपूर्ण वस्तुओं के स्टकों में बढ़ती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0
कुल		15383	13797
2. व्यय			
1 स्थापना खर्च	20	10159	13618
2 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	3121	2547
3 अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0
4 व्याज	23	0	0
5 मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	462	500
कुल		13742	16665
3. व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)		1641	-2868
1. विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		0	0
2. सामान्य रिजर्व का अन्तरण		0	0
3. पूर्व वर्षों के भुगतान		0	0
4. कार्पस / पूंजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष		1641	-2868
5. उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	अनुसूचियों में रखा	
6. चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पण	25	अनुसूचियों में रखा	

ह /- XX XX XX
 (अदंकि श्रीधर बाबू)
 सचिव

ह /- XX XX XX
 (के.सुनीता)
 कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष - तुलन पत्र

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकंठ को अनुदान सहायता) लेखा

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क	अथशेष	219658529.37	204275409.00
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्वें खाता पर व्याज)	15933637.60	15383120.37
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	235592166.97	219658529.37
घ	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क+ख-ग)	235592166.97	219658529.37

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क	अथशेष	250355874.45	243296847.45
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्वें खाता पर व्याज)	16492144.83	17303889.00
	ख) अंशदान	73436420.00	71295082.00
	ग) साभनि आग्रम की वसूली	92000.00	122035.00
	घटाये :		
	क) निकासी	-92556424.00	-81661979.00
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	247820015.28	250355874.45
घ	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	247820015.28	250355874.45

3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क	अथशेष	1545097829.17	1308735001.17
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बें खाता पर व्याज)	117274539.58	110116878.00
	ख) पेंशन निधि अंशदान	304570008.00	401364175.00
	घटाये :		
	क) भा जी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	-408786112.00	-275118225.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	1558156264.75	1545097829.17
ग.	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	1558156264.75	1545097829.17

4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क	अथशेष	2790606.00	7007474.00
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बें खाता पर व्याज)	186939.00	182707.00
	ख) पेंशन निधि अंशदान	9482990.00	10010257.00
	घटाये :		
	क) एन एस डी एल, मुंबई को प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान)	-9475170.00	-14409832.00
	ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	2985365.00	2790606.00
घ	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	2985365.00	2790606.00

5 तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना लेखा

क्र. स.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)			पूर्व वर्ष (₹)		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क. ख.	अथशेष निधि लेखा को जोड : क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बँवें खाता पर व्याज) ख) गोयर अंशदान ग) तम्बाकू बोर्ड अंशदान घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण ङ) स्विपिंगों का गोयर का शेयर च) जुर्मानाएँ छ) ऋणों पर व्याज ज) विविध भुगतान i) ज. गोयर अंशदान (ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन) घटायें : क) गोयरों को मृत्यु राहत ख) अन्य भुगतान	317530882.32 21911660.00 1869000.00 4389376.00 19507350.00 1955206.31 22600.00 5082.00 732500.00 302100.00 -20930000.00 0.00	243759823.92 13991032.00 1721000.00 3120000.00 20129866.09 2072765.53 0.00 0.00 1051438.00 0.00 -41925131.63 0.00	561290706.24 35902692.00 3590000.00 7509376.00 39637216.09 4027971.84 22600.00 5082.00 1783938.00 302100.00 -62855131.63 0.00	306057743.46 20728000.00 1525000.00 2398623.86 21924015.00 0.00 136500.00 1000.00 0.00 0.00 -35240000.00 0.00	244781349.12 14518248.00 1620000.00 3239872.24 21881270.21 0.00 10700.00 0.00 0.00 0.00 -42291615.65 0.00	550839092.58 35246248.00 3145000.00 5638496.10 43805285.21 0.00 147200.00 1000.00 0.00 0.00 -77531615.65 0.00
	कुल (क + ख)	347295756.63	243920793.91	591216550.54	317530882.32	243759823.92	561290706.24
ग.	निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय i) पूँजी व्यय ii) राजस्व व्यय	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	347295756.63	243920793.91	591216550.54	317530882.32	243759823.92	561290706.24

(पी. मीना कुमारी)
प्रबंधक (चि व ले) (प्रभारी)

अनुसूची - 24 : 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार हैं :

1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा ।
2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा ।
3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा ।
4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा । (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा ।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया । लेखन सामाग्री और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए अथशेष के रूप में दिखाया जाता है।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में + (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में) आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा।

3. बोर्ड द्वारा या उसकी ओर ये संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया जाएगा।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपकरण, कार्यालय उपकरण, बिजली उपकरण, मोटार वाहन, वेयिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं। इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया गया है।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं बिजली कार्य सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ति के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म - 65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया गया है।

6. मूल्यहास :

मूल्यहास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यहास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यहास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यहास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कॉपियर मशीन आदि., को छोड़कर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कॉपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यहास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यहास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय :

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है। आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्वलाईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्वैन, निशान स्याई, टवल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखा :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं। तम्बाकू ग्राहकों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू के लिए बिक्रियाँ, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार आन्ध्र

प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में नीलाम बिक्रियाँ तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियों निम्नानुसार हैं :

क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत - जहाँ इस अधिनियम के तहत बोर्ड के द्वारा संस्थापित किये गये किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री की जाती है, बोर्ड अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी के लिए, इस दिशा में ऐसी बिक्री के संबंध में बोर्ड के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार के द्वारा ऐसे तम्बाकू के मूल्य की दो प्रतिशत से अधिक न रहनेवाले दर पर, अपनी तरफ से अथवा इस दिशा में शुल्क आरोपित करने के लिए सक्षम रहनेवालों की तरह से;

ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत - उपधारा (1) के तहत लगाया गया शुल्क, बोर्ड के द्वारा अथवा ऐसे अधिकारी के द्वारा ऐसे तम्बाकू के वर्जीनिया तम्बाकू के विक्रेता और खरीददार - दोनों से, यथा निर्धारित किया जाएगा, वसूला जाएगा।

14 - क के अंतर्गत क्रेता पर आरोप्य शुल्क : तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम के धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्मों के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

विक्रेता से शुल्क वसूली विधान : तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

धारा 14 - क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य : तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14 - क के अधीन, खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

खरीददार से शुल्क वसूली विधान : तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार, धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ते के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रुपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगा।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढ़ावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेष्टित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगा ।

11. लीज :

बोर्ड ने, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र स्तर क्रियाकलापों और एफ सी वी तम्बाकू की विक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जी एफ आर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

13. तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा की शर्तें :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संनिर्माण और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची 25 :

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएँ

1. **आकस्मिक देयताएँ :** आकस्मिक देयताओं के विवरण को 2018-19 वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं के लेखाओं की बिन्दु सं. 3 में दिये गये।
2. **पूँजी प्रतिबद्धताएँ :** शून्य।
3. **पट्टे (लीज) बढ़ाताएँ :**
तम्बाकू बोर्ड ने निम्नलिखित परिसरों जैसे., आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल - II, कोडिपी तथा टंगुटूर - II और कर्नाटका में कंपलापुरा - I, प्लैटफार्म और कर्नाटका में नीलाम निदेशालय, बेगलूर & प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, पेरियपट्टना और आन्ध्र प्रदेश में प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, राजमहेन्द्रवरम, हैदराबाद और नई दिल्ली के संपर्क कार्यालय को लीज पर लिये गये।
4. **वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम :**
बोर्ड द्वारा अपनाये चालू संपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों के विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये।
5. **कराधान :**
आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 10 (29) (क) (घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर के भुगतान से छूट दी गई।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर टिप्पण

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्टूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया।

ख) लक्ष्य :

यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित के तहत, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) संघ अपने नियंत्रण में लेता है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की मार्जिन राशि से, व्यापार स्कंध का सृजन किया गया। व्यापार स्कंध का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा -

क) अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ख) संसद के तीन सांसद, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा के द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी:

- i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
- vi) गुजरात सरकार और
- vii) कर्नाटक सरकार।

घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू, उगानेवाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य।

ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दस से अनधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्योहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी हैं), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।

* परंतु इस अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जानेवाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी।

च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;

ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करती है।

ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार-तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी;

क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;

ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;

ग) कोई अनुदान या उधार, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;

घ) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार निधि का उपयोग निम्नलिखित केलिए उपयोग किया जायेगा।

क) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;

ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;

ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;

घ) किन्हीं उधारों का प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार - बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा -

(1) बोर्ड उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो

नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखा सम्बद्ध वाचचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तद्विषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत - इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा उनमें, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :

1. बोर्ड ने तुलन पत्र और आय व व्यय लेखा में लेखा आँकड़ों को लाखों रुपये तक पूर्ण कर (रॉऊडेड आफ), जहाँ पर अनुसूचियों में राशियों को सही समझने तथा वित्तीय विवरणियों को समझने वास्तविक आँकड़ों में दिया गया ।
2. लेखाओं के यूनिकार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया । दि. 31/03/2019 को समाप्त वर्ष के लिए कुल देय राशि ₹14,24,04,848.69 है ।
3. तम्बाकू बोर्ड की अनिश्चित देवताएँ निम्नानुसार हैं :

क) तम्बाकू बोर्ड द्वारा समय पर लीज पर परिसर को निष्कासन नहीं करने के संबंध में गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म के संबंध में अपर जिला जज न्यायालय, कोव्वुरु में मामले के रूप में न्यायालय से संबंधित ₹ 110.65 लाख की आकरिमक देयता राशि रहा था । यह मामला अदालत द्वारा मालिक को ₹ 8,13,248.00 राशि भुगतान करने की आदेश जारी करने के द्वारा समाप्त किया गया था। तदनुसार उक्त राशि मालिक को अदा किया गया और मामले को सेटिल किया गया।

ख) ओंगोल - ॥ नीलाम प्लैटफार्म से संबंधित अनिश्चित देयता से संबंधित ₹ 13.38 लाख की राशि अपर वरिष्ठ सिविल जज न्यायालय, ओंगोल, प्रकाशम जिला के साथ मामला विचाराधीन रहा है। पीटीशनर ने कारारनामा अवधि के खिलाफ बोर्ड द्वारा लीज पर किये परिसर को पूर्व निष्कासन के लिए किरायों की क्षति के लिए दावा किया । डामेज ₹ 13.38 लाख + दि. 31/12/2015 से 18% ब्याज और अन्य लीगल प्रभार, आदि., के लिए दावा किये थे ।

ग) कर्नाटका राज्य ग्राहक उपभोक्ता विवाद पूर्ति आयोग के आदेशों के अनुसार ₹ 25,000/- की राशि, जो राज्य रिट्रासल आयोग, बेंगलूर के साथ उपलब्ध रहा है, को 31/03/2019 तक रहे तुलन-पत्र की संपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया ।

घ) अपर महानिदेशक, जी एस टी खुफिया का महा निदेशक (डीजीजीआई), चेन्नई क्षेत्रीय यूनिट, चेन्नई ने पत्र सं. फा. सं. आईएनवी/डीजीजीएसटी / सीजड्यू / एसटी / 31/2018 द्वारा आयकर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार 2013-14 से 2017 तक अवधि के लिए ₹183,83,73,622/- राशि के लिए अतिरिक्त सेवा प्रभार/

जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹24,86,69,972/- सेवा कर केलिए और ₹9,98,83,002/- की राशि केलिए विविध रसीदों के अंतर्गत दर्शाये सतर्कता मामलों पर जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹129,98,928/- राशि की सेवा कर आदि., को भुगतान नहीं अदा करने केलिए तम्बाकू बोर्ड को शो-कॉज नोटीस सं. 20/2019 को नारी किया था। इस संबंध में, बोर्ड ने वित्तीय अधिनियम, 1994 के अंतर्गत उक्त अवधि के लिए समय-समय पर ग्राहकों से सेवा कर की नॉन-कलेक्शन केलिए कमीशनरेट, वस्तु & सेवा कर, गुण्टूर को एक अपील करने का प्रस्ताव किया है।

4. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक - I से III (अनुसूची - 8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया।
5. दि. 31/03/2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 16,61,210.00 पर मूल्यांकित लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया।
6. 2018-19 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹584,86,40,851.06 हैं। लेखा परीक्षकों के सुझाव के अनुसार, यह आवधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण & अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची - 11 में प्रदर्शित करना होगा। सभी आवधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया। आवधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण के अनुलग्नक क्रम में पाया गया।
7. स्थिर संपत्तियों पर मूल्यहास को प्रोरेटा मासिक आधार पर परिकलन किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार हैं :
 1. भूमि-पट्टधृति : 360 महीनों की अवधि
 2. भवन : पट्टाधृति भूमि पर : 276 महीनों की अवधि
 3. पूर्णधृति भवन : 1.58% (आरसीसी छत) & 3.17% गैर - आरसीसी
 4. फर्नीचर और फिटिंग्स और विद्युत उपकरण: 9.50%
साईकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टारपीन: 9.50%
ट्राली, वेयिंग स्केल & क्यूबिकल्स : 9.50%
 5. कार्यलय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण : 19.00%,
वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन : 19.00%
 6. अग्नि शामक : 19.00%
 7. कंप्यूटर : 31.67 %

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी अधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेबर श्रामिकों द्वारा अभद्रता से उपयोग किया जाता है। इन ट्रालियों की टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी। अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है।

अग्निशामकों पर मूल्यहास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिंडरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे। आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महंगा है।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है। 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यहास के साथ दि. 31/10/2019 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 4,62,43,119.47 की कुल रकम का मूल्यहास किया गया है।

8. दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों के लिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज किया गया। फार्म - 65 के व्यय विवरण के अनुसार, सिविल, विद्युत कार्यों और रखरखाव कार्यों से संबंधित ₹ 4,31,85,400.00 राशि को कैपिटलैज किया गया।

9. दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 1,19,06,849.56 की रकम खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, बिजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सतर्कता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं।

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखों के लेखों पर ₹ 4,51,81,101.96 की रकम खर्च हुई है, जिसमें सतर्कता प्रचालनों पर जुर्माना, जी एस पी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्राहकों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस ब्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि, शामिल हैं।

10. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्राहकों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 60,29,54,406.04 प्राप्त हुई।

11. 2018-19 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान सहायता को प्राप्त नहीं किया।

12. दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी को व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में ₹ 8,11,603.03 की राशि खर्च की है।

13. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति / निधन/ वी आर प्राप्त किये हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं के भुगतान करने के लिए देयताएँ भी सम्मिलित हैं, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹ 15,39,62,920.00 की राशि रही है।

14. दि. 31/03/2019 तक तुलन पत्र के अनुसूची - 11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 700,60,59,023.64 राशि उपलब्ध रहा था।

15. ₹ 16,02,484.00 की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा से संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकद्दमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय न्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये मामले न्यायाधीन (सबजुडिस) रहा है। बोर्ड ने, ब्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी

ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही। अधिकाधिक लेनदार निधन हो गये और कुछ लोग बहुत बूढ़े याने., 85 से 90 उम्र हो गये हैं और तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है।

बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही। बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है। जहाँ बोर्ड ने न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा था। अतः हैदराबाद में दि. 28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122 वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है। इस संबंध में, बोर्ड ने मंत्रालय को पत्र लिखा और अनुस्मारक भी लिखा था। इस संबंध में सरकार की स्वीकृति प्रतिक्षित है।

16. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइर - 1) तथा तम्बाकू ग़ोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मस्व निधियों की अनुसूची - 3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक शेष, निवेशों और निवेशों पर आय के अथशेष, सभी तम्बाकू बोर्ड के सभी उर्दिष्ट निधियों के लिए निवेश, बैंक शेष और निवेशों पर आय के साथ अन्य प्राप्तियों को 2018-19 के तुलन पत्र और प्राप्तियाँ भुगतान विवरण के संबंधित अनुसूचियों में प्रोजेक्ट किया गया था।
17. वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान) लेखा के अंतर्गत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार ₹ 23,55,92,166.97 राशि उपलब्ध रहा था। व्यापार स्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए रु. 1.25 करोड़ मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सृजन किया गया। 1987 & 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों के लिए ₹ 0.91 करोड़ लाभ प्राप्त किया और दि. 31/03/2019 तक नियत जमाओं पर ब्याज के रूप में ₹ 21.40 करोड़ प्राप्त हुए।
18. तम्बाकू बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 24,78,20,015.28 की राशि उपलब्ध रहा था। ब्राड शीट के अनुसार अंशदान के ब्याज को मिलाकर पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 23,75,14,713.00 राशि था। आवधिक जमाओं पर उपार्जित ब्याज अधिशेष राशि ₹ 1,03,05,302.28 की अधिशेष राशि, जो सा भ नि के लिए पदाधिकारियों के अंशदान के रूप में देय ब्याज से अधिक रहा है।
19. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत निधियों में, भा.जी.नि, विजयवाडा के साथ ₹ 155,77,01,505.58 राशि बैंक में नकद के रूप में और ₹ 4,54,759.17 राशि कुल मिलाकर लेखा बहियों में ₹ 155,81,56,264.75 राशि उपलब्ध रहा है। भारतीय जीवित बीमा निगम ने निधि लेखा के बीमांकित (एक्चुरियल) मूल्यांकन के अनुसार दि. 01/03/2019 तक ₹ 234.47 करोड़ की कुल निधि आवश्यकता के लिए अपने पत्र दि. 17/05/2019 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो उपलब्ध निधि ₹ 155.77 करोड़ को ध्यान में रखते हुए ₹ 78.70 करोड़ की राशि जमा करने के लिए अनुरोध किया था। अतः ₹ 78.70 करोड़ की शेष राशि को लेखा बहियों में देयता के रूप में ली गई है।

20. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत खाता बहियों के अनुसार ₹29,85,365.00 की राशि निधि में उपलब्ध थी। नया पेंशन योजना के अंतर्गत 9 पदाधिकारियों को देय ₹17,00,491.00 की राशि उपलब्ध रहा है। इस एन पी एस के अंतर्गत कवर होने वाले पदाधिकारियों को देय कर्मचारी और नियोकता अंशदान को मौजूदा नियमों के अनुसार में एन एस डी एल, मुंबई को रेमिट किया जाता है। एफ डी आर सेर प्राप्त ब्याज से संबंधित ₹ 12,84,874.00 आधिक्य राशि, जो बैंकों के साथ पदाधिकारियों को देय ब्याज के लिए किये निवेशित अंशदान से अधिक है।
21. तम्बाकू ग़ोयर कल्याण निधि योजना लेखा के अंतर्गत रहे निधि में बही खाताओं के अनुसार ₹ 59,12,16,550.54 की राशि (आन्ध्र प्रदेश ₹ 34,72,95,756.63 + कर्नाटका में ₹ 24,39,20,793.91) उपलब्ध रहा था । भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आग्रि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए ग़ोयरों के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू ग़ोयर कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति प्रदान किया । 2009-10 के दौरान यह निधि खाता का सृजन हुआ था ।
22. उपदान (ग्राट्युरी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होनी है । सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युरी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि को सही परिकलन वर्कआउट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता को प्रावधान किया जायेगा । इस संबंध में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 वर्षों के लिए अवकाश वेतन, ग्राट्युरी और अर्ध वेतन का भुगतान के संबंध में ₹ 30.00 करोड़ कुल देनदारी प्रदान की गई है । यह लेखा निधि सृजन करने की मामला को बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए रखा गया। बोर्ड इस प्रस्ताव को विस्तृत रूप से अध्ययन करने और निधि लेखा सृजन करने के लिए पारित किया। निधि लेखा सृजन प्रस्ताव पर अध्ययन प्रगताधीन है इसे अगले बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
23. नीलामकार सेवा (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवा (वाहनों को भाडा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹. 1,78,44,311.00 राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सी ई एस टी ए टी, बेंगलूर, हैदराबाद और आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क & सेवा कर, गुन्डूरु के अधीन हैं। कंपनियों से देय राशि ₹. 5,05,322.98 को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया।
24. 2014-15 वर्षों के लिए (₹3,500/- से ₹7,000/- तक राशि को बढ़ाने के कारण प्रत्येक को ₹3,500/- बकाया) और वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, और 2018-19 के लिए प्रत्येक को ₹7,000/- हिसाब से बोर्ड के कर्मचारियों को बेनस भुगतान से संबंधित ₹122.50 लाख की राशि को देयता राशि के रूप में रखा गया।
25. दि. 31.03.2019 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, कंप्यूटरों का रखरखाव, तम्बाकू ग़ोयर कल्याण निधि (बोर्ड हिस्सा) को देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि को

लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।

26. तम्बाकू बोर्ड ने, मेसर्स. उमामहेश्वर राव कं, गुण्टूर के चार्टर लेखाकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29) (क) (डी) के अंतर्गत आयकर, भुगतान से छूट होने पर भी, बोर्ड के लेखाओं पर कर लेखा परीक्षण अपनाने के बाद कर रिटर्न को, जो आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के अनुसार 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए आय कर रिटर्न नस्ति की है।

27. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफ सी वी तम्बाकू ग्राहकों को रसायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रहा है। 2008-09 तक ग्राहकों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस टी सी एल) की सेवाओं ली थी।

2009-10 के दौरान, मेसर्स. एस टी सी एल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने ग्राहकों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था। इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्राहकों को, जो कि यह के वी ए टी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों को वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और कर/जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया। इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बेंगलूर को अपील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे। बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था।

इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अपील न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूर को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डी सी सी टी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹91,36,703/- को जमा करने पर मामला स्वीकार किया। उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वी ए टी लेखा परीक्षा - 1, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975.00 राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था। अतः पूरा कर जुर्माना राशि को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर को दि. 25/11/2016 को चुकाई गई।

डी सी सी टी वी ए टी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर द्वारा ₹3,04,55,678/- की कर राशि प्राप्त करने के बाद, फिर से ₹3,26,98,056/- राशि के लिए, जो 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर ब्याज से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को दूसरा डिमान्ड नोटीस जारी किया था। इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस का चुनौती देते हुए एक रिट पीटिशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर के सामने दायर किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27.05.2011 को जारी, जो अभियोजक (डी सी सी टी, वी ए टी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805.00 की राशि को पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटरिम स्टे जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा वी ए टी, सी एस टी और के ई टी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01/04/2005 से 31/03/2016 तक रहे कर अवधि के लिए 15/03/2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है, तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना के 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग के लिए योग्य हैं।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जारिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज के छूट लाभ को प्राप्त करने ऑन - लाईन आवेदन को नस्तित किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करने अपील को डिसमिस करने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर में बोर्ड ने एक स्मारक (मेमो) दायर किया। इस मामला निपटान करने डीसीसीटी बाट कर्नाटका से पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

तम्बाकू बोर्ड की प्रमुख रसीद (आन्तरिक स्रोत) :

28. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14 क के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने, उनके नीलाम प्लैटफार्मों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विपणित तम्बाकू का मूल्य पर @ 2% “सेवा प्रभार” के रूप में शुल्क लगायेगा। सेवा प्रभार, जो ग्राहक द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा क्रयित तम्बाकू पर प्रत्येक से @ 1% हिसाब से ग्राहक तथा क्रेता से समान रूप से वसूल करेगा।
29. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम / विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक, बखार प्रचालक & नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान करने ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क और निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए व्यापारियों और क्रेताओं, जिन्होंने नीलामियों में भाग लिये थे, से प्राधिकरण शुल्क वसूल करेगा।
30. तम्बाकू बोर्ड, पंजीकृत उत्पादकों के द्वारा पैदा किये गये आधिक्य तम्बाकू तथा गैर-पंजीकृत उत्पादकों के द्वारा किये गये तम्बाकू पर जुर्माना लगाता है। यह दण्ड शुल्क प्रतिवर्ष सरकार के गजट अधिसूचना के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। यह जुर्माना समय-समय पर बदल जाते हैं। 2018 नीलामियों के दौरान पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए प्रति कि. ग्रा. के लिए ₹ 2/- और विक्री प्रोसीडों से 7.5% (1% साधारण सेवा प्रभार मिलाकर) जुर्माना, जो प्राधिकृत कोटा के 10% सीमा तक अनुमति दिया गया। आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटका में प्राधिकृत कोटा से 10% सीमा से अधिक पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर प्रति कि. ग्रा. के लिए ₹ 2/- तथा विक्री प्रोसीडों में से 15% (1% साधारण सेवा प्रभार मिलाकर) लगाने, जिसमें तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के अनुसार 1% सेवा प्रभार शामिल है, को लगाने के द्वारा विक्री के लिए अनुमति दिया गया।
31. अचर जमाओं पर ब्याज, ऋणों & अग्रिमों पर अधिकारियों & कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज विभिन्न फुटकर प्राप्तियाँ भी बोर्ड की रसीदें हैं।

तम्बाकू बोर्ड का मुख्य व्यय :

32. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, बोर्ड द्वारा स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की विक्री के लिए स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति पर प्रधान व्यय को गैर-योजना के तहत कवर किया है।
33. नीलामियों को अविघ्न आयोजन करने के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का प्रावधान और तम्बाकू की गुणवत्ता & पैदावार की वृद्धि, ईंधन, क्यूरिंग लागत & समय बचाव करने के लिए विस्तार & विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाने आदि., पूँजी प्रकृति की व्यय को योजना के तहत कवर किया गया है।

34. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत उठाये गये व्यय को अलग से दिखाए गये और व्यय को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में किया गया है।

बोर्ड की प्राप्तियों की लेखा के अंतर्गत ₹153.96 करोड प्राप्त हो गया। जिसके लिए 2018-19 के लिए ₹122.98 करोड व्यय किये गये।

35. महानिदेशक, महानिदेशक - वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का कार्यालय और पदेन - सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के अ. स. पत्र दि. 28/12/2018, सं. डीजीसीए/लेखा डेस्क/2017-18/1.42/381 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा प्रबंध पत्र में सुझावित संशोधनों को 2017-18 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में अपनाये गये। लेखापरीक्षा द्वारा सूचित संशोधनों को वर्ष 2018-19 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में निम्नानुसार लिये गये :

- क) लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार, लेखा विधि आँकड़ों को एक करोड था एक सौ करोड से न अधिक टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए तुलन पत्र और आय व्यय लेखा में लाखों तक पूर्ण किया गया है। उक्त वित्तीय विवरणियों की अनुसूचियों को प्राप्तियाँ और भुगतान की बेहतर समझ और पठनीयता केलिए रुपये में सटीक आंकड़ों के साथ प्रक्षेपित किया गया है।
- ख) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए निश्चित परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास को द्विशाखन किये बिना आय & व्यय लेखा में दिखाया गया है।
- ग) डीसीसीटी वैट (आडिट - I), मैसूर को वाणिज्यिक कर और जुर्मानाओं को भुगतान की तथ्यपूर्ण स्थिति को लेखाओं पर नोट में बिन्दु सं. 28 में उल्लेख किया गया है।
- घ) आकस्मिक देयताओं के विवरणों को पूर्व लेखापरीक्षा द्वारा दिये सुझावों के अनुसार तुलन पत्र के लेखाओं पर नोट में बिन्दु सं. 3 (क से घ तक) अलग में उल्लिखित किया गया है।
- ङ) 2017-18 से संबंधित फर्निचर & फिटिंग, कार्यालय उपकरण, ट्रालियाँ, वेयिंग स्केल और कंप्यूटरों की परिसंपत्तियों केलिए ₹36,176.00 के मूल्यह्रास का अंतर को लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार 2018-19 के दौरान ध्यान में रखा गया है।
- च) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ रहे तिमाही के ब्याज दर पर सावधिक जमाओं के रूप में अधिशेष निधियों को निवेश कर रहा है। अर्जित ब्याज की गणना को 31 मार्च तक कुल निवेश अवधि, ब्याज दर और अर्जित ब्याज, जो बोर्ड को अपनी परिपक्वता होने पर पूर्ण ब्याज प्राप्त करता है, को ध्यान में रखते हुए करता है। अर्जित ब्याज की गणना करने के लिए बोर्ड के पास बड़ी संख्या में सावधिक जमाएँ हैं। 31 मार्च को आने वाले दिनों की संख्या ब्याज की दर, भा रि बैं मार्गदर्शनसूत्रों के अनुसार समय - समय पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले बैंक ब्याज की दरों में लगातार परिवर्तन आदि., को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सावधि जमाओं के लिए वास्तविक ब्याज को गणना करना बहुत मुश्किल है।

ह/- xx xx xx

(पी. मीना कुमारी)

प्रबंधक (वि व ले)

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुणदूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष (राशि ₹ में)
I. अथशेष :			I. स्थापना खर्च		
क) बैंक शेष			1. वेतन और मजदूरी	510986344.52	516391555.00
1. चालू खाताएँ	716211998.20	302304849.14	2. भत्ते और बोनस	1505891.00	921891.00
2. जमा खाताएँ	5492917807.18	5416795973.44	3. भविष्य निधि को अंशदान	0.00	0.00
3. बचत खाताएँ	0.00	0.00	4. पेंशन निधि को अंशदान	300000000.00	400000000.00
ख) उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ			5. पेंशन निधि को अंशदान (न पें यो)	4784184.00	5007876.00
1. चालू खाताएँ			6. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00	0.00
i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार स्कंध को अनुदान)	5000.00	5000.00	7. सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	151762950.00	197510192.00
2. जमा खाताएँ	0.00	0.00	8. अन्य :		
3. बचत खाताएँ			क) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	1994785.00	279825.00
i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	402746.45	670850.45	ख) चिकित्सा दावें (अधिकारी गण व स्टाफ)	6808883.00	8021485.00
ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड	394952.17	187113.17	ग) छुरिया दावें	1645286.00	1075093.00
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना	46192.00	316081.00	घ) स्टाफ को वर्दी	355100.00	288256.00
iv) तम्बाकू ग्रांथर कल्याण निधि योजना	10931070.97	20003761.12			

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान					(राशि ₹ में)	
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	
II. प्राप्त अनुदान	0.00	0.00	II. अन्य प्रशासनिक व्यय	0.00	14646.00	
III. निवेश और जमाएँ			1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए		10798145.00	
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि (एफ डी आर)			2. या.भ.अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए		390612.00	
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि			3. या.भ.बोर्ड के सदस्यों के लिए		3275130.00	
व्यापार रकंथ को सहायता अनुदान			4. प्रशासनिक रखरखाव			
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य	200675489.97	194068352.00	भवन / कर्टर्स / नी. प्लैटफार्म	3115699.20		
भविष्य निधि	233011572.00	230920705.00	5. भवनों का किराया	10930244.32	15024628.00	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी			6. मुद्रण और स्टेशनरी (कंप्यूटर स्टेशनरी सहित)	3776443.60	4739309.00	
पेंशन निधि	1544702877.00	1308547888.00	7. विद्युत शुल्क	10767478.00	10391369.00	
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी			8. डाक और टेलीफोन शुल्क	3916059.39	4526230.72	
नई पेंशन निधि	2606182.00	6439119.00	9. बैठकों पर व्यय	1478785.34	1587501.00	
v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण			10. विविध व्यय	12074927.56	10214279.80	
निधि योजना	508713603.00	495956252.00	11. मनोरंजन व्यय	710213.00	678981.00	
ख) तम्बाकू बोर्ड निजी निधि	0.00	0.00	12. पत्रिकाओं के लिए सदस्यता	291760.00	283023.00	
			13. फर्नीचर और अन्य संपत्तियों की मरम्मत	1375893.28	866153.00	

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	(राशि ₹ में)
IV. निवेश पर आय						
क) उद्देश्य राजस्व निधि (एफडिआरए)						
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	26019490.00	6607137.97	14. वाहन शुल्क	399295.00	341933.00	
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	99101538.83	83484742.00	15. कार्यशालाएँ और सेमिनार	7433.00	0.00	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	421844547.58	511481053.00	16. दरें और कर	2630597.79	3548062.00	
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	9670634.00	10307006.00	17. बैंक शुल्क	25628.20	13467.15	
v) तम्बाकू ग्रेडर कल्याण निधि योजना	106425205.12	93324596.50	18. कानूनी शुल्क	500800.00	398725.00	
ख) निजी निधि			19. वाहनों का भाड़ा	9258743.68	8158976.00	
ग) किराए	0.00	0.00	20. वाहनों का रखरखाव	4000614.72	3334478.00	
घ) परिसर पट्टा पर किराए	2119395.08	2408551.00	21. बीमा	1221398.02	1199895.00	
V. प्राप्त किया ब्याज			22. लेखा परीक्षा शुल्क	1771600.00	0.00	
क) बैंक जमा	377743752.72	450152786.41	23. साभ नि को व्याज योगदान	0.00	0.00	
2. ऋण और अग्रिम (अधिकारी)	519835.00	1100239.00	24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	0.00	0.00	
			25. ऋण वसूली व्यय	0.00	0.00	
			26. पुस्तकालय किताबें	14969.00	19588.00	
			27. कंप्यूटर का रखरखाव	1151579.51	2006305.00	
			28. वेबिंग स्कैन केलिए सेवा शुल्क	2263179.68	2672719.00	
			29. मुद्रा श्रामिक शुल्क	32442599.39	26612330.34	
			30. अस्थायी संरचनाओं का निर्माण	0.00	0.00	
			31. मानव संसाधन विकास	8850.00	67700.00	

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	(राशि ₹ में)	
				चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
VI. अन्य आय					
1. उत्पाद पंजीकरण शुल्क (क्षेत्र, बार्न ऑपरेटर और नर्सरी मेन)	19353169.37	14764318.38	32. ई-नीलामी प्रणाली का कार्यन्वयन	41164332.61	47079474.00
2. निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क	2162410.00	883250.00	33. कार्यालय कक्ष खचालन (एमआईएस) ऑनलाइन	221250.00	487551.00
3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क	1215200.00	1330100.00	34. एफसीवी तम्बाकू का विनियमन और विकास	376430.00	943669.00
4. डीलर पंजीकरण शुल्क	1203375.00	1362550.00	36. विपमन सुविधाओं का कार्या और रखरखाव	40685.00	66788.00
5. पैकर्स पंजीकरण शुल्क	26100.00	35600.00	37. गोयरो को वित्तीय राहत		
6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क	219500.00	158000.00	38. विदेश में किसान अध्ययन दूर	0.00	0.00
7. वाणिज्यिक ग्रेडर्स पंजीकरण शुल्क	43750.00	54150.00	39. बाजार का सर्वेक्षण	0.00	0.00
8. निर्माता पंजीकरण शुल्क	964100.00	959000.00	40. निर्यात प्रोत्साहन (विदेशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल)	0.00	217706.40
9. मूल्यवान प्रकाशनों की विक्री (टीजीपीबीएस)	2062470.95	2360800.00	41. मेले और प्रदर्शनी (विदेश)	811603.03	763669.70
10. विविध आय	52543984.17	56426129.75	42. प्रसार और प्रचार	835441.44	989552.00
11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क	602954406.04	555769135.33	43. फार्म मशीनीकरण	0.00	856250.00
12. पंजीकरण गोयरो से जुर्माना ₹ @ 6.5%	82044971.99	66841033.38	44. एफसीवी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि	2967393.00	7144724.00
13. एक किलो को जुर्माना ₹ 2/-	59817653.60	40187070.40	45. क्यूरिंग प्रथाओं में सुधार	14538550.00	7911330.00
पंजीकृत अपंजीकृत गोयरो से			46. एनटीआरएम और उत्पाद-अखंडता का उन्मूलन	7308000.00	3790466.00
14. पंजीकृत अपंजीकृत गोयरो से 14% जुर्माना	333710802.15	251550971.23	47. पीहेचपिएम उपाय-बल्किंग शेड/ नमूना भंडारण सुविधाएं	260000.00	30000.00
	0.00	0.00	48. अन्य विस्तार कार्यक्रम	2732292.00	2352898.00
			49. ऑन-फार्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण	541525.00	412543.00

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
15. खरीदारों प्राधिकरण शुल्क	544700.00	644900.00	50. नमूना परियोजना क्षेत्र	936085.00	1094036.00
16. कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम	2282659.00	1749881.00	51. तम्बाकू ग्रेडर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	9420000.00	13934000.00
17. कृषकों को ऋण & अग्रिम	0.00	0.00	52. वाणिज्यिक कर दंड और व्याज		
VII. उधार ली गई राशि		0.00	53. सेवा कर, जुर्माना और व्याज	16550.00	0.00
VIII. कोई अन्य रसीदों			III. निधि के खिलाफ किए गए भुगतान	0.00	0.00
1. अन्य देनदारियाँ	269775834.27	448403479.91	विभिन्न परियोजनाओं के लिए		
2. एसीटीओ और अन्य के साथ जमा	1616352.25	219687.00	III. अनुदान और सविस्ती	0.00	0.00
			पर व्यय		
			IV. निवेश और जमा		
			i) उद्दिष्ट राजस्व निधि (एफडिआरए)		
			क) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन		
			i) (व्यापार संकथ के लिए अनुदान)	226694979.97	200675489.97
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	239126868.00	233011572.00
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	1557701505.58	1544702877.00

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	(राशि ₹ में)	
				चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन फंड	2787290.00	2606182.00
			v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	526017086.00	508713603.00
			ख) अन्य भुगतान		
			i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	0.00	0.00
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	92556424.00	81661979.00
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	408786112.00	275118225.00
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	9475170.00	14409832.00
			v) तम्बाकू ग्रायोर कल्याण निधि योजना	84469031.63	89639935.65
			ii) निजी फंड	0.00	0.00

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान				
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	(राशि ₹ में) चालू वर्ष पूर्व वर्ष
			V. निश्चित संपत्ति पर व्यय & प्रगताधीन कार्य	
			1. निश्चित संपत्तियों की खरीद	1448695.54 1226512.00
			2. अग्रिम केलिए	
			क) सीपीडब्ल्यूडी	40912870.00 1399158.00
			ख) रेंट्स	2061468.00 739643.00
			VI. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	0.00 0.00
			VII. वित्तीय शुल्क (व्याज)	0.00 0.00
			VIII. अन्य भुगतान	
			1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	2523689.00 1283738.00
			2) किसानों को ऋण और अग्रिम	0.00 0.00
			3) अन्य देनदारियाँ	70183273.44 63491488.28
			4) एसिटिओ और अन्य के साथ जमा	603815.02 3846248.60
			IX. अन्तशेष	
			क) बैंक शेष	
			1. चालू खाताएँ	870848338.92 716211998.20
			2. जमा खाताएँ	5848640851.06 5492917807.18
			3. बचत खाताएँ	0.00 0.00

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान					(राशि ₹ में)	
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	
			ख) उद्दिष्ट / राजस्व निधि 1. चालू खाताएँ i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान) 2. जमा खाताएँ 3. बचत खाताएँ i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि iv) तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि योजना Fund Scheme	5000.00 0.00 832565.28 454759.17 60548.00 15583761.46	5000.00 0.00 402746.45 394952.17 46192.00 10931070.97	
Total	11186605328.06	10578782112.58	Total	11186605328.06	10578782112.58	10578782112.58

ह/- xx xx xx
(अद्विती श्रीधर बाबू)
सचिव

ह/- xx xx xx
(के. सुनीता)
कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष :**1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्गिन राशि (व्यापार रकम को अनुदान सहायता) लेखा**

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष		
	क) बैंक में नकद	5000.00	5000.00
	(चालू खाता) (एस वि आई, गुण्टूर)		
	ख) निवेश (आवधिक जमा)	200675489.97	194068352.00
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & बर्बे खाता पर व्याज)	26019490.00	6607137.97
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	ग) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	226699979.97	200680489.97
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
घ.	अन्त शेष		
	क. निवेश (मीआदी जमा)	226694979.97	200675489.97
	ख) बैंक में नकद (चालू खाता)	5000.00	5000.00
	(एस वी आई (गुण्टूर)		
	कुल भुगतान (ग + घ)	226699979.97	200680489.97

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष		
	क) बैंक में नकद		
	(बचत खाता) (एसवीएच, गुण्टूर)	402746.45	670850.45
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	233011572.00	230920705.00
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & बर्बे खाता पर व्याज)	25573118.83	12067625.00
	ख) अंशदान	73436420.00	71295082.00
	ग) सा भनि अग्रिम की वसूली	92000.00	122035.00
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	332515857.28	315076297.45
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	92556424.00	81661979.00
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
घ.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	239126868.00	233011572.00
	ख) बैंक के नकद (बचत खाता)		
	(एस वी आई - गुण्टूर)	832565.28	402746.45
	कुल भुगतान (ग + घ)	332515857.28	315076297.45

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष क) बैंक में नकद बचत खाता (एस बि आई गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	394952.17 1544702877.00	187113.17 1308547888.00
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा बवें खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	117274539.58 304570008.00	110116878.00 401364175.00
	कुल प्राप्तियाँ (क+ख)	1966942376.75	1820216054.17
ग.	भुगतान क) भा जी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी ख) बैंक प्रभार	408786112.00 0.00	275118225.00 0.00
घ.	अन्तशेष क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	1557701505.58 454759.17	1544702877.00 394952.17
	कुल भुगतान (ग+घ)	1966942376.75	1820216054.17

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष(₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	46192.00 2606182.00	316081.00 6439119.00
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बवें खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	187644.00 9482990.00	296749.00 10010257.00
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	12323008.00	17062206.00
ग.	भुगतान एनएसडिएल मुंबई को प्रेषित राशि (पेंशन अंशदान) ख) अन्य भुगतान	9475170.00 0.00	14409832.00 0.00
घ.	अन्त शेष क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	2787290.00 60548.00	2606182.00 46192.00
	कुल भुगतान (ग + घ)	12323008.00	17062206.00

5. तम्बाकू गोयार कल्याण निधि योजना लेखा

(₹)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क.	अथ शेष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस वि आई गुण्टूर) (एस बी एम, बेंगलूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	1265344.16 298770205.00	9665726.81 209943398.00	10931070.97 508713603.00	3577064.08 286610642.00	16426697.04 209345610.00	20003761.12 495956252.00
ख.	प्राप्तियाँ : क) निवेशों से आय (मीआदि जमा और बैंक खाता) ख) गोयार अंशदान ग) तम्बाकू बोर्ड अंशदान घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण ङ) स्वीपिंग का गोयार हिस्सा च) जुर्माना छ) ऋणों पर व्याज ज) विविध रसीद झ) गोयार अंशदान (बेकइन् रजि.) ञ) विवाह ऋण ट) शिक्षा ऋण ठ) प्रधान वीमारी ऋण ड) बखार डामेज ऋण	23259339.00 1869000.00 4420000.00 19507350.00 1955206.31 22600.00 5082.00 732500.00 302100.00 185000.00 501000.00 195000.00 90000.00	18221056.00 1721000.00 5000000.00 20484489.48 2072765.53 0.00 0.00 1051438.00 0.00 4238764.36 269040.49 60000.00 262473.95	41480395.00 3590000.00 9420000.00 39991839.48 4027971.84 22600.00 5082.00 1783938.00 302100.00 4423764.36 770040.49 255000.00 352473.95	13069597.00 1525000.00 9254000.00 21924015.00 0.00 136500.00 1000.00 0.00 0.00 47500.00 541230.44 55000.00 122500.64	15990952.00 1620000.00 4680000.00 21526646.82 0.00 10700.00 0.00 0.00 0.00 2410713.73 223240.87 56000.00 130000.00	29060549.00 3145000.00 13934000.00 43450661.82 0.00 147200.00 1000.00 0.00 0.00 2458213.73 764471.31 111000.00 252500.64
	कुल रसीद (क + ख)	353079726.47	272990152.62	626069879.09	336864049.16	272420560.46	609284609.62
ग.	भुगतान क) गोयारों को मृत्यु राहत ख) विवाह ऋण ग) शिक्षा ऋण घ) प्रधान वीमारी ऋण ङ) बखार डामेज ऋण	20930000.00 50000.00 300000.00 50000.00 0.00	41925131.63 15100000.00 1600000.00 223900.00 4290000.00	62855131.63 15150000.00 1900000.00 273900.00 4290000.00	35240000.00 550000.00 648500.00 250000.00 140000.00	42291615.65 9150000.00 629820.00 50000.00 690000.00	77531615.65 9700000.00 1278320.00 300000.00 830000.00
घ.	अन्त शेष क) निवेश (मीआदीजमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसबीआई, गुण्टूर) (एसबीएम, बेंगलूर)	324652229.00 7097497.47	201364857.00 8486263.99	526017086.00 15583761.46	298770205.00 1265344.16	209943398.00 9665726.81	508713603.00 10931070.97
	कुल भुगतान (ग + घ)	353079726.47	272990152.62	626069879.09	336864049.16	272420560.46	609284609.62

2007-08 से 2018-19 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शानेवाला विवरण

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	अथशेष (योजना & गैर-योजना)	13078.14	14740.62	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64
2	प्राप्तियाँ क) गैर-योजना ख) योजना	6621.68 0.00	8843.57 0.00	11900.92 0.00	11689.90 0.00	15650.73 0.00	11541.65 0.00	15083.54 0.00	16581.13 0.00	15387.68 0.00	14399.60 0.00	14477.23 0.00	15395.93 0.00
3	सहायता अनुदान क) गैर-योजना ख) योजना	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
4	कुल (आई ई वी आर) (1 से 4)	19699.82	23584.19	30769.26	34411.76	41519.08	45948.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66	69178.44	71184.57
5	व्यय क) गैर-योजना ख) योजना	4379.67 579.53	3690.17 1025.68	1703.68 6343.72	1148.77 7394.64	1565.04 5547.67	2054.13 7351.08	2061.98 8179.71	1728.82 8540.79	634.50 10550.30	748.37 10849.08	13389.80 0.00	12298.38 0.00
	कुल व्यय (5)	4959.20	4715.85	8047.40	8543.41	7112.71	9405.21	10241.69	10269.61	11184.80	11597.45	13389.80	12298.38
6	अन्तशेष (4-5)	14740.62	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19

संकेताक्षर

आं.प्र
 एपीएफ/ए.पी.एफ
 औ.मू.
 बीएटी
 बीजी
 सीएसीपी
 सीबीएस
 सीएमओ
 सीपीडब्ल्यूडी
 सीपीए'एस
 सीटीआरआई
 इएलएस
 इयू
 एफसीवी
 जीआई
 जीआरएल
 जीएसपी
 हेचए. हे.
 आईएलटीडी
 आईपीएम
 आईएसओ
 आईटीए
 आईटीसी
 आईटीडीए
 केके के.के
 केएल एस
 एलएसआई
 एम.के.जीएस/एम.के.जीएस
 एमइपी
 एमजीपी
 एमकेटीडी.
 एमपीए
 एमएसपी
 एनबीएस
 एनएपीहेचएम
 एनएलएस
 एनपीवी
 एनटीआरएम
 ओएफटी'एस
 ओएलआईसी
 पीहेचपीएम
 क्यूटीवाई.
 आरसीएमसी
 आरएटीइएस
 एसएलएस
 एसबीएस
 एसटीएल
 टीबीएस
 टीओएलएसी
 टीक्यूसी
 यूएइ
 यूके
 यूएस

आंध्र प्रदेश
 नीलाम प्लैटफार्म
 औसत मूल्य
 ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको
 बैंक गारंटी
 कृषि लागत और मूल्य आयोग
 केन्द्रीय काली मिट्टी
 आम बाजार संगठन
 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
 फसल सुरक्षा एजेंटों
 केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान
 पूर्वी हल्की मिट्टी
 योरुपीय संघ
 फ्लू कूरिड वर्जीनिया
 गाल्वनैजिड आईरन
 गाइडेंस अवशिष्ट स्तर
 सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली
 हैक्टर
 भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन
 एकीकृत कीट प्रबंधन
 अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन
 भारतीय तम्बाकू संघ
 भारतीय तम्बाकू कंपनी
 भारतीय तम्बाकू डीलर संघ
 कर्नाटका
 कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ
 स्थायी निर्देश के पत्र
 मिलियन किलोग्राम
 न्यूनतम निर्यात मूल्य
 न्यूनतम गारंटी मूल्य
 विपणित
 मोडल परियोजना क्षेत्र
 न्यूनतम समर्थन मूल्य
 उत्तरी काली मिट्टी
 राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान
 उत्तरी हल्की मिट्टी
 न्यूक्लियर पालिहेन्द्रासिस वैरस
 गैर तंबाकू से संबंधित सामग्री
 आन फार्म परीक्षण
 राजभाषा कार्यान्वयन समिति
 फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंधन
 परिमाण
 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
 रेल इंडिया टेक्निकल एंड और आर्थिक सेवाओं
 दक्षिणी हल्की मिट्टी
 दक्षिणी काली मिट्टी
 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
 पारंपरिक काली मिट्टी
 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
 तम्बाकू गुणवत्ता मंडल
 संयुक्त अरब अमीरात
 यूनाइटेड किंगडम
 अमेरिका



गोल्डेन लीफ पुरस्कार - 2019 के साथ श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड और उनकी अधिकारी गण
संवर्ग : “सर्वाधिक प्रभावशाली लोक-सेवा पहल”



दि. 04/12/2018 को संपन्न पणधारियों की बैठक में उपस्थित माननीय केन्द्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु



श्री वाई. रघुनाथबाबू ने दि. 07/08/2019 को अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड के रूप में पदभार स्वीकृत किया।



तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग,

पो.बॉ.सं 322, जी.टी. रोड,

गुण्टूर - 522 004, आन्ध्र प्रदेश, भारत

फोन : 91 863 2358399, फैक्स : 91 863 2354232

ईमेल : info@indiantobacco.com, वेबसाइट : www.indiantobacco.com